

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कारनामे



लेखक

हज़रत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद^{रज़ि॰}
खलीफ़तुल मसीह द्वितीय

नाम पुस्तक : हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कारनामे
Name of book : Hazrat Masih Mauud Alaihissalam
Ke Karname
लेखक : हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद
खलीफतुल मसीह द्वितीय^{रजि०}
Writer : Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood
Ahmad Khalifatul Masih II^{RA}
अनुवादक : अली हसन एम.ए. एच.ए.
Translator : Ali Hasan M.A. H.A.
टाईपिंग, सैटिंग : नादिया परवेजा
Typing Setting : Nadiya Perveza
संस्करण : प्रथम संस्करण (हिन्दी) मई 2018 ई०
Edition : 1st Edition (Hindi) May 2018
संख्या, Quantity : 1000
प्रकाशक : नज़ारत नश्र-व-इशाअत,
क्लादियान, 143516
ज़िला-गुरदासपुर, (पंजाब)
Publisher : Nazarat Nashr-o-Isha'at,
Qadian, 143516
Distt. Gurdaspur, (Punjab)
मुद्रक : फ़ज़ले उमर प्रिंटिंग प्रेस,
क्लादियान, 143516
ज़िला-गुरदासपुर, (पंजाब)
Printed at : Fazl-e-Umar Printing Press,
Qadian, 143516
Distt. Gurdaspur, (Punjab)

हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कारनामे

तक्ररीर जलसा सालाना 28 दिसम्बर सन 1927 ई

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَايَةٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى
جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا
خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ
مَنْ تَدْخُلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ -
رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ
فَأَمْنَا - رَبَّنَا فَاعْفُ رَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا
مَعَ الْآبِرَارِ - رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا
يَوْمَ الْقِيَمَةِ - إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ - فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ
أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى - بَعْضُكُمْ
مِّنْ بَعْضٍ - فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي
سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَنَّهُمْ
جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ - ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ - وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

(आले इमरान - 191 से 196)

मैंने जो अभी आयते तिलावत की हैं उन में मेरे उस विषय की
ओर इशारा है जो आज मैं बयान करना चाहता हूँ।

यह विषय जमाअत से ऐसा सम्बन्ध रखता है कि उसे जिन्दगी और मौत का सवाल कहा जा सकता है और जिस तरह मैं उस विषय को अपनी जमाअत के लोगों को समझाना चाहता हूँ यदि वे उसी तरह समझ लें तो इन्शाअल्लाह तब्लीग में बहुत बड़ी आसानी हो सकती है।

मैंने बहुत गौर किया है और अन्त में इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि दुनिया में सच्चाई टुकड़े-टुकड़े करके पेश करने से वह असर पैदा नहीं हो सकता जो सामूहिक तौर पर पेश करने से हो सकता है। देखो यदि ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत इन्सान का नाक काटकर ले जाएँ और जाकर पूछें कि यह कैसा सुन्दर है तो उसकी ख़ूबसूरती का कोई असर न होगा। हाँ सारे अंग मिलकर संयुक्त रूप में मिलकर दिल पर असर करते हैं। इसी तरह हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावा के बारे में भी हमको पूर्ण रूप से गौर करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ख़ुदा तआला की ओर से सच्चे साबित होते हैं या नहीं।

आज ही एक आदमी ने जो गौर अहमदी हैं मुझे लिखा है कि हम लोग यहाँ आते तो इसलिए हैं कि हजरत मिर्ज़ा साहिब की सदाक़त के बारे में सुनें। लेकिन इसके बारे में जलसा में विषय कम रखे जाते हैं। उनका यह कहना सही है पर उनको और दूसरे लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह जलसा जमाअत की तरबियत के लिए भी होता है। इसलिए दोनों प्रकार के विषय ज़रूरी होते हैं। पर संयोगिक बात यह है कि इस बार मेरी तक्ररि का भी यही शीर्षक है कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने क्या काम किया?

मुझे अफ़सोस से कहना पड़ता है कि जमाअत ने अभी तक इस विषय के बारे में बहुत बेपरवाही से काम लिया है और हजरत मसीह

मौऊद अलैहिस्सलाम के कामों पर विस्तृत दृष्टि नहीं डाली गई। मैंने बहुत बार लोगों को यह कहते सुना है कि बताओ तो मिर्ज़ा साहिब के आने की क्या ज़रूरत थी? यदि हम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बारे में एक विस्तृत दृष्टि डालें तो वे सारी बातें मौजूद हैं जिनके लिए आप का आना ज़रूरी था और इस सवाल का जवाब इतना महत्वपूर्ण और आवश्यक है कि यदि उसे विस्तारपूर्वक बयान किया जाए तो कोई न्यायप्रिय उसका इन्कार नहीं कर सकता। यह सवाल इतना महत्वपूर्ण है कि इसके समझे बिना कोई व्यक्ति जमाअत की ओर नहीं आ सकता। क्योंकि जब तक किसी के दिल में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के काम की अहमियत की वास्तविकता न जम जाए वह आपकी ओर ध्यान कैसे दे सकता है?

इसमें सन्देह नहीं कि खुदा तआला की ओर से आने वाली नई-नई सच्चाइयाँ और निशान ऐसे होते हैं कि स्वयं अपने आप में सच्चाई का प्रमाण होते हैं लेकिन जब तक उनको भी ऐसे रंग में प्रस्तुत न किया जाए कि लोग उनका फायदा उठा सकें तो वे निशान भी असर नहीं करते। इसलिए इस सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी है।

जब यह सवाल किया जाता है कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने क्या काम किया? तो कभी-कभी सवाल करने वाले का यह मतलब होता है कि कोई ठोस चीज़ उसके हाथ में पकड़ा दें। वह ऐसी गवाही चाहता है जो कि केवल भौतिक में मिल सकती है रूहानीयत में नहीं। या लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि समय से पहले नतीजा निकाल लें। समय अभी आया नहीं पर वह पूछते हैं कि क्या नतीजा निकला? ऐसे लोगों की वही मिसाल होती है कि एक व्यक्ति कहे कि मेरे हाँ सन्तान नहीं है इसलिए मैं सन्तान के लिए दूसरी शादी

करता हूँ और जिस दिन वह दूसरी शादी करे उसके दूसरे दिन सुबह ही उसके मित्र उसके यहाँ पहुँच जाएँ और सलाम करने के बाद पूछें सन्तान हुई या नहीं? वह कहे अभी तो नहीं हुई, तो वे कहें फिर शादी क्यों की थी? शादी का शीघ्र से शीघ्र नतीजा नव माह के बाद निकल सकता है और यदि इस अवधि को कम से कम भी कर दिया जाए तो सात महीने में नतीजा निकल सकता है। इतनी प्रतीक्षा करना अनिवार्य होती है। अतः किसी काम के लिए जो समय निर्धारित है उससे पहले नतीजे मांगना ग़लती है। अतः इस तरह का सवाल करने वालों को आमतौर पर दो ग़लतियां लगती हैं। एक तो यह कि जो सवाल करते हैं वे ठोस भौतिक उत्तर चाहते हैं। उदाहरणतः कहते हैं, यह बताओ मुसलमानों की हुकूमत कहाँ-कहाँ क़ायम हुई? या यह कि कितने काफ़िरों को मारा है? कितनी ग़ैर मुस्लिम सरकारों को पराजित किया है? तात्पर्य यह कि वे या तो सोने-चाँदी या मुर्दों के ढेर देखना चाहते हैं। दूसरी ग़लती यह लगती है कि बेमौक़ा नतीजा ढूँढते हैं। हालाँकि किसी नबी के बारे में इस प्रकार का प्रश्न ऐसा सूक्ष्म होता है कि यदि वे उसे पहले नबियों पर चस्पाँ करें तो उन्हें ज्ञात हो कि इससे सूक्ष्म प्रश्न और कोई नहीं हो सकता। जो नबी शरीअत नहीं लाए उनके बारे में तो यह विशेषतः बहुत सूक्ष्म प्रश्न है। उदाहरणतः आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के समय में यदि कोई यह सवाल करता कि आपने क्या किया? तो उस समय बताया जा सकता था कि आप पर इतनी सूरतें नाज़िल हुई हैं। प्रथम तो यह उत्तर भी ऐसे लोगों के लिए तसल्ली बख़्श नहीं हो सकता। क्योंकि एक ही समय में रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर पूरी शरीअत नहीं उतरी थी। बल्कि थोड़े-थोड़े आदेश नाज़िल होते थे। जब तक पूरी

शरीअत नाज़िल न हुई थी उस समय तक इस्लाम के बारे में भी यही कहा जा सकता था जिस तरह आज सिक्खों और बहाइयों के बारे में कहा जाता है कि तुम्हारे पास तो मुकम्मिल (पूर्ण) शरीअत नहीं है। उस समय जब इस्लाम में विरसा के पूरे आदेश नहीं नाज़िल हुए थे यदि कोई सवाल करता कि इस्लाम में विरसा के बारे में क्या आदेश हैं? तो कोई उत्तर न दिया जा सकता था। अतः शरीअत पूरी होने के बाद ही प्रस्तुत की जा सकती है और नबी की ज़िन्दगी में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि उसने ऐसे विषय बयान किए हैं जो दूसरी किताबों में नहीं हैं, पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह शिक्षा पूर्ण हो गई है। क्योंकि उस समय तक वह कामिल (पूर्ण) नहीं हुई होती। अतः शरीअत लाने वाले नबी के लिए भी यह ज्ञात करना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आदेश जो उस पर नाज़िल हो चुके हों पेश किए जा सकते हैं। लेकिन जो शरीअत लाने वाले नहीं उनके सम्बन्ध में क्या प्रस्तुत किया जा सकता है? वे लोग जो यह सवाल करते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने क्या काम किया जो आप को मानना अनिवार्य ठहराया जाए। उनसे हम कहते हैं कि केवल हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ही तो नबी और रसूल नहीं हैं बल्कि आपसे पहले भी हज़ारों नबी और रसूल गुज़र चुके हैं। जिनका वर्णन कुर्आन और दूसरी पुस्तकों में मौजूद है। दो दर्जन के लगभग नबियों का वर्णन तो कुर्आन में भी आया है जिनमें से दो-तीन को छोड़कर शेष ऐसे हैं जिन पर कोई शरीअत नहीं नाज़िल हुई। हम कहते हैं कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब का सवाल छोड़ो यह तो बताओ हज़रत मसीह नासरी के ज़माने में जब उन्होंने दावा किया कि मैं ख़ुदा तआला की ओर से नबी और रसूल होकर आया हूँ। उस समय यदि

लोग उनसे यह प्रश्न करते कि आपने क्या काम किया है? तो वे क्या जवाब देते? या उनके हवारियों से पूछते कि हजरत मसीह का काम बताओ तो वे क्या बताते? अधिक से अधिक वे यह कहते कि हजरत मसीह ने मुर्दों को ज़िन्दा किया। मगर मैं यह कहता हूँ यह तो काम नहीं, निशान और चमत्कार है और ऐसे निशान तो हम हजरत मिर्ज़ा साहिब के भी प्रस्तुत करते हैं। यदि नबी के काम से तत्पर्य यह है कि उसने लोगों के फायदे और तरक्की के लिए क्या किया? अक्रीदों और कर्मों की दृष्टि और सामाजिक एवं राजनैतिक से कौन सा लाभ पहुँचाया, तो हजरत मसीह इसका क्या जवाब देते। फिर उनके बाद हवारी इसके जवाब में क्या कहते? उनके जवाब को तो जाने दो, आज जबकि हजरत मसीह नासरी को देहान्त पाए उन्नीस सौ वर्ष बीत चुके हैं आज जाकर ईसाईयों से पूछो कि हजरत मसीह ने क्या काम किया? तो उनका बड़ा से बड़ा उत्तर यही होगा कि यीशु मसीह ने दुनिया में मुहब्बत की शिक्षा क्रायम की और कहा:-

“जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी ओर फेर दे”

(मती अध्याय 5 आयत 39 ब्रिटिश फारेन बाइबिल सोसाइटी लाहौर मुद्रित 1922 ई.)

या यह कि ख़ुदा की बादशाहत क्रायम करने का वादा किया था। पर प्रश्न यह कि क्या हजरत मसीह के ज़माने में उनके मानने वालों को बादशाहत मिल गई थी? उनको तो केवल वादा ही दिया गया था और यदि वादा से तसल्ली हो सकती है तो हम भी उन लोगों को जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बारे में प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि:- आप ने फ़रमाया है कि ख़ुदा की बादशाहत दुनिया में क्रायम हो जाएगी बल्कि उससे भी अधिक का वादा किया है और वह यह कि

सारी दुनिया में जमाअत अहमदियत इस तरह फैल जाएगी कि शेष लोग इतने थोड़े रह जाएँगे जितने इस समय खानाबदोश हैं। अतः यदि वादा तसल्ली का कारण हो सकता है तो उसे हम भी प्रस्तुत कर सकते हैं और विश्वास रखते हैं कि वह अपने समय पर पूरा हो जाएगा देखो यदि हज़रत मसीह नासरी के देहान्त के बाद उनके हवारियों से लोग पूछते कि कहाँ है वह बादशाहत जिसका वादा दिया गया है? और वे न दिखा सकते तो क्या हज़रत मसीह झूठे साबित हो जाते? या फिर हवारियों से नहीं बल्कि उनके बाद आने वालों से लोग पूछते कि दिखाओ वह बादशाहत जिसका मसीह ने वादा किया है और वे न दिखा सकते तो क्या हज़रत मसीह झूठे साबित हो जाते। हज़रत मसीह की उम्मत में तीन सौ वर्ष के बाद हुकूमत आई। यदि दुनियावी कामयाबी के लिए दावा भी दलील बन सकता है तो हमारा भी दावा है कि सारी दुनिया में अहमदियत फैल जाएगी और इसे सांसारिक दृष्टि से भी शान-व-शौकत हासिल होगी। लेकिन यदि यह कहो कि यह दावा अभी पूरा नहीं हुआ इसलिए दलील नहीं हो सकता, तो हम कहते हैं कि हज़रत मसीह नासरी के समय में भी बादशाहत क़ायम होने का दावा पूरा नहीं हुआ था क्या उस समय हज़रत मसीह झूठे थे? यहाँ तक कि तीन सौ साल तक पूरा न हुआ क्या उस समय तक हज़रत मसीह सच्चे न थे? यदि इसके बावजूद सच्चे थे तो फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को क्यों सच्चा नहीं कहा जाता? जब कि यहाँ भी अभी हवारियों का ज़माना ही चल रहा है।

अतः हज़रत मसीह नासरी के बारे में ऐसा ठोस जवाब जैसा कि आजकल लोग हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बारे में चाहते हैं, न उनके ज़माने में मिल सका न हवारियों के ज़माने में और न

तीन सौ वर्ष की अवधि तक। लेकिन अब यही प्रश्न दुनिया के सामने पेश करो फिर देखो क्या उत्तर मिलता है। यदि आज से उन्नीस सौ वर्ष पूर्व हजरत मसीह का यह कथन दुनिया के सामने पेश किया जाता कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी ओर फेर दे तो ये लोग कहते हैं नऊजुबिल्लाह यह किस पागल और दीवाने का कलाम है। मगर आज दुनिया के जितने बड़े-बड़े फ़िलास्फ़र हैं उनके पास जाओ और जाकर सवाल करो कि हजरत मसीह ने दुनिया में आकर क्या काम किया था? तो वे उस सवाल करने वाले को पागल कहेंगे और कहेंगे, वह मसीह जिसने एक ही बात कहकर कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी ओर फेर दे लाखों और करोड़ों इन्सानों की ज़िन्दगी बदल दी। उसके बारे में यह पूछना कि उसने क्या काम किया पागलपन नहीं तो और क्या है? इस बात का आज भी ईसाइयों पर इतना असर है कि बड़े-बड़े अत्याचार करने के बावजूद भी एक हिस्सा रहम (दया) का उनमें शेष रहता है और कम से कम इतना तो है कि जब कोई जुल्म करते हैं तो भी घोषणा यही करते हैं कि अमुक क्रौम की बेहतरी और भलाई के लिए हम यह काम कर रहे हैं। चाहे वे किसी की खाल ही उधेड़ रहे हों, पर उसके सिर पर हाथ फेरते जाते हैं और कहते जाते हैं कि हम तुम्हारे फायदे के लिए ही कर रहे हैं। इससे ज्ञात होता है कि रहम का एहसास उनमें ऐसा घर कर गया है कि जुल्म करते समय भी उसका बयान करते रहते हैं।

तात्पर्य यह कि आज सब लोग जानते हैं कि हजरत मसीह के द्वारा उनके मानने वालों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है।

इसी तरह यदि यह प्रश्न बुद्ध के बारे में किया जाता कि उन्होंने

क्या किया? और उनके ज़माने के लोग यह जवाब देते कि बुद्ध ने कहा है कि अपनी सारी इच्छाओं को मिटा डालो, तो सब लोग इस बात को सुनकर हँस देते और कह उठते कि यह भी कोई काम है और कोई बुद्धिमान किस तरह यह शिक्षा दे सकता है? लेकिन इस शिक्षा ने एक समय के बाद ऐसा परिवर्तन किया कि हिन्दुओं की अय्याशियाँ मिटा डाली और उनको तबाही से बचा लिया। जब हज़रत बुद्ध पैदा हुए उस समय वाममार्गियों का बड़ा जोर था। जिनका धर्म यह है कि माँ-बहन से व्यभिचार करना बहुत पुण्य का काम है। यह लोग अब भी मौजूद हैं और उनमें से कुछ ये कर्म करते हैं और उसे दोष नहीं समझते। उनमें से कुछ विरक्त संन्यासी गन्दगी भी खाते हैं उनको मातंगी अर्थात् माँ को अंग बनाने वाले भी कहा जाता है। उस समय जब उनका बड़ा जोर था हज़रत बुद्ध ने इच्छाओं को मिटाने की शिक्षा दी। उस समय तो उस शिक्षा की कोई कद्र न की गई। लेकिन कुछ समय के बाद उस शिक्षा ने लोगों की हालत बदल दी और अब केवल कुछ लाख ही ऐसे लोग हिन्दुस्तान में पाए जाते हैं। हालाँकि हज़रत बुद्ध के समय हिन्दुस्तान में उनका बोलबाला था। इसी तरह अगर यह सवाल हज़रत कृष्ण पर उनके ज़माने में किया जाता कि उन्होंने आकर क्या किया? या हज़रत राम चन्द्र के बारे में कहा जाता कि उन्होंने क्या किया, तो क्या जवाब देते? या हज़रत इस्माईल, हज़रत इस्हाक, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में किया जाए तो मुसलमान क्या जवाब दें। या हज़रत यूसुफ के बारे में पूछा जाए कि उन्होंने अपने ज़माने में क्या किया तो क्या बताएँ? क्या यह कि उन्होंने बादशाह के खज़ानों की दियानतदारी से हिफ़ाज़त की। पर यह क्या काम है? इस प्रकार के दयानतदार तो कई

वुड¹ या फ़ाक्स² नाम के अंग्रेज़ भी मिल जाएँगे।

इसी तरह यरमियाह नबी के बारे में यदि कोई यही सवाल करे तो क्या जवाब दिया जाएगा। क्या यह कि वह अपने ज़माने में रोते-पीटते रहे कि लोग जागते क्यों नहीं। कुछ नबियों के बारे में तो इस प्रकार के जवाब मिल जाएँगे पर कुछ के बारे में तो ऐसे भी न मिलेंगे। पर कौन कह सकता है उनकी शिक्षाओं ने दुनिया में बदलाव नहीं पैदा किया और बड़े-बड़े परिणाम नहीं निकाले। बात यह है कि नबी की ज़िन्दगी में उन बदलावों का जो भविष्य में होने वाले होते हैं केवल बीज नज़र आता है जिसमें से बाद में बड़ा वृक्ष बन जाता है। वृक्ष उनकी ज़िन्दगियों में नहीं दिखाया जा सकता। जो कुछ दिखाया जा सकता है वह बीज होता है उसे दिखाकर कहा जा सकता है कि इससे वृक्ष बन जाएगा।

1. वुड John wood (1811-1871 ई.) ईस्ट इंडिया कम्पनी की बहरियात का सदस्य, बरन्स (Burns) का असिस्टेंट, अफ़ग़ानिस्तान के सफ़र में वादी-ए-काबुल के बारे में रिपोर्ट तैयार की और जीहू नदी का मुख्य स्रोत तलाश किया, सिन्ध में मृत्यु पाई

(उर्दू जामेअ इन्साइक्लोपीडिया जिल्द-2 पृष्ठ 1795 मुद्रित 1988 ई, लाहौर)

2. फ़ाक्स Fox Charles james (1749-1806 ई.) अंग्रेज़ राजनीतिज्ञ, दूरदर्शी और योग्य वक्ता थे। हिन्दुस्तान के लोगों से बहुत हमदर्दी थी। उसने 1773 ई. में पार्लियमेन्ट में एक बिल पेश किया जिसे Fox Indian Bill कहते हैं इस बिल का उद्देश्य यह था कि हिन्दुस्तान की हुकूमत ईस्ट इंडिया कम्पनी से छीनकर सात सदस्यों की एक कमेटी के सुपुर्द की जाए।

इन्क़लाबी जंग में उसने ब्रिटिश पार्लियमेन्ट में अमेरिकी नव आबादियात की हिमायत की। यह बड़ा ही मिलनसार और हमदर्द आदमी था। सन् 1806 ई. में इसे विदेश मामलों का सेक्रेटरी बनाया गया।

(पापुलर तारीख ब्रिटेन पृष्ठ 239, 240, मुद्रित लाहौर 1940 ई.-उर्दू जामेअ इन्साइक्लोपीडिया जिल्द 2 पृष्ठ 1054 मुद्रित लाहौर 1988 ई.)

तात्पर्य यह कि तमाम नबियों की जिन्दगियों पर गौर करने से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि नबी बहुत बारीक रूहानी असर दुनिया में छोड़ते हैं जो जाहिरी तौर पर समझा जा सकता है। हाँ अक़ली तौर पर नहीं देखा जा सकता है कि नबी ने ऐसी चीज़ छोड़ी है जो बहुत बड़ा असर पैदा कर सकती है।

नबी की मिसाल उस बारिश की तरह होती है जो एक समय तक रुकी रहने के बाद बरसती है बारिश न होने के कारण हाथ पाँव फटने लग जाते हैं पेड़ सूखने लगते हैं लेकिन जब बारिश होती है तो अपने आप हाथों में नमी आ जाती है। हरियाली पैदा हो जाती है और कई प्रकार की हालतें जाहिर होनी शुरू हो जाती हैं।

अतएव यह सवाल कि अमुक नबी ने प्रारंभिक जीवनकाल में क्या किया, बहुत सूक्ष्म होता है और मोमिन का काम यह है कि बड़ी सावधानी से उस पर गौर करे। यदि कोई व्यक्ति एक नबी को इसलिए छोड़ता है कि उसके प्रारंभिक जीवनकाल में उसे कोई जाहिरी काम नज़र नहीं आता और बहुत बड़ी कामयाबी और बदलाव दिखाई नहीं देता तो उसे सब नबियों को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि यदि उसका यह पैमाना ठीक है तो पिछले नबियों को भी इस पर परखना चाहिए और उनको भी छोड़ देना चाहिए।

लेकिन चूँकि नबियों की सच्चाई के क़ायल (मानने वाले) हैं इसलिए उन्हें यह भी मानना पड़ेगा कि नबियों के बारे में गौर करते समय बहुत बारीक विषयों को देखना चाहिए। इस भूमिका के बाद बताना चाहता हूँ कि हजरत मसीह नासरी अलैहिस्सलाम के बारे में क़ुर्आन और हदीस में जो कुछ काम बताया गया है वह कोई मुसलमान ले ले और जो इन्जील में बताया गया है वह ईसाई ले ले। मैं दावा करता हूँ

कि जो काम उनका बताया जाएगा उस एक-एक काम के मुकाबले में सौ-सौ काम उससे अधिक बड़ी शान के, मैं हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के पेश कर दूँगा। यदि कोई यह कहे कि हजरत मसीह मुर्दे जिन्दे किया करते थे तो मैं कहूँगा कि कुर्आन से बताओ कि वो कैसे मुर्दे जिन्दा किया करते थे। फिर जैसे साबित हों वैसे एक की तुलना में सौ मैं हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जिन्दा किए हुए बता दूँगा। पर मैं पहले बता चुका हूँ कि मुर्दे जिन्दा करना काम नहीं। उसे यदि हम जाहिरी अर्थों में लें तो वह चमत्कार कहलाएगा इसी तरह बीमारों को अच्छा करना भी काम नहीं है और यह तो वैद्य (हकीम) भी करते हैं। हाँ चमत्कार के परिणाम, काम कहला सकते हैं उदाहरणतः यह कि उन चमत्कारों के द्वारा उन्होंने लोगों में पाकीजगी पैदा की। मगर जो कोई इस प्रकार के यह निशान भी साबित करे मैं उस एक के मुकाबले में इन्शाअल्लाह सौ-सौ पेश कर दूँगा। इनके अतिरिक्त कुर्आन और हदीस से मुसलमान या इन्जील से ईसाई जो काम साबित करें उनके मुकाबले में मैं हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सौ-सौ दिखा दूँगा।

अब मैं हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के काम बयान करना शुरू करता हूँ। लेकिन यह बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि नबी के जो रूहानी काम होते हैं वही असल काम होते हैं और वही महत्वपूर्ण होते हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं बयान करूँगा। क्योंकि यदि मैं रूहानी काम पेश करूँ तो एक ग़ैर अहमदी कह सकता है कि यह आपका दावा है इसे किस तरह मान लिया जाए। उदाहरण के तौर पर नबी का असली और वास्तविक काम यह है कि लोगों का खुदा तआला से सम्बन्ध जोड़ दे। अब यदि यह कहूँ कि हजरत मिर्ज़ा

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कारनामे साहिब ने अपने मानने वालों का ख़ुदा तआला से संबंध जोड़ दिया तो ग़ैर अहमदी कहेगा यह आपका दावा है। इसे हज़रत मिर्जा साहिब को न मानने वाला किस तरह स्वीकार कर सकता है। इसलिए मैं ऐसी बातों को छोड़ता हूँ और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दूसरे मोटे-मोटे काम बयान करता हूँ जो दूसरों के लिए भी स्वीकार योग्य हों।

पहला काम -

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का पहला काम यह है कि जिसमें सारे नबी शामिल हैं कि नबी ख़ुदा तआला के होने का सबूत उसकी व्यापक विशेषताओं से दिया करता है। ख़ुदा तआला दुनिया से ओझल होता है और नबी उसका सबूत उसकी व्यापक विशेषताओं से देते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जिस ज़माने में पैदा हुए उस ज़माने में भी ख़ुदा तआला से लोगों का सम्बन्ध बिल्कुल ही न रह गया था। स्रष्टा और मालिक की हक़ीक़त का कोई सबूत न था बल्कि यह केवल किताबों में ही लिखा रह गया था कि ख़ुदा हर एक चीज़ का स्रष्टा और मालिक है। जब मुसलमानों से पूछा जाता कि ख़ुदा के स्रष्टा होने का क्या सबूत है? तो वे कहते कुर्आन में लिखा है, या कहते क्या तुम नहीं मानते कि ख़ुदा स्रष्टा है और यदि वह स्रष्टा नहीं तो फिर दूसरा कौन है? ऐसे समय में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ख़ुदा तआला की याद को जो वास्तव में मिट चुकी थी उसकी व्यापक विशेषताओं के साथ क्रायम किया। मैंने अभी बताया था कि निशान अपने आप में काम नहीं होता, हाँ निशान का परिणाम काम होता है। इस समय मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के काम

हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कारनामे

प्रस्तुत नहीं कर रहा बल्कि यह बता रहा हूँ कि हजरत मिर्जा साहिब ने निशान दिखाकर खुदा तआला को व्यापक विशेषताओं के साथ लोगों पर स्पष्ट किया। जैसे कि हजरत मिर्जा साहिब का एक इस्लाम है जो प्रारम्भिक समय का है कि:-

“दुनिया में एक नज़ीर (सचेतक) आया पर दुनिया ने उस को क्रबूल न किया लेकिन खुदा उसे क्रबूल करेगा और बड़े ज़ोर आवर हमलों से उसकी सच्चाई ज़ाहिर कर देगा”।

(तज़िकर: पृष्ठ 104 संस्करण चतुर्थ सन 1977 ई. बराहीन अहमदिया भाग-4
पृष्ठ-557 हाशिया दर हाशिया न. 4)

यह इल्हाम हजरत मिर्जा साहिब ने उस समय प्रकाशित किया जब आपको यहाँ के लोग भी नहीं जानते थे। मेरे ज़माने में हमारे एक रिश्तेदार ने जो पास के गाँव के रहने वाले हैं बैअत की और बताया कि मैं यहाँ आया करता था। आपके घर भी आया करता था लेकिन हजरत मिर्जा साहिब को न जानता था, बल्कि हजरत मिर्जा साहिब ऐसे गुमनाम इन्सान थे कि रिश्तेदार भी आपको न जानते थे। क्रादियान के लोग आप को नहीं जानते थे ऐसे ज़माने में आपको खुदा तआला ने कहा:-

“दुनिया में एक नज़ीर (सचेतक) आया पर दुनिया ने उसको स्वीकार न किया। लेकिन खुदा उसे क्रबूल करेगा और बड़े ज़ोर आवर हमलों से उसकी सच्चाई ज़ाहिर कर देगा”।

(तज़िकर: पृष्ठ 104 संस्करण चतुर्थ)

देखो इसमें कैसी महान ख़बर दी गई है। क्या कोई इन्सान किसी इन्सानी तद्बीर से ऐसी भविष्यवाणी कर सकता है। यह इल्हाम हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मामूरियत से पहले हुआ। जिसमें एक

तो यह पेशगोई थी कि आप ज़िन्दा रहेंगे और मामूरियत का दावा करेंगे। दूसरी पेशगोई यह थी कि जब आप दावा करेंगे तो दुनिया आपको टुकरा देगी। तीसरी पेशगोई यह थी कि दुनिया कोई मामूली मुखालिफ़त न करेगी बल्कि आप पर हर प्रकार के हमले किए जाएँगे। चौथी पेशगोई यह थी कि वे हमले खुदा की ओर से रद्द किए जाएँगे और दुनिया पर अज़ाब नाज़िल होंगे। पाँचवी पेशगोई यह थी कि अन्ततः आपकी सच्चाई ज़ाहिर हो जाएगी।

ये कोई साधारण बातें नहीं जो समय से पूर्ण और उस समय बतलायी गयी थीं जब ज़ाहिरी हालात बिल्कुल उलट थे। प्रारंभ से ही हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का स्वास्थ्य बहुत कमज़ोर था। कई बार बीमारी के हमलों के समय आस-पास बैठने वालों ने समझा कि आप मृत्यु पा गए हैं। लेकिन उसके बावजूद आपने कहा कि वह समय आने वाला है जब खुदा की ओर से मामूरियत (आदेशित) होने का दावा किया जाएगा। दूसरी बात यह कि लोग मुखालिफ़त करेंगे। यह बात भी हर एक को नसीब नहीं होती। ज़िला गूज़राँवाला के एक व्यक्ति जिसने मामूरियत का दावा किया उसके कई खत मेरे पास आते रहे कि आप यदि मुझे सच्चा नहीं समझते तो मेरे खिलाफ़ क्यों नहीं लिखते और “अलफज़ल” को क्या हो गया है कि वह भी कुछ नहीं लिखता, समर्थन में नहीं तो खिलाफ़ ही लिखे। मैंने दिल में सोचा कि मुखालिफ़त भी खुदा ही की ओर से कराई जाती है क्योंकि यह भी तब्लीग़ा (प्रचार) का साधन होती है। इसी तरह चकड़ालवियों के अखबार में कई बार उसके एडीटर की ओर से लिखा हुआ मिला कि मेरा जवाब क्यों नहीं दिया जाता।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाद पाँच सात मुद्दई

खड़े हुए। जैसे जहीरूद्दीन, अब्दुल लतीफ़, मौलवी मुहम्मद यार, अब्दुल्ला तीमापुरी, नबी बख़्श इत्यादि। ये तो घोषणा करने वाले नबी हैं। इन के अलावा छोटे-मोटे और भी नबी हैं उनकी मुखालिफ़त भी नहीं हुई। उन दावेदारों ने खड़े होकर दिखा दिया कि जो लोग यह कहते हैं कि चूँकि मिर्ज़ा साहिब की लोगों ने मुखालिफ़त की इसलिए वह सच्चे नहीं, वे ग़लती पर हैं। झूठा दावा करने वाले को तो मुखालिफ़त भी नसीब नहीं होती।

फिर मुखालिफ़तें मौखिक रूप तक ही सीमित रहती हैं। लेकिन हजरत मिर्ज़ा साहिब के बारे में ख़ुदा तआला ने तीसरी पेशगोई यह फ़रमाई कि साधारण मुखालिफ़त न होगी। बल्कि ऐसी होगी जिसको रद्द करने के लिए ख़ुदा तआला जोर आवर हमले करेगा अर्थात् सख़्त हमलों के साथ-साथ दूसरे भी कई प्रकार के हमले होंगे और कई जमाअतों की ओर से होंगे। इससे ज्ञात हुआ कि दुश्मन भी सख़्त हमले करेंगे और कई प्रकार के करेंगे जिनके मुक़ाबले में ख़ुदा तआला को भी उस प्रकार का जवाब देना पड़ेगा। अतः मुखालिफ़ों ने आप पर तरह-तरह के हमले किए और यह हमले इस हद तक पहुँच गए कि एक ओर तो सरकार आपको गिरफ़्तार करने के लिए बैठी थी दूसरी ओर पीर, गद्दीनशीन और मौलवी आपकी मुखालिफ़त के साथ-साथ आपके ख़ून के प्यासे थे। आम मुसलमानों ने भी कोई कमी नहीं उठा रखी थी बल्कि आपके ख़िलाफ़ षड्यंत्र पर षड्यन्त्र रचे। हिन्दुओं, सिक्खों, ईसाइयों और शेष सारी क्रौमों ने भी नाख़ुनों तक जोर लगाया कि आपको तबाह कर दें। आपको क्रत्ल करने की कोशिशें की गयीं। आप पर तोहमत लगाए गए। आपकी मान-मर्यादा, दियानत और अमानत, संयम और सदाचार पर हमले किए गए, पर सब नाकाम रहे और आपकी इज़्जत

बढ़ती गई। चौथी पेशगोई यह थी कि उन हमलों के मुक्राबले में खुदा तआला की ओर से भी हमले होंगे अतः ऐसा ही हुआ। जिसने जिस रूप में आप पर हमला किया उसी रूप में वह पकड़ा गया। पाँचवी पेशगोई जो आखिरी थी वह यह थी कि खुदा तआला आपकी सच्चाई जाहिर कर देगा। उसके सबूत में यह जलसा आपके सामने है। इस समय पूरी दुनिया में आपके मानने वाले मौजूद हैं। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका के अतिरिक्त एशिया के हर इलाके में मौजूद हैं। क्या यह अजीब बात नहीं है कि दुनिया के चालीस करोड़ मुसलमान कहलाने वालों के हाथों से अफ्रीका के निवासी इतने मुसलमान नहीं हुए जितने अहमदियों की छोटी सी जमाअत की कोशिशों से हुए हैं। इस समय एक ऐसे अमेरिकन मुसलमान के मुक्राबले में सौ अहमदी अमेरिकन हैं। इसी तरह हालैण्ड में जहाँ दूसरे मुसलमानों का बनाया हुआ एक भी मुसलमान नहीं वहाँ भी अहमदी मुसलमान मौजूद हैं और कई ऐसे देश हैं जहाँ अहमदी निवासियों की संख्या उस देश के मुसलमानों से अधिक है। यह कितना बड़ा निशान है और जोरआवर हमलों से हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सच्चाई जाहिर होने का कितना बड़ा सबूत है।

हिन्दुस्तान में ही देख लो दूसरों की अपेक्षा जमाअत अहमदिया की कैसी कमजोर हालत है मगर कितनी तरक्की कर रही है। किसी ने कहा है स्वामी दयानन्द और हसन बिन सबाह के मानने वालों ने भी तरक्की की थी। उन्होंने तरक्की की होगी पर सवाल यह है कि क्या कमजोरी की हालत में उन्होने दावा भी किया था कि ऐसी तरक्की होगी और उस तरक्की के दावे को खुदा तआला की ओर मन्सूब करके प्रकाशित भी क्या था। संयोगिक तौर पर तरक्की हो जाना और बात है और दावे

हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कारनामे

के बाद तरक्की होना और बात है। लार्ड रीडिंग*²

जो वायसराय हिन्द रह चुके हैं, पहले मजदूर थे जो तरक्की करते करते इस स्थान तक पहुँच गए पर यह संयोगिक बातें होती हैं। सच्चाई की निशानी वह तरक्की होती है जिसका पहले से दावा किया जाए और फिर वह दावा पूरा हो जाए।

फिर हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक और इल्हाम है और वह यह है कि खुदा तआला फ़रमाता है:-

“मैं तेरी तब्लीग को दुनिया के किनारों तक पहुँचाऊँगा”।

(तज़िकर: पृष्ठ 312 संस्करण चतुर्थ)

अब देख लो कि दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ असल निवासियों में से दूसरे फ़िर्के के मुसलमान नहीं, लेकिन अहमदी हैं। इससे बढ़कर दुनिया के किनारों तक आपकी तब्लीग के पहुँचने का और क्या प्रमाण हो सकता है।

इसी तरह आपने यह दावा किया था कि मेरी मुखालिफ़त मिटती जाएगी और क्रबूलियत फैलती जाएगी। जब आपने अपना दावा दुनिया के सामने पेश किया तो आपकी भयानक मुखालिफ़त हुई, लेकिन उस समय आपने फ़रमाया :-

वह घड़ी आती है जब ईसा पुकारेंगे मुझे

अब तो थोड़े रह गए हैं दज्जाल कहलाने के दिन

²* (लार्ड रीडिंग 1860 ई-1935 ई.) अंग्रेज़ राजनीतिज्ञ और वकील था। 1910 ई. में इटानी जनरल मुकर्रर हुआ। 1913 ई. से 1921 ई. तक ब्रिटेन का लार्ड चीफ़ जस्टिस और 1921 ई. से 1926 ई. तक हिन्दुस्तान का वायसराय रहा। लार्ड रीडिंग कठोर हृदय वायसराय सिद्ध हुआ। यद्यपि उस ने थोड़े समय के लिए राजनीतिक विद्रोह को दबा दिया। लेकिन उससे सरकार को कोई स्थायी चैन न मिला।

(ऊर्दू जामेअ इन्साइक्लो पीडिया जिल्द-1 पृष्ठ 694, मुद्रित लाहौर 1987 ई.)।

उस समय दज्जाल के सिवा आपका कोई नाम न रखा जाता था लेकिन आज अल्लाह तआला के फ़ज़ल से आपका काम इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि जो लोग अभी आपकी जमाअत में शामिल नहीं हुए उन का भी एक बड़ा भाग कहता है कि आप को दज्जाल नहीं कहना चाहिए, आप ने भी अच्छा काम किया है।

इसी तरह क़ादियान की तरक्की भी एक बहुत बड़ा निशान है। आख़िरी जलसे में जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जीवन काल में हुआ उसमें खाना खाने वाले सात सौ अहमदी थे। उस अवसर पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम सैर के लिए निकले तो इसलिए वापिस चले गए कि लोगों की भीड़ के कारण धूल उड़ती है अब देखो कि यदि सात हजार भी जलसे पर आएँ तो शोर पड़ जाए कि क्या हो गया है क्यों इतने थोड़े लोग आए हैं। हर साल आने वालों में बढ़ोतरी होती है। पिछले साल की सत्ताईस तारीख़ की हाज़िरी की अपेक्षा इस साल की हाज़िरी में नौ सौ की बढ़ोतरी है। मानों जितने लोग हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जीवन काल में आख़िरी जलसे पर आए थे उससे बहुत अधिक आदमियों की बढ़ोतरी हर साल के जलसे की हाज़िरी में हो जाती है।

इसी तरह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की हज़ारों भविष्यवाणियाँ हैं जो किताबों में लिखी हुई हैं।

मैं जलसा के अवसर पर ही एक किताब पढ़ रहा था जिस में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने लिखा है कि “सिराज-ए-मुनीर” एक किताब हम प्रकाशित करेंगे लेकिन उस के प्रकाशन में देरी हो गई। क्योंकि उस के लिए सौ रूपये की आवश्यकता है। मानों वह किताब एक सौ रूपये के लिए उस समय रुकी रही। पर अब हज़रत मसीह

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कारनामे

मौऊद नहीं बल्कि आपके खलीफ़ा ने कहा तो दो लाख बयासी हज़ार के वादे हो गए।*

अतः खुदा तआला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के द्वारा इस तरह अपनी विशेषताओं के सुबूत दिए हैं जिस तरह कि वह पहले अपने नबियों के द्वारा देता चला आया है। मैंने अपनी किताब “अहमदियत” में किसी हद तक विस्तार से इस विषय पर रोशनी डाली है कि किस तरह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के द्वारा खुदा तआला की विशेषताओं का प्रकटन हुआ है। लेकिन उस किताब में भी पूरे विस्तार से नहीं लिख सका। लेकिन खुदा ने चाहा तो किसी समय खुदा तआला की उन सारी सिफ़ात के बारे में जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के द्वारा जाहिर हुईं एक किताब लिखूंगा और बताऊंगा कि आपके द्वारा खुदा तआला की सारी सिफ़ात साबित हुईं हैं और यही नबी का काम होता है।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का दूसरा काम -

नबी का एक काम यह होता है कि वह एक काम करने वाली जमाअत पैदा कर जाता है। हमारी जमाअत की कमज़ोरी धन की दृष्टि से भी देखो और संख्या की दृष्टि से भी। फिर उसकी तुलना में इसके कामों की व्यापकता को देखो। कोई व्यक्ति इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि जो काम जमाअत अहमदिया कर रही है वह काम कोई दूसरी क्रौम नहीं कर रही ग़ैर अहमदी अखबारों में छापता रहता है कि काम करने वाली एक ही जमाअत है और वह जमाअत अहमदिया

*हुज़ूर का यह संकेत रिज़र्व फंड के बारे में था। जिसकी तहरीक पर लोगों ने जो वादे लिखवाए उनकी सारी रक़म दो लाख बयासी हज़ार रुपए हो गयी थी।

है। रूस, फ्रांस, हालैण्ड, आस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैण्ड इत्यादि देशों में हमारी ओर से इस्लाम की तब्लीग हुई। अब तो लोग हम से कह रहे हैं कि हमारे देश में आकर तब्लीग करो। अतः ईरान से मांग आई है कि “बहाइयों” के मुकाबला के लिए अहमदियों को आना चाहिए। कुछ लोग तुलना में आर्यों का काम प्रस्तुत करते हैं, पर उन लोगों के धन की और हमारे धन की तुलना करो। फिर उनके कामों की व्यापकता और हमारे कामों की व्यापकता को देखो। हिन्दुओं में से कई ऐसे धनाढ्य हैं कि वे अकेले इतना रूपया दे सकते हैं कि हमारी सारी जमाअत मिलकर पूरे वर्ष में उतना रूपया नहीं दे सकती, उनमें एक-दो नहीं बल्कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग मौजूद हैं। सारी हिन्दू क्रौम ने मिलकर मलकाना के इलाका में (मुसलमानों को हिन्दू बनाने के लिए शुद्धि के नाम से-अनुवादक) हमला किया। लेकिन जब हमारे मुबल्लिग पहुँचे तो सब भाग गए। उस समय दिल्ली में हिन्दू-मुसलमानों की एक कांन्फ्रेंस हुई जिसमें यह बात पेश हुई कि आओ सुलह कर लें। उस कांन्फ्रेंस को आयोजित करने वाले मुसलमानों की ओर से हकीम अजमल खान साहिब, डाक्टर अन्सारी, मौलवी मुहम्मद अली साहिब और मौलवी अबुल कलाम आजाद साहिब और हिन्दुओं की ओर से श्रद्धानन्द साहिब इत्यादि थे। जैसा कि उलमा का हमारे बारे में रवैया रहा है, कि उन्होंने कहा कि अहमदियों को बुलाने की क्या ज़रूरत है। अतः वे स्वयं ही शर्तें तय करने लगे। लेकिन श्रद्धानन्द जी ने कहा कि अहमदी भी इस इलाके में काम कर रहे हैं, उनको बुलाना चाहिए। इस पर मेरे नाम हकीम अजमल खाँ, डाक्टर अन्सारी और मौलवी अबुल कलाम साहिब का टेलीग्राम आया कि अपने प्रतिनिधि भेजिए। मैंने यहाँ से आदमियों को भेजा और उनसे कहा कि मलकानों के बारे में प्रश्न

उठेगा और कहा जाएगा कि हिन्दू-मुसलमान अपनी-अपनी जगह बैठ जाएँ, हिन्दुओं ने 20 (बीस) हजार मलकानों को मुर्तद कर लिया है। इसलिए जब यह प्रश्न उठे तो आप कहें कि हमें पहले उन 20 हजार मुर्तदों को कलिमा पढ़ा लेने दीजिए, तब इस शर्त पर सुलह होगी और हम यहाँ से वापिस चले जाएँगे। अन्यथा जब तक एक मलकाना भी मुर्तद रहेगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अतएव जब हमारे आदमी कान्फ्रेंस में पहुँचो तो यही प्रश्न प्रस्तुत हुआ और उन्होंने यही बात कही जो मैंने बतलाई थी। इस पर मौलवियों ने कहा अहमदियों की हस्ती ही क्या है, उनको छोड़ दीजिए और हम से सुलह कीजिए। उस समय उन सबके सामने श्रद्धानन्द जी ने उनसे कहा आपके अगर पचास आदमी भी वहाँ हों तो हमें उनकी परवाह नहीं, जब तक एक भी अहमदी वहाँ होगा सुलह नहीं हो सकती। अहमदियों को पहले उस इलाके से निकालो फिर सुलह के लिए आगे बढ़ो।

अतः जमाअत अहमदिया के काम की अहमियत उन लोगों को भी इक्रार है जो जमाअत में दाखिल नहीं हैं। बल्कि जो इस्लाम के दुश्मन हैं वे भी इक्रार करते हैं। अभी कलकत्ता में डाक्टर जैमर के लैक्चर हुए, जो ईसाइयों में से सबसे अधिक इस्लाम की जानकारी का दावा करते हैं। मिस्र में “मुस्लिम वर्ल्ड” नामक एक पत्रिका निकालते हैं। पिछली बार जब आए तो क्रादियान भी आए थे और यहाँ से जाकर कुछ दूसरे शहरों में उन्होंने इश्तिहार भी दिया था कि वह डाक्टर जैमर जो क्रादियान से भी होकर आया है उसका लैक्चर होगा। कुछ समय पूर्व वह कलकत्ता गए और वहाँ एक लैक्चर दिया। प्रोफेसर मौलवी अब्दुल क्रादिर साहिब एम.ए. जो मेरी एक धर्मपत्नी के भाई हैं उनसे कुछ सवाल करने चाहे। इस पर उनसे पूछा कि क्या आप अहमदी हैं?

उन्होंने कहा, हाँ। इस पर उनसे कह दिया गया कि हम अहमदियों से मुबाहसा (शास्त्रार्थ) नहीं करते। मिस्र में उन्हीं की कोशिश से कई लोग ईसाई बना लिए गए हैं। संयोग से एक दिन एक व्यक्ति, अब्दुल रहमान साहिब मिस्री को मिल गया, जो उन दिनों मिस्र में ही थे। उन्होंने उसे उहमदी तर्ज से दलाइल समझाए। वह आदमी पादरी जैमर के पास गया और बातचीत की और कहा कि हज़रत मसीह ज़िन्दा नहीं हैं बल्कि कुर्आन करीम के अनुसार देहान्त पा चुके हैं। उस पादरी ने पूछा कि तुम किसी अहमदी से तो नहीं मिले? उस व्यक्ति ने कहा हाँ मिला हूँ। यह जवाब सुनकर वह घबरा गए और आगे बात करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। तात्पर्य यह है कि ख़ुदा के फ़ज़ल से हमारी जमाअत को धर्म जगत में ऐसी अहमियत मिल रही है कि दुनिया हैरान है और यह सब कुछ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल है और आप के इस काम का कोई इन्कार नहीं कर सकता।

यह बातें जो मैंने बयान की हैं ये भी ईमानियात से सम्बन्ध रखती हैं। इसलिए मैं और नीचे उतरता हूँ और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इल्मी काम बयान करता हूँ।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का तीसरा काम -

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का तीसरा काम यह है कि अल्लाह तआला के गुणों के सम्बन्ध में लोगों के विचारों में जो अन्धविश्वास पैदा हो गया था उसको आपने दूर किया। धर्म में सबसे बड़ी हस्ती ख़ुदा तआला की हस्ती है लेकिन उसकी हस्ती के बारे में मुसलमानों और दूसरे धर्मावलम्बियों में इतना अन्धविश्वास फैल गया था और बुद्धि के विपरीत ऐसी बातें बयान की जाती थीं कि उनके होते

हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कारनामे

हुए अल्लाह तआला की ओर किसी का ध्यान भी नहीं जा सकता था। इस अन्धविश्वास को हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने दूर किया।

खुदा तआला के बारे में लोगों के अन्दर यह ग़लत विचारधाराएँ फैली हुई थीं कि:-

1- लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शिर्क (अनेकेश्वरवाद) में डूबे हुए थे।

2- बहुत से लोग अल्लाह तआला के बारे में यह विश्वास रखते थे कि यदि खुदा है तो वह इल्लतुल इलल् (आधारभूत कारण) है। वे उसकी इच्छा शक्ति के इन्कारी थे और यह समझते थे कि जिस तरह मशीन चलती है उसी तरह खुदा तआला से दुनिया के काम ज़ाहिर हो रहे हैं। यद्यपि वह हजारों कारणों में से एक अन्तिम और सबसे बड़ा कारण है। लेकिन प्रत्यक्ष दशा में उसके ये सब काम एक मजबूरी के रंग में होते हैं। मुसलमान कहलाने वालों में से दर्शनप्रेमी भी इस विचार से प्रभावित हो चुके थे।

3- कुछ लोग यह सोचते थे कि संसार की स्वयं उत्पत्ति हुई है और प्राचीन से है। खुदा तआला का जोड़ने-जाड़ने से अधिक दुनिया से और कोई सम्बन्ध नहीं। बहुत से मुसलमान भी इस ग़लत विचार के शिकार थे।

4- बहुत से लोग खुदा तआला की “दया” का इन्कार भी करने लग गए थे और यह कहते थे कि खुदा में दया का गुण नहीं पाया जाता क्योंकि वह न्याय के विपरीत है।

5- बहुत से लोग खुदा तआला की कुदरत का ऐसा घटिया अन्दाज़ा करने लग गए थे कि उन्होंने खुदा तआला के गुणों के प्रकटन को कुछ हजार वर्ष तक ही सीमित कर दिया था और कहते थे कि

खुदा तआला के गुण केवल उन्हीं कुछ हज़ार वर्ष के अन्दर जाहिर हुए हैं और यदि उस युग को लम्बा भी करते थे तो केवल इतना कि इस संसार की आयु कुछ लाख वर्षों की ही मानते थे और खुदा तआला के गुणों के प्रकटन को उसी युग तक ही सीमित करते थे।

6- कुछ लोग खुदा की शक्ति को ग़लत ढंग से साबित करते हुए यह कहते कि खुदा झूठ भी बोल सकता है, चोरी भी कर सकता है यदि नहीं कर सकता तो ज्ञात हुआ कि उसमें शक्ति ही नहीं है।

7- कुछ लोग खुदा तआला को क्रानून कज़ा व क्रदर जारी करने के बाद बिल्कुल बेकार समझते, जिसके कारण कहते थे कि दुआ करना व्यर्थ है। क्योंकि जब खुदा तआला का क्रानून जारी हो गया कि अमुक कार्य इस तरह हो तो दुआ करने से कोई फ़ायदा नहीं। दुआ से उस क्रानून में रुकावट नहीं पैदा हो सकती।

8- खुदा तआला के गुणों के प्रकट और जारी होने का विषय अबूझ और असंभव समझा जाने लगा था। लोग खुदा तआला के समस्त गुणों को एक ही समय में जारी होने का ज्ञान न रखते थे और समझ ही न सकते थे कि खुदा तआला जो शदीदुल इक्राब (सख्त सज़ा देने वाला) है वह इस गुण के होते हुए एक ही समय में वहहाब (वदान्य) किस तरह हो सकता है। वे आश्चर्य में थे कि क्या एक व्यक्ति के बारे में कहा जा सकता है कि वह बड़ा दानी है और बहुत कंजूस भी है। यदि नहीं तो खुदा के लिए किस तरह कहा जा सकता है कि वह एक ही समय में क्रहहार (प्रकोपी) भी है और रहीम (दयालु) भी।

चूँकि कुर्आन में खुदा तआला के ऐसे गुणों का वर्णन पाया जाता है जो देखने में एक-दूसरे के विरुद्ध लगते हैं। इसलिए वे लोग बहुत आश्चर्य करते थे।

9- कुछ लोग इस विचार में ग्रस्त थे कि हर चीज़ खुदा है और कुछ इस भ्रम में पड़े हुए थे कि एक सिंहासन है खुदा तआला उस पर बैठा हुआ शासन करता है।

10- खुदा तआला की ओर ध्यान ही नहीं रह गया था। यहाँ तक कि जब कोई घर वीरान हो जाता तो कहते कि अब तो इस में अल्लाह ही अल्लाह है। या किसी के पास कुछ न बचता तो कहा जाता कि अब इसके पास अल्लाह ही अल्लाह है। जिसका यह मतलब था कि खुदा तआला एक खाली और वीरानी का नाम है। खुदा तआला की मुहब्बत और उससे मिलने की तड़प बिल्कुल मिट गई थी। जिन्नों और भूतों से मुलाकात, प्यार और नफ़रत के वज़ीफ़ों की इच्छा तो लोगों में थी, पर न थी तो खुदा तआला से मुलाकात की इच्छा।

इन मतभेदों के तूफ़ान के युग में हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इन सब ग़लतियों से धर्म को साफ़ सुथरा किया। सबसे पहले मैं शिर्क को लेता हूँ। आपने शिर्क का पूर्णतः खण्डन किया और तौहीद (एकेश्वरवाद) को उसके पूरे प्रताप के साथ ज़ाहिर किया। आप से पहले मुसलमान उलमा केवल तीन प्रकार का ही शिर्क समझते थे।

1- मूर्तियों, फ़रिश्तों और निर्धारित चीज़ों की इबादत करना। इसके बावजूद आम लोग तो अलग रहे उलमा तक क़ब्रों में सिज्दे करते थे। लखनऊ में एक बड़े मौलवी को मैंने खुद अपनी आंखों से सिज्दे करते देखा है।

2- उलमा यह मानते थे कि किसी में खुदाई विशेषता स्वीकार करना भी शिर्क है। लेकिन यह केवल मुँह से कहते थे। तौहीद का दम भरने वाले बड़े-बड़े वहाबी भी हजरत मसीह की ऐसी विशेषता बयान करते थे जो केवल खुदा से ही संबंध रखती हैं। उदाहरणतः यह कहते

कि वह आसमान पर कई सौ वर्षों से बैठे हुए हैं न खाते हैं न पीते हैं न उन पर कोई बदलाव आता है और यह भी मानते हैं कि कई लोगों ने मुर्दे ज़िन्दा किए थे और मसीह ने तो मुर्दे ज़िन्दा करने के आलावा परिन्दे (पक्षी) भी पैदा किए थे।

3- बड़े-बड़े आलिम और धर्म के ज्ञाता यह माना करते थे कि चीजों पर भरोसा करना अर्थात् यह समझना कि कोई चीज़ स्वयं लाभ पहुँचा सकती है यह भी शिर्क है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई यह समझता है कि अमुक दवा बुखार उतार देगी तो वह शिर्क करता है। मूलतः यह समझना चाहिए कि अमुक दवा खुदा तआला के दिए हुए असर से फ़ायदा देगी। क्योंकि जब तक हर चीज़ में खुदा ही का जलवा नज़र न आए उस समय तक उससे फ़ायदे की उम्मीद रखना शिर्क है।

यह शिर्क की बहुत अच्छी परिभाषा है। पर हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इससे भी श्रेष्ठ परिभाषा की है जिसका उदाहरण पिछले तेरह सौ वर्षों में नहीं मिलता। आपने तौहीद (एकेश्वरवाद) के बारे में विभिन्न किताबों में लेख लिखे हैं। उनका सारांश यह है कि जो बातें लोगों ने बयान की हैं उनसे बढ़कर और उनसे श्रेष्ठ कामिल (व्यापक) तौहीद का एक और दर्जा है। पिछले उलमा ने तौहीद का आखिरी दर्जा यह बयान किया था कि हर चीज़ में खुदा तआला का हाथ काम करता हुआ दिखाई दे। यद्यपि यह सही है, पर है तो आखिर अपना ही विचार। क्योंकि जो व्यक्ति अपने दिमाग़ में यह विचार बैठा लेता है कि सब कुछ अल्लाह तआला ही की तरफ़ से हो रहा है वह उस तौहीद को स्वयं रच रहा है और अपनी रची हुए तौहीद, कामिल (व्यापक) तौहीद नहीं कहला सकती। तौहीद वही कामिल होगी जो खुदा तआला की तरफ़ से जाहिर हो जिसके द्वारा खुदा तआला स्वयं

अपने सिवा दूसरी को मिटा डाले और यही तौहीद असली तौहीद है। इसी को हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने, कुर्आन करीम ने और सारे नबियों ने प्रस्तुत किया है अर्थात् बन्दा अल्लाह तआला के इतने निकट हो जाए कि उसे इस बात की आवश्यकता ही न रहे कि वह सोचे कि खुदा तआला एक है बल्कि खुदा तआला अपने एक होने को स्वयं उसके लिए प्रकट कर दे और हर चीज़ में खुदा तआला उसके लिए अपना हाथ दिखाए और हर चीज़ उसके लिए एक स्वच्छ दर्पण की तरह हो जाए जिस तरह कि वह अपने आपको बीच से मिटा देता है और उसके दूसरी ओर हर चीज़ नज़र आने लगती है। इसी प्रकार पूरी दुनिया की चीज़ें ऐसे व्यक्ति के लिए दर्पण के समान हो जाएँ और वह उनमें अपने विचारों से अल्लाह तआला को न देखे, बल्कि अल्लाह तआला अपनी विशेषताओं को विशेष रूप से प्रकट करके हर चीज़ में से उसे दिखाई देने लगे।

हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं - केवल अक्रीदा रखना कि हर चीज़ में खुदा का हाथ है यह पहले दर्जा की तौहीद नहीं। बल्कि पूर्ण और पहले दर्जा की तौहीद यह है कि खुदा तआला हर चीज़ में से अपना हाथ दिखाए। जब ऐसा हो तब खुदा तआला सचमुच हर चीज़ में नज़र आता है।

यह ऐसी तौहीद है जो अक्रीदा (आस्था) से सम्बन्ध नहीं रखती, बल्कि मनुष्य के सारे कर्मों पर हावी है। एक मुसलमान के सामाजिक, राजनैतिक एवं रहन-सहन और आचार-व्यवहार के शिष्टाचार अर्थात् हर प्रकार की ज़िन्दगी पर हावी है। जब मनुष्य खाना खाए तो खुदा उस खाने में अपना जलवा दिखा रहा हो और खाने की सारी ज़रूरतों और उसकी हदों को उस पर प्रकट कर रहा हो और अपना तेज प्रकट कर

रहा हो। जब पानी पिए तो भी इसी तरह हो, जब दोस्तों से मिले तब भी ऐसा ही हो। तात्पर्य यह कि हर एक काम जो वह करे खुदा तआला उसके साथ हो और उसमें अपनी कुदरत उसके लिए ज़ाहिर कर रहा हो।

यह कामिल (व्यपाक) तौहीद का दर्जा है। जब किसी को यह हासिल हो जाए तो इसके बाद किसी प्रकार का सन्देह शेष नहीं रहता और इसी तौहीद पर ईमान लाना मोक्ष निर्भर है और इसी की ओर कुर्आन करीम की इस आयत में संकेत है कि

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا
بٰطِلًا - سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(अले इमरान - 192)

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि जो लोग खड़े बैठे और पहलुओं की हालत में भी ज़मीन और आसमानों की उत्पत्ति के बारे में ग़ौर फ़िक्र करते हैं, खुदा उनके सामने आ जाता है और वे एकदम पुकार उठते हैं का:-

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بٰطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(अले इमरान - 192)

हे हमारे पालनहार! यह चीज़ें जो तूने बनाई थीं व्यर्थ न थीं। उनके द्वारा हम तुझ तक आ गए हैं। तू पवित्र है अब हमें आग के अज़ाब से बचा ले। अर्थात् ऐसा न हो कि हम इस मक़ाम और मर्तबा से हट जाएँ और आप से जुदाई की आग हमें भस्म कर दे।

अब इससे पहले कि मैं उन दूसरी भ्रान्तियों को दूर करने का

हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कारनामे

वर्णन करूँ जो खुदा के बारे में लोगों में फैली हुई थीं। मैं यह बताना चाहता हूँ कि उन सब भ्रान्तियों को दूर करने के लिए हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक मूल सिद्धान्त प्रस्तुत किया है जो उन सब भ्रान्तियों को दूर कर देता है और वह मूल सिद्धान्त यह है कि

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

(अश्शूरा - 12)

कि अल्लाह तआला किसी चीज़ के समान नहीं है। अतः हम किसी सृष्टि से उसकी तुलना नहीं कर सकते। उसके बारे में हम जो कुछ कह सकते हैं वह स्वयं उसकी विशेषताओं पर आधारित होना चाहिए अन्यथा हम ग़लती में पड़ जाएँगे। हमें देखना चाहिए कि खुदा तआला के बारे में हम जो अक़ीदा रखते हैं वह उसकी उस दूसरी विशेषता के विपरीत तो नहीं जो हम स्वीकार करते हैं। यदि विपरीत है तो निःसन्देह हम ग़लती पर हैं क्योंकि खुदा तआला की विशेषताएँ परस्पर एक-दूसरे के विपरीत नहीं हो सकतीं।

इस मूल सिद्धान्त को बतलाकर एक तरफ़ तो आपने उन भ्रान्तियों को दूर कर दिया जो मुसलमानों में पाई जाती थीं और दूसरे धर्मों की ग़लतियों की भी हक़ीक़त खोलकर रख दी।

मैंने बताया था कि अल्लाह तआला के बारे में लोगों में कई प्रकार की भ्रान्तियों पाई जाती थीं। जिनमें से तौहीद के सम्बन्ध में जो सुधार हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने किया है उसे मैं ऊपर बयान कर चुका हूँ और जो दूसरी भ्रान्तियाँ हैं उन सब का सुधार हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ऊपर बयान हुए सिद्धान्त के अनुसार किया है।

दूसरी ग़लती अल्लाह तआला के बारे में विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में यह पैदा हो रही थी कि वे उसे समस्त कारणों का

आधारभूत ठहराते थे अर्थात् उसकी इच्छा शक्ति के इन्कारी थे। उस भ्रान्ति का निवारण हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला के गुण “हकीम” और “क्रदीर” से किया है। सारे धर्म खुदा के हकीम और क्रदीर होने को स्वीकार करते हैं और यह स्पष्ट है कि यदि वह हकीम और क्रदीर है तो इल्लतुल इलल (समस्त कारणों का आधारभूत) नहीं हो सकता, बल्कि व इच्छाशक्ति के साथ स्रष्टा है। कोई बुद्धिमान किसी मशीन को हकीम (बुद्धिमान) नहीं कहेगा अतएव यदि खुदा तआला हकीम है तो इल्लतुल इलल (अर्थात् समस्त कारणों का आधारभूत) नहीं हो सकता। कोई दर्जी यह नहीं कहेगा कि मेरी सिंगर की मशीन बहुत बुद्धिमान है या बड़ी हकीम है। हिकमत वाला उसे कहा जाता है जो अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। फिर खुदा तआला क्रादिर है और अरबी में क्रादिर का अर्थ है अन्दाजा करने वाला। अर्थात् जो हर इक काम का अन्दाजा करता हो और देखता हो कि किस चीज की दशानुसार क्या ताकतें या क्या सामान हैं। अर्थात् यह निर्णय करे कि गर्मी के लिए क्या क्रानून होंगे सर्दी के लिए क्या। किस-किस जानवर की कितनी उम्र हो। और यह अन्दाजा कोई बिना इरादा वाली हस्ती नहीं कर सकती। अतः खुदा तआला की क्रदीर और हकीम नामक विशेषताएँ उसके इरादा को साबित कर रही हैं और उसे क्रदीर और हकीम मानते हुए इल्लतुल इलल (तमाम कारणों का आधारभूत) नहीं कहा जा सकता।

3- तीसरे प्रकार के वे लोग थे जो यह कहते थे कि संसार की उत्पत्ति स्वयं से हुई है, खुदा ने नहीं की। अर्थात् खुदा आत्मा और शरीर का स्रष्टा नहीं। इसका जवाब आपने खुदा की विशेषता “मालिक” और “रहीम” होने से दिया और फ़रमाया कि खुदा तआला की दो बड़ी

विशेषताएँ मालिकीयत और रहीमियत हैं। अब यदि खुदा ने दुनिया को पैदा नहीं किया तो फिर उस पर अधिकार जमाने का भी उसे कोई हक नहीं है। यह अधिकार उसे कहाँ से मिल गया? अतः जब तक खुदा तआला को संसार का स्रष्टा न मानोगे तब तक संसार का मालिक भी नहीं मान सकते।

खुदा तआला की दूसरी विशेषता रहीमियत है। रहीम का अर्थ है वह हस्ती जो मनुष्य के काम का अच्छा से अच्छा प्रतिफल दे। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि खुदा किसी चीज़ का स्रष्टा नहीं है तो वे प्रतिफल उसके पास कहाँ से आएँगे जो लोगों को अपनी इस विशेषता के अन्तर्गत देगा। हमारे देश में एक कहावत मशहूर है कि “हलवाई की दूकान पर दादा जी की फ़ातिहा”। कहते हैं कि किसी आदमी ने अपने दादा की फ़ातिहा दिलानी थी। वह कुछ खर्च करना नहीं चाहता था और मौलवी बिना किसी उम्मीद के फ़ातिहा पढ़ने को तैयार न थे। अन्त में उसने यह युक्ति सोची कि मौलवियों को लेकर एक हलवाई की दुकान पर पहुँचा और उनसे कहा फ़ातिहा पढ़ो। उन्होंने समझा कि इसके बाद मिठाई बँटेगी। लेकिन जब वे फ़ातिहा पढ़ चुके तो वह खामोशी से वहाँ से चला गया। यदि खुदा किसी चीज़ का स्रष्टा ही नहीं है तो प्रतिफल कहाँ से आएँगे और वह कहाँ से देगा। आर्य चाहे प्रतिफल सीमित ही मानें लेकिन मानते तो हैं और प्रतिफल खुदा तआला तब तक नहीं दे सकता जब तक वह स्रष्टा न हो। जो स्वयं कंगाल हो वह प्रतिफल क्या देगा?

4- चौथी प्रकार के वे लोग थे जो खुदा तआला की विशेषता रहीमियत को नहीं मानते थे। उन लोगों को हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने खुदा तआला की विशेषता रहमानीयत और मालिकीयत

से जवाब दिया। उदाहरण के तौर पर ईसाइयों के धर्म की बुनियाद ही इस बात पर है कि खुदा आदिल (न्यायी) है इसलिए वह किसी का गुनाह माफ नहीं कर सकता। इसलिए उसे दुनिया के गुनाह माफ करने के लिए एक क्रफ़ारा की आवश्यकता पड़ी ताकि उसका रहम भी क्रायम रहे और अदल भी। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, निःसन्देह खुदा आदिल (न्यायी) है लेकिन अदल उसकी सिफ़्त (विशेषता) नहीं। अदल उसकी सिफ़्त होती है जो मालिक न हो। मालिक की सिफ़्त रहम होती है। हाँ जब मालिक का रहम काम के बराबर ज़ाहिर हो तो उसे भी अदल कह सकते हैं। चूँकि खुदा तआला मालिक और रहमान भी है। इसलिए इसके दूसरी चीज़ों पर चरितार्थ नहीं किया जा सकता। देखो खुदा तआला ने इन्सान को बिना किसी अमल के कान, नाक, आंखें इत्यादि प्रदान किया है। क्या कोई ऐतराज़ कर सकता है कि यह उसके अदल के ख़िलाफ़ है। अतः यदि खुदा इन्सान के बिना किसी हक़ के ये चीज़ें उसे दे सकता है तो फिर वह इन्सान के गुनाह क्यों माफ नहीं कर सकता। इसी तरह वह मालिक भी है और मालिक होने की हैसियत से माफ़ करने से उसके अदल पर कोई आँच नहीं आती। एक जज निःसन्देह आम हालात में मुजरिम का जुर्म माफ़ नहीं कर सकता। क्योंकि उसे फैसले का हक़ पब्लिक की तरफ़ से मिलता है और दूसरों के हक़ माफ़ करने का किसी को अधिकार नहीं होता। लेकिन यदि खुद तआला माफ़ करे तो उस पर कोई ऐतराज़ नहीं क्योंकि उसे निर्णय का अधिकार दूसरों से नहीं मिला। बल्कि मालिक और स्रष्टा होने के कारण माफ़ करना अदल के विपरीत नहीं।

5- पाँचवी प्रकार के वे लोग थे जो खुदा के स्रष्टा होने की विशेषता को एक युग तक ही सीमित करते थे। उनको आपने खुदा

तआला की विशेषता “क्रय्यूम” से जवाब दिया। फ़रमाया, कि ख़ुदा तआला की विशेषताएँ इस बात का तकाज़ा करती हैं कि वे कभी समाप्त न हों बल्कि सदैव जारी रहें। क्रय्यूम का अर्थ है क्रायम रखने वाला, और यह विशेषता समस्त विशेषताओं पर हावी है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि ख़ुदा तआला की विशेषताएँ कभी समाप्त नहीं हो सकतीं। आपने जो आधार प्रस्तुत किया और जो थ्योरी बयान की है, वह दूसरों से अलग है। कुछ लोग यह कहते हैं कि ख़ुदा तआला ने अमुक समय से दुनिया को पैदा किया, मानो उससे पहले ख़ुदा असमर्थ था और कुछ लोग यह कहते हैं कि दुनिया सदैव से है मानो वह ख़ुदा तआला की तरह सदैव से है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, ये दोनों बातें ग़लत हैं। यह मानना कि किसी समय ख़ुदा में यह विशेषताएँ नहीं थीं, यह ख़ुदा तआला की क्रय्यूम नामक विशेषता के विपरीत है। इसी तरह यह कहना भी कि जब से ख़ुदा तआला है तभी से दुनिया चली आ रही है, यह भी ख़ुदा की विशेषताओं के खिलाफ़ है। शायद कुछ लोग कहेंगे कि दोनों बातें किस तरह ग़लत हो सकती हैं दोनों में से एक न एक तो सही होनी चाहिए। लेकिन उनका यह विचार दुनिया की चीज़ों पर कल्पना करने के कारण से है। वस्तुतः कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मनुष्य की बुद्धि की पहुँच से दूर होती हैं और बुद्धि उनकी तह तक नहीं पहुँच सकती। चूँकि संसार की उत्पत्ति मनुष्यों, निर्जीवों बल्कि अणुओं और निर्जीव चीज़ों की उत्पत्ति से भी पहले की घटना है। इसलिए मनुष्य की बुद्धि उसको नहीं समझ सकती। लोगों की ओर से जो दो विचारधाराएँ प्रस्तुत की जाती हैं उन पर ग़ौर करके देख लो कि दोनों स्पष्टतः ग़लत नज़र आते हैं। यदि कोई यह कहता है कि जब

से ख़ुदा है तभी से संसार है तो फिर इस संसार को भी ख़ुदा तआला की तरह सदैव से मानना पड़ेगा और यदि कोई यह कहे कि संसार की उत्पत्ति करोड़ो या अरबों वर्षों में सीमित है तो फिर उसे यह भी मानना पड़ेगा कि ख़ुदा तआला पहले निकम्मा था केवल कुछ करोड़ या अरब वर्ष से वह स्रष्टा बना है। यह दोनों बातें ग़लत हैं। सच यही है कि इस विषय की पूरी गहराई को मनुष्य पूरी तरह समझ ही नहीं सकता। सच्चाई इन दोनों दावों के बीच में है। यह विषय भी उसी तरह आश्चर्यजनक है जिस तरह समय और स्थान का विषय है, कि इन दोनों को सीमित या असीमित मानना दोनों ही बुद्धि के विपरीत नज़र आते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस बहस को इस तरह हल किया है कि न ख़ुदा तआला की स्रष्टा होने की विशेषता कभी समाप्त हुई और न दुनिया ख़ुदा के साथ चली आ रही है। सच्चाई इन दोनों बातों के बीच है और उसकी व्याख्या आप ने यह की है कि सृष्टि क्रदामत नौआ (अर्थात् सृष्टि को एक प्रकार की प्राचीनता प्राप्त है) है और क्रदामत ज़ाती (व्यक्तिगत प्राचीनता) किसी चीज़ को प्राप्त नहीं? अल्लाह के अतिरिक्त कोई कण, कोई रूह ऐसी नहीं है जिसे क्रदामत ज़ाती (व्यक्तिगत प्राचीनता) का दर्जा प्राप्त हो। लेकिन यह सत्य है कि ख़ुदा तआला सदैव से स्रजन की विशेषता को प्रकट करता चला आ रहा है। लेकिन इसके साथ यह भी स्मरण रहे कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने क्रदामत नौआ का भी वह तात्पर्य नहीं लिया जो दूसरे लोग अर्थ निकालते हैं जो यह है, कि जब से ख़ुदा है तभी से सृष्टि है। यह एक व्यर्थ और निराधार आस्था है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस आस्था को नहीं मानते।

यह कहना कि जब से ख़ुदा है तभी से सृष्टि भी। इसके दो अर्थ

हो सकते हैं और दोनों ग़लत हैं।

1. एक तो यह कि खुदा भी एक युग से है और मख्लूक (सृष्टि) भी। क्योंकि जब का अर्थ युग की ओर संकेत करता है चाहे वह कितना ही लम्बा हो और ऐसा अक्रीदा बिल्कुल झूठ है।

2. उपरोक्त वाक्य का दूसरा अर्थ यह है कि सृष्टि उसी तरह अनादि (सदैव से) है जिस तरह खुदा तआला है और यह अर्थ भी इस्लाम की शिक्षा के विपरीत है और बुद्धि के भी। स्रष्टा और सृष्टि एक ही अर्थों में अनादि नहीं हो सकते। आवश्यक है कि स्रष्टा को सृष्टि पर प्रधानता प्राप्त हो। यही कारण है कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह कभी नहीं लिखा कि सृष्टि भी अनादि (सदैव) है बल्कि यह कहा है कि सृष्टि को क्रदामत नौआ (एक प्रकार की प्राचीनता) प्राप्त है और क्रदामत और अज़लियत (अनादि होना) में अन्तर है। अतएव हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के निकट सृष्टि क्रदामत नौआ (एक प्रकार की प्राचीन) तो है पर अनादि नहीं। स्रष्टा प्रत्येक दृष्टि से सृष्टि पर प्रधान है और दौर-ए-वहदत अर्थात् (खुदा) दौर-ए-खल्क (उत्पत्ति) से पहले है। स्रष्टा और सृष्टि के इस संबंध को समझने के लिए इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्रष्टा को अनादि भी और दौर-ए-वहदत को प्रधानता भी प्राप्त हो और सृष्टि को एक प्रकार की प्राचीनता। यह समझना मानवीय बुद्धि के लिए बहुत कठिन है लेकिन खुदा की विशेषताओं पर ध्यान देने से यही एक अक्रीदा है जो खुदा की शान के अनुसार दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त दूसरे अक्रीदे या तो शिर्क पैदा करते हैं या खुदा तआला की विशेषताओं पर अस्वीकारणीय सीमाएँ निर्धारित करते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि खुदा तआला के बारे में वही अक्रीदा सही हो सकता है जो उसकी दूसरी विशेषताओं

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कारनामे के अनुसार हो। जो उनके विपरीत है वह अक्रीदा स्वीकारयोग्य नहीं। यह स्मरण रखना चाहिए कि अल्लाह तआला **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ** (लैसा कमिस्लिही शैउन) है। (अर्थात् अल्लाह वह हस्ती है कि उसका उदाहरण किसी चीज़ से नहीं दिया जा सकता)। उसके कार्यों के रहस्य को मनुष्य के कार्यों की तरह समझने की कोशिश करना बुद्धि से परे है। अतः जब संसार की उत्पत्ति का विषय ऐसी बातों से सम्बन्ध रखता है जिन्हें मनुष्य की बौद्धशक्ति पूरे तौर पर समझ ही नहीं सकती, तो सुन्दर और सही ढंग यही होगा कि उसे भौतिक नियमों से हल करने के बजाय खुदा में पाई जाने वाली विशेषताओं से हल किया जाए ताकि गलतियों की संभावनाओं से बचा जा सके। अतः हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यही ढंग अपनाया है।

मैं समझता हूँ कि युग का ग़लत अर्थ जो अभी तक दुनिया में चला आ रहा है वह भी इस विषय के समझने में रोक है। कुछ आश्चर्य नहीं कि

आइन्सटाइन की थ्योरी (फ़लसफ़ा-ए-निस्बत) आगे बढ़ते-बढ़ते इस विषय को और समझने योग्य बना दे।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का यह लिखना कि दौर-ए-वहदत प्रधान है उपरोक्त वर्णन के विरुद्ध नहीं, क्योंकि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम भविष्य के लिए भी दौर-ए-वहदत की खबर देते हैं और रुहों के लिए असीमित इनाम पाना स्वीकार करते हैं और आर्यों के इस अक्रीदा का खण्डन करते हैं कि अरबों वर्ष के बाद रूहें मुक्तिगृह से निकाल दी जाएँगी। अतः ज्ञात हुआ कि आप के निकट भविष्य में किसी और दौर-ए-वहदत का आना और उसके साथ रुहों का अमर रहना दौर-ए-वहदत के विरुद्ध नहीं। सच बात यह है कि लोगों ने दौर-

ए-वहदत का असल अर्थ समझा ही नहीं। मनुष्य के मरने के बाद की हालत उसकी दौर-ए-वहदत ही है। क्योंकि उस समय अपनी इच्छा से कार्य नहीं होता बल्कि मनुष्य खुदा के आदेश के अनुसार चलता है। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। मरने के बाद मनुष्य मशीन की तरह होता है। दारुल अमल (अर्थात् इच्छानुसार कार्य करना) इस नश्वर संसार में ख़तम हो जाता है और सृष्टि के बारे में यह हालत दौर-ए-वहदत के विरुद्ध नहीं है।

6- हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के प्रादुर्भाव से पूर्व अल्लाह तआला के बारे में एक और बहस भी पैदा हो चुकी थी कि उसकी कुदरत (शक्ति) का ग़लत अर्थ समझा जा रहा था। कुछ लोग यह कह रहे थे कि खुदा इस बात में समर्थ है कि वह झूठ भी बोल सकता है या मर भी सकता है। कुछ कहते कि नहीं, उसकी विशेषताएँ उसी तरह हैं जो उसने बयान की हैं और वह झूठ नहीं बोल सकता। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस झगड़े का भी फैसला कर दिया और फ़रमाया कि खुदा तआला के “क्रदीर” होने की विशेषता को उसकी दूसरी विशेषताओं के समक्ष रखो और फिर उसके बारे में ग़ौर करो। जहाँ पर यह है कि खुदा “क्रदीर” है वहाँ यह भी तो है कि खुदा “कामिल” भी है और मरना विशेषता “कामिल” (सर्वशक्तिमान) के विरुद्ध है। यदि कोई कहे कि मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ और बहुत ताक़तवर हूँ तो क्या उसे यह कहा जाएगा कि तुम्हारी ताक़त को हम तब मानेंगे जब तुम ज़हर खाकर मर जाओ। यह उसकी ताक़त की पहचान नहीं है बल्कि उलट है। अतः खुदा तआला के कामिल (सर्वशक्तिमान) होने का यह तात्पर्य नहीं कि उसमें दोष और कमज़ोरियाँ भी हों। असल बात यह है कि उसमें दोष और कमज़ोरियाँ भी हों। असल बात यह है

कि उन्होंने “क्रुदरत” का अर्थ नहीं समझा। यदि कोई यह कहे कि मैं बहुत ताक़तवर हूँ तो क्या उसकी ताक़त का अन्दाज़ा लगाने के लिए उसे यह कहा जाएगा कि यदि ताक़तवर हो तो गन्दगी खा लो। यह ताक़त की निशानी नहीं, बल्कि एक कमज़ोरी है और कमज़ोरी ख़ुदा तआला में पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि वह कामिल (सर्वशक्तिमान) हस्ती है।

7- एक सातवाँ गिरोह था। जिसका यह अक़ीदा था कि ख़ुदा क्रज़ा व क्रदर (निर्णय) जारी करने के बाद ख़ाली हाथ बैठा है। इसलिए किसी की दुआ नहीं सुन सकता। उनके बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह फ़रमाया:- निःसन्देह ख़ुदा ने क्रज़ा व कदर जारी किया है लेकिन उनमें से एक क्रज़ा (निर्णय) यह भी है कि जब बन्दे दुआएँ मांगेंगे तो उनकी दुआ सुनूँगा। यह कितना संक्षिप्त और संतोषजनक उत्तर है। फ़रमाया, निःसन्देह ख़ुदा ने यह आदेश दिया है कि बन्दा बदपरहेज़ी करे तो बीमार हो लेकिन उसके साथ ही यह भी फैसला किया है कि यदि वह गिड़गिड़ाकर दुआ मांगे तो अच्छा भी कर दिया जाए। अतः क्रज़ा व क्रदर जारी होने के बावजूद भी ख़ुदा का आदेश भी जारी है।

इस उत्तर के अलावा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने व्यवहारिक रूप से भी दुआ के स्वीकार होने के सबूत भी प्रस्तुत किए।

8- ख़ुदा तआला की विशेषताओं के जारी होने के बारे में भी मतभेद पैदा हो गया था। आपने उसे भी दूर किया और बताया कि ख़ुदा तआला की हर विशेषता का एक दायरा है। एक ही समय में वह दयालु है और उसी समय में वह सख़्त सज़ा देने वाला भी है। एक व्यक्ति जिसे फ़ांसी की सज़ा मिली चूँकि वह मुजरिम है इसलिए उसे ख़ुदा तआला की विशेषता “सख़्त सज़ा देने वाला” के अन्तर्गत सज़ा

मिली। लेकिन जहाँ उसके प्राण निकल रहे थे वहाँ ऐसी सहायताएँ जो मौत से संबंधित नहीं वे भी उसके लिए जारी थीं। लोगों की यह स्थिति नहीं हो सकती कि एक ही समय में उनकी सारी विशेषताएँ प्रकट हों। ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति एक ही समय में दया भी कर रहा हो उतनी ही अधिकता से दण्ड भी दे रहा हो। परन्तु ख़ुदा तआला कामिल (सर्वशक्तिमान) है। इसलिए एक ही समय में उसकी सारी विशेषताएँ एक समान अधिकता से प्रकट हो सकती हैं। यदि ऐसा न हो तो संसार नष्ट हो जाए अर्थात् ख़ुदा तआला का प्रकोप नाज़िल हो रहा हो और साथ दया न हो तो दुनिया नष्ट हो जाए। इसी तरह यदि ख़ुदा तआला की केवल दया ही जारी हो और दण्ड बन्द हो जाए तो मुजरिम छूट जाएँ और इस तरह भी तबाही छा जाए। अतएव ख़ुदा तआला की सारी विशेषताएँ एक ही समय में अपने दायरा के अन्दर काम कर रही होती हैं।

9- नवाँ ग़लत अक्रीदा ख़ुदा तआला के बारे में यह फैल रहा था कि कुछ लोग यह कहने लगे थे कि सब कुछ ख़ुदा ही ख़ुदा है। आपके बताए हुए सिद्धान्त से उस अक्रीदे का भी खण्डन हो गया। क्योंकि ख़ुदा तआला की एक विशेषता “मालिक होना” भी है और जब तक दूसरी सृष्टि न हो ख़ुदा मालिक नहीं हो सकता। इस अक्रीदे के विरुद्ध कुछ ऐसे लोग भी थे जो यह कहते थे कि ख़ुदा अर्श (सिंहासन) पर बैठा हुआ है। उसका खण्डन भी इस सिद्धान्त से हो गया। क्योंकि ख़ुदा तआला की दूसरी विशेषताएँ बता रही हैं कि ख़ुदा तआला किसी स्थान विशेष से सीमित नहीं। अर्श के बारे में आपने फ़रमाया कि अर्श, कुर्सी इत्यादि शब्दों का यह अर्थ नहीं कि वे भौतिक चीज़ें हैं और अर्श सोने या चाँदी से बना हुआ कोई ऐसा सिंहासन नहीं है जिस पर ख़ुदा बैठा

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कारनामे हुआ है। बल्कि इसका अर्थ खुदा तआला के शासन की विशेषताएँ हैं और उनके प्रकटन के सम्बन्ध में कहा जाता है कि मानो खुदा तआला सिंहासन पर बैठा है।

10- इन सब के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण कार्य जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने खुदा तआला की हस्ती के बारे में किया वह यह था कि आपने लोगों का ध्यान खुदा तआला की ओर आकृष्ट किया और उनमें खुदा तआला की सच्ची मुहब्बत पैदा कर दी। लाखों इन्सानों को आपने खुदा तआला का प्रिय भक्त बना दिया और जिन्होंने अभी तक आप को स्वीकार नहीं किया उनका भी ध्यान खुदा तआला की ओर इस तरह आकृष्ट हो रहा है जो आपके दावे से पहले न था।

खुदा तआला की हस्ती के बारे में और भी बहुत सी ग़लतफ़हमियाँ फैली हुई थीं जिन्हें आपने संक्षेप और व्यापक रूप से दूर किया। केवल उदाहरण के रूप में उपरोक्त बातें बयान की गयीं हैं।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का चौथा काम

चौथा काम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह किया कि आपने इल्हाम की हक़ीक़त को स्पष्ट किया और उसके बारे में लोगों के अन्दर जो विभिन्न प्रकार के ग़लत विचार पैदा हो चुके थे उनको दूर किया।

इल्हाम

इल्हाम के बारे में नाना प्रकार के ग़लत विचार लोगों के अन्दर पैदा हो चुके थे। लोग कहते थे कि :-

(क) इल्हाम आसमानी होता है या शैतानी।

(ख) लोग समझते थे कि इल्हाम केवल नबियों को ही हो सकता है।

(ग) कुछ लोग समझते थे कि इल्हाम शब्दों में नहीं हो सकता। दिल की रोशनी से प्राप्त करने वाले ज्ञान का नाम ही इल्हाम है।

(घ) कुछ लोग इस भ्रम का शिकार हो रहे थे कि इल्हाम और स्वप्न दिमागी हालत के परिणाम होते हैं।

(ङ) कुछ लोगों का यह विचार था कि शब्दों में इल्हाम का अक्रीदा रखना, इन्सान की मानसिक उन्नति में रोक है।

(च) बड़े पैमाने पर लोग इस भ्रम में पड़े हुए थे कि अब इल्हाम का सिलसिला बन्द हो चुका है। इसके अतिरिक्त इल्हाम के सन्दर्भ में अन्य प्रकार के भी बहुत से भ्रम लोगों में पाए जाते थे। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उन सबको दूर किया।

यह जो विचारधारा थी कि इल्हाम केवल आसमानी या शैतानी होता है इसके कई दुष्परिणाम निकल रहे थे। कई दावेदारों को जब लोग सदाचारी समझते तो उनकी वह्यी को भी आसमानी समझ लेते। कई स्वप्न लोगों के जब पूरे न होते तो वे इल्हाम और स्वप्न की हकीकत को ही इन्कार कर देते। आप ने इस विषय को हल करके लोगों को बहुत सी मुसीबतों से बचा लिया। आपकी रचनाओं से ज्ञात होता है कि मुख्यतः इल्हाम दो प्रकार के होते हैं।

1- सच्चे इल्हाम 2- झूठे इल्हाम

सच्चे इल्हाम वे होते हैं जिनमें एक सच्ची घटना या दूसरी सच्चाई की खबर होती है। फिर उनके भी कई प्रकार हैं :-

(क) आसमानी इल्हाम

(ख) शैतानी इल्हाम

(ग) नफ़्ससानी इल्हाम

सच्चे इल्हाम में मैंने आखिरी इन दोनों प्रकारों को भी शामिल किया

हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कारनामे है और उसका यह कारण है कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की रचनाओं से सिद्ध है और कुर्आन करीम और अनुभव इसका गवाह है कि कभी शैतानी और नफ़्सानी इल्हाम भी सच्चा होता है। जब कोई ऐसा इल्हाम सच्चा हो जाए तो हम यद्यपि स्वीकार करेंगे कि वह पूरा हो गया, लेकिन उसे आसमानी इल्हाम फिर भी नहीं कहेंगे।

आसमानी इल्हामों के आपने कई प्रकार बयान किए हैं:-

1. नबियों की वह्यी, जो पूर्णतः सच्ची और अतिविश्वसनीय होती है।
2. औलियाअल्लाह की मुसफ़्फ़ा वह्यी, जो ग़लत तो नहीं होती पर अतिविश्वसनीय भी नहीं कहलाती। क्योंकि उसके अन्दर ऐसे निशान नहीं पाए जाते जो दुनिया पर तर्क ठहरें और उनका इन्कार गुनाह हो। वह निःसन्देह मुसफ़्फ़ा होती है पर अपने साथ ऐसे ठोस सबूत नहीं रखती कि लोगों के लिए उसे प्रमाण ठहरा दिया जाए।

3. तीसरी सालिकों (धर्मपरायणों) की वह्यी है। जिसे इस्तिफ़ाई वह्यी कह सकते हैं अर्थात् वह उनको प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए होती है। लेकिन इतनी सुस्पष्ट नहीं होती जितनी कि औलिया अल्लाह की।

4. सालिकों और मोमिनों की परीक्षा सम्बन्धी वह्यी - यह वह्यी मोमिनों के अनुभव, आजमाइश, परीक्षा एवं उनकी हिम्मत ज़ाहिर करने के लिए होती है।

5. जबीज़ी वह्यी- यह वह्यी हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इल्हाम से मालूम होती है। मैं इस इल्हाम के शब्दों के अनुसार इसका नाम जबीज़ी वह्यी रखता हूँ। इसकी व्याख्या यह है कि जिस तरह कामिल मोमिन का उद्देश्य खुदा तआला का सामीप्य पाना होता है वह उस सामीप्य प्राप्ति के साधन का निर्धारण नहीं करता। कुछ लोग इस कोशिश में व्यक्तिगत इच्छा भी करते हैं कि यह सामीप्य इस

तरह मिले कि हमें इल्हाम हो जाए और यह सामीप्य प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि बड़ाई और स्थान की प्राप्ति के लिए होती है। ऐसी दशाओं में उन लोगों की बढ़ी हुई इच्छा को देखकर अल्लाह तआला अपनी रहमत से कभी उन पर इल्हाम भी नाज़िल कर देता है जैसे कि खाना खाते समय कोई कुत्ता आ जाता है तो मनुष्य उसके आगे भी रोटी या मांस का टुकड़ा फेंक देता है। इस प्रकार का इल्हाम वस्तुतः एक बड़ी परीक्षा होता है जो कभी-कभी ठोकर खाने का कारण होता है। ज़बीज़ सूखे टुकड़े को कहते हैं इसलिए इसी आधार पर इस वह्यी का नाम ज़बीज़ी वह्यी रखा गया है।

6. छटी प्रकार की वह्यी वह है जो ग़ैर मोमिन अर्थात् ऐसे अधर्मी व्यक्ति को होती है जो अपने स्वभाव में नेकी रखता हो। उसका नाम मैंने इर्शादी वह्यी रखा है अर्थात् हिदायत की ओर मार्गदर्शन करने वाली।

7. वह्यी का सातवाँ प्रकार तुफैली वह्यी है। जो काफ़िरों और दुराचारियों को आदेश के रूप में नहीं बल्कि उन पर तर्क को पूरा करने के लिए होती है। उसका नाम मैंने तुफैली वह्यी रखा है क्योंकि यह इसलिए होती है कि नबियों की सच्चाई के लिए सुबूत हो।

ये सब आसमानी वह्यी के प्रकार हैं।

(ख) शैतानी (पैशाचिक) इल्हाम- जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ कि कुछ शैतानी इल्हाम भी सच्चे होते हैं। कुर्आन

करीम में अल्लाह तआला फ़रमाता है

إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ

(अस्साफ़ात - 11)

अर्थात् आसमानी बातें जब संसार में प्रकट होने लगती हैं तो शैतान भी उनमें से कुछ उचक कर अपने साथियों को पहुँचा देता है।

यद्यपि उनके खण्डन का सामान अल्लाह तआला पैदा कर देता है। दुष्ट प्रकृति रखने वालों की भी कभी-कभी कुछ बातें सच्ची निकल आती हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि ऐसे स्वप्न और विचार यदि संयोग से कभी सच्चे भी निकल आएँ तो उनमें तेज और प्रताप नहीं होता और वे अधूरे एवं संदेहास्पद होते हैं।

(ग) नफ़्सानी इल्हाम - अर्थात् ऐसे इल्हाम या स्वप्न जो मानसिक विचार के परिणाम स्वरूप हों। यह इल्हाम या स्वप्न भी कभी-कभी सच्चे होते हैं। जिस तरह मनुष्य का मस्तिष्क जागते हुए अनुमान लगाकर भविष्य के लिए कोई बात सोच लेता है और वह सच्ची हो जाती है। उसी प्रकार मनुष्य कभी-कभी सोते हुए ऐसे अन्दाज़े लगाकर कोई बात कह देता है वे कभी-कभी सच्ची हो जाती हैं। लेकिन उनके सच्चे होने का कदापि यह अर्थ नहीं होता कि वे ख़ुदा तआला की ओर से हैं। ऐसे स्वप्न कई प्रकार के होते हैं:-

1. प्रकृतिक विषयों से सम्बन्ध रखने वाले इल्हाम - उदाहरणतः बीमारियों से सम्बन्धित। बीमारियाँ एकदम नहीं पैदा होतीं बल्कि उनके जाहिर होने से कई घंटे या कई दिन या कई सप्ताह पहले शरीर में बदलाव प्रारम्भ हो जाते हैं। ऐसे बदलावों को कभी-कभी मनुष्य का मस्तिष्क महसूस करके उसकी आंखों के सामने ले आता है और वह बात पूरी भी हो जाती है। क्योंकि वह एक स्वभाविक अनुमान होता है। बीमारियों के ऐसे बदलाव भिन्न-भिन्न समयों में घटित होते हैं। उदाहरणतः कहते हैं कि हल्के कुत्ते का विष बारह दिन से लेकर दो महीने तक पूर्णतः जाहिर हो जाता है। अतः सम्भव है कि एक व्यक्ति को हल्के कुत्ते ने काटा हो और विष के पूर्णतः फैलने के समय को उस का मस्तिष्क उसकी कैफ़ीयत को महसूस करके उसे एक दृश्य के

रूप में दिखा दे अतः यह स्वप्न या इल्हाम सच्चा तो होगा पर मनुष्य की सोच के अनुसार एक कार्य होगा न कि आसमानी।

2- इस प्रकार की वह्यी की दूसरी क्रिस्म अक़ली वहयी होती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी बात को सोचते-सोचते सो जाए और उसका मस्तिष्क उस समय भी उसके सम्बन्ध में चिन्तन करता रहे (मस्तिष्क का एक भाग मनुष्य की नींद के समय भी काम करता रहता है) और जब वह किसी निष्कर्ष तक पहुँचे तो स्वप्न की हालत में उसे वह दृश्य नज़र आ जाए। जिसमें वे परिणाम जो मस्तिष्क के प्रभावित भाग ने चिन्तन के पश्चात निकाले थे, दिखा दिए गए हों। कभी-कभी ये परिणाम बुद्धि द्वारा निकाले गए निष्कर्षों की भाँति सही होंगे लेकिन उनके सही निकलने के बावजूद उस स्वप्न को आसमानी स्वप्न नहीं कहेंगे बल्कि इच्छित स्वप्न कहेंगे क्योंकि उसका उद्गम स्रोत मनुष्य का मस्तिष्क है न कि ख़ुदा तआला की कोई विशेष आदेश।

उपरोक्त दोनों प्रकार एक ढंग से आसमानी भी हैं क्योंकि अल्लाह तआला के बनाए हुए साधारण विधान के अनुसार मनुष्य की हिदायत और उसके मार्गदर्शन का कारण होते हैं। उनका प्रकटन किसी विशेष आदेश से नहीं होता। पर मनुष्य की इच्छाओं का एक प्रकार और भी है जो पूर्णतः मनुष्य की अपनी विचारधारा पर आधारित होता है पर फिर भी कभी-कभी सच्चा हो जाता है और वह अस्त व्यस्त और बिखरा हुआ स्वप्न है।

3- इस प्रकार की वह्यी दिमाग़ की गन्दगी के कारण आती है। जिस तरह बहुत से अन्दाज़े लगाने वाले का कोई न कोई अन्दाज़ा सही हो जाता है। उसी तरह अस्त व्यस्त विचारों में से संयोग से कभी कोई विचार सही भी हो जाता है पर उसकी प्रामाणिकता न ख़ुदा के आदेश

हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कारनामे से सम्बन्ध रखती है और न किसी प्राकृतिक क़ानून से, बल्कि संयोग पर आधारित होती है।

अब मैं झूठे इल्हाम के बारे में बयान करता हूँ इसके भी कई प्रकार हैं।

1. शैतानी (पैशाचिक) इल्हाम- शैतान चूँकि अनुमान से काम लेता है। इसलिए अधिकतर उसका अनुमान ग़लत निकलता है। इसके अतिरिक्त वह झूठ भी बोलता है।

2. नफ़्सानी (इच्छित) स्वप्न इसके भी कई प्रकार हैं।

(क) वह स्वप्न जो दिमाग़ की खराबी का परिणाम हो।

(ख) वह स्वप्न जो इच्छा और चाहत के परिणामस्वरूप पैदा हो जाए। जैसे हमारे देश में एक मुहावरा है कि बिल्ली को **छीछड़ों की ख़्वाबें** इस स्वप्न में और **जबीज़ी** स्वप्न में देखने में एकरूपता है पर एक अन्तर भी है और वह यह है कि **जबीज़ी** स्वप्न वह है जिसे ख़ुदा तआला बन्दे की इच्छा को पूरा करने के लिए नाज़िल करता है। लेकिन इस स्वप्न को ख़ुदा तआला नाज़िल नहीं करता बल्कि मनुष्य की इच्छा से प्रभावित होकर दिल स्वयं ही पैदा कर लेता है।

2- दूसरी ग़लती लोगों को यह लगी हुई थी कि इल्हाम या वह्यी केवल नबी को हो सकता है। यह विचार अत्यन्त ग़लत और उम्मत में पस्त ख़याली पैदा करने और ख़ुदा की निकटता प्राप्ति के सच्चे द्वारों को बन्द करने वाला था। लोग केवल मानवीय विचारों पर खुश हो जाते थे और ख़ुदा तआला के फ़ज़ल को जो उसकी प्रसन्नता को ज्ञात करने का एक मात्र साधन था भुला बैठे थे। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस विचारधारा का भी खण्डन किया और फ़रमाया कि इल्हाम हर व्यक्ति को हो सकता है। इसके भी स्तर होते हैं। नबी को नबियों वाला

इल्हाम होता है, मोमिन को मोमिनों वाला और काफ़िर (अधर्मी) को काफ़िरी वाला। इस वास्तविकता को स्पष्ट करके आपने यह सन्देह दूर कर दिया कि ग़ैर मोमिन (कफ़िर) को जब कभी कोई सच्चा इल्हाम हो जाए तो कभी-कभी वह यह समझ लेता है कि वह भी ख़ुदा का सामीप्य प्राप्त है। आप ने फ़रमाया, ऐसे लोगों को भी सच्चा इल्हाम हो जाता है। नबियों और सदाचारियों के इल्हाम और अधर्मियों के इल्हाम में यह अन्तर है कि नबियों और औलिया अल्लाह के इल्हाम अपने साथ एक कुदरत रखते हैं लेकिन अधर्मियों के इल्हामों में यह बात नहीं पाई जाती।

तीसरी ग़लती यह लगी हुई थी कि कुछ लोगों का यह विचार था कि इल्हाम शब्दों में नहीं होता बल्कि दिल के ज्ञान का नाम ही इल्हाम है। आप ने उन लोगों की इस विचारधारा का भी खण्डन किया। प्रकृतिवादियों, बहाइयों और अधिकतर ईसाइयों का भी यही विचार है। बहुत से पढ़े-लिखे मुसलमान भी इसी भ्रम का शिकार हैं। आपने ऐसे लोगों के समक्ष पहले अपना अनुभव प्रस्तुत किया और कहा मैं इल्हाम के शब्द सुनता हूँ। इसलिए मैं इस विचार का खण्डन करता हूँ कि इल्हाम शब्दों में नहीं होता।

दूसरा उत्तर आपने यह दिया कि इल्हाम और स्वप्न पाने की इच्छा मनुष्य की प्रकृति में है। हर व्यक्ति में यह इच्छा पाई जाती है कि वह ख़ुदा से मिले। अतः उसकी स्वाभाविक इच्छा का उत्तर भी अवश्य होना चाहिए। केवल हार्दिक विचार मुहब्बत के उस जोश का उत्तर नहीं हो सकता जो ख़ुदा से वार्तालाप के बारे में मनुष्य में रखा गया है। उसका उत्तर केवल इल्हाम और स्वप्न ही हो सकते हैं। इसी तरह आपने बताया कि स्वप्न और इल्हाम केवल नबियों से विशिष्ट नहीं हैं बल्कि संसार के अधिकतर लोग इसका थोड़ा-बहुत अंश पाते

हैं। यहाँ तक कि दुष्ट से दुष्ट लोग जिनका काम ही दुराचार होता है वे भी कभी-कभी इसका अंश पा लेते हैं फिर इस विषय का इन्कार कैसे हो सकता है जिस पर अधिकतर लोग साक्षी हैं। अतः जो चीज़ थोड़ी बहुत दुनिया के अधिकतर लोगों को मिल जाती है उसके बारे में किस तरह सोचा जा सकता है कि शेष लोगों को तो उसमें से कुछ हिस्सा मिलता है लेकिन नबियों को कुछ नहीं मिल सकता। जबकि उस चीज़ के पैदा होने का उद्देश्य ही नबूवत का चरमोत्कर्ष है। जब लाखों काफ़िर (अधर्मी) भी गवाही देते हैं कि उन्हें इल्हाम होते हैं या स्वप्न आते हैं तो सिद्ध हुआ कि इल्हाम या स्वप्न का होना असम्भव नहीं। जब यह सम्भव हुआ फिर नबियों के बारे में यह कहना कि उनको इल्हाम नहीं होता बल्कि दिल में उठने वाले विचारों का वे इल्हाम नाम रख लेते हैं कितनी बड़ी मूर्खता है।

फिर आपने फ़रमाया कि इल्हाम ऐसी भाषाओं में भी होते हैं जिन्हें इल्हाम पाने वाला नहीं जानता। यदि इल्हाम केवल दिल में पैदा होने वाला विचार होता तो उसी भाषा में होता जिसे इल्हाम पाने वाला जानता है उस भाषा में न होता जिसे वह जानता नहीं। लेकिन इल्हाम पाने वालों को कभी-कभी उन भाषाओं में भी इल्हाम होते हैं जिन्हें वे नहीं जानते। अतः ज्ञात हुआ कि इल्हाम शब्दों में ही होता है न कि दिल में पैदा हुए विचारों का नाम इल्हाम है।

शाब्दिक इल्हाम पर साधारणतः एक ऐतराज़ किया जाता है कि क्या ख़ुदा की भी कोई जीभ है और होंठ है कि वह शब्दों में बातें करता है? इसका उत्तर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह दिया है कि ख़ुदा तआला को बोलने के लिए जीभ की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह किसी चीज़ की भाँति नहीं है। जो लोग यह मानते हैं कि

खुदा तआला ने संसार बिना हाथों से पैदा किया है, उनके लिए इस बात को मानने में क्या मुश्किल है कि वह बिना जीभ के भी बोलने की शक्ति रखता है।

एक उत्तर आपने यह भी दिया कि तेज और प्रताप से परिपूर्ण शाब्दिक इल्हाम के बिना इस बात पर विश्वास नहीं हो सकता कि खुदा तआला की ओर से मनुष्य को कोई आदेश दिया गया है। जब बाहर से आवाज़ आए तब ही पता लग सकता है कि किसी दूसरी शक्ति ने यह शब्द भेजे हैं।

4- चौथी ग़लती कुछ लोगों को इल्हाम के बारे में यह लगी हुई थी कि वे यह समझते थे कि इल्हाम दिमाग़ की कैफ़ियत का नतीजा होता है। इसके बारे में हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, निःसन्देह ऐसा भी होता है पर यह कहना कि सदैव ऐसा ही होता है और बाहर से कभी इल्हाम नहीं होता, ग़लत है। क्योंकि नबियों और मोमिनों के कुछ इल्हाम ऐसे ज्ञानों पर आधारित होते हैं जिन्हें मनुष्य का दिमाग़ ज्ञात नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर उनमें भविष्य से सम्बन्धित बड़ी-बड़ी सूचनाएँ होती हैं।

दूसरा इसका उत्तर आपने यह दिया कि यदि दिमाग़ की कैफ़ियत से यह तात्पर्य है कि इल्हाम बिगड़े हुए दिमाग़ का परिणाम है तो फिर क्या कारण है कि इल्हाम पाने वाले लोग श्रेष्ठ दिमाग़ वाले हैं उनके दिमाग़ों का श्रेष्ठ होना इस बात का प्रमाण है कि इल्हाम बिगड़े हुए दिमाग़ का नतीजा नहीं होता।

मुझे आश्चर्य है कि जो लोग इल्हाम को दिमागी बिगाड़ का परिणाम समझते हैं वे सोचते नहीं कि मनुष्य का दिमाग़ बुढ़ापे में कमजोर हो जाता है। लेकिन नबियों पर बुढ़ापे का कभी कोई असर नहीं हुआ।

बल्कि उनके इल्हामों में और अधिक तेज बढ़ता जाता है।

5. पाँचवाँ शक इल्हाम के बारे में यह किया जाता है कि इल्हाम का वजूद मनुष्य की मानसिक और बौद्धिक उन्नति के विरुद्ध है। क्योंकि जब इल्हाम से एक बात ज्ञात हो गई तो फिर लोगों को सोचने और चिन्तन करने की क्या आवश्यकता है और क्या मौक्रा?

इस गलती को आपने लोगों का ध्यान इस ओर फेर कर दूर किया कि इल्हाम मानसिक उन्नति के विरुद्ध नहीं बल्कि ख़ुदा तआला ने इसे मानसिक उन्नति के लिए पैदा किया है। दुनिया को देखने से मालूम होता है कि आध्यात्मिक और भौतिक दो सिलसिले इस दुनिया में समानान्तर और सदृश चल रहे हैं। जिस्मानी (भौतिक) सिलसिले में इन्सान की हिदायत और मार्गदर्शन के लिए बुद्धि के साथ तजुर्बा को लगाया गया है। ताकि बुद्धि की कमजोरी को पूरा कर दे और मनुष्य गलती के सन्देह से बच जाए। रूहानी सिलसिले में इस जगह बुद्धि के साथ इल्हाम को लगाया गया है। ताकि बुद्धि गलती करके मनुष्य को तबाही के गड्ढे में न गिरा दे। अकेली बुद्धि जब भौतिक विषयों में पर्याप्त नहीं हो सकती बल्कि अनुभव की सहायता की मोहताज है। तो फिर आध्यात्मिक जगत में केवल बुद्धि पर भरोसा करना किस तरह सही हो सकता है और किस तरह माना जा सकता है कि अल्लाह तआला ने जिस्मानी सिलसिला में तो जो निम्न श्रेणी का है, बुद्धि की कमजोरियों को दूर करने के लिए तजुर्बा को पैदा किया और रूहानी सिलसिला में जो उच्च श्रेणी का है उसमें बुद्धि की सहायता के लिए कोई वजूद न पैदा किया?

यदि कोई कहे कि जिस्मानी (भौतिक) सिलसिला की तरह रूहानी सिलसिला में भी बुद्धि की सहायता के लिए तजुर्बा को ही क्यों न

सहायक निर्धारित किया गया। तो इसका उत्तर यह है कि तजुर्बा करते कई ठोकरों के बाद सही परिणाम तक पहुँचता है। सांसारिक जीवन चूँकि अस्थायी है इसलिए इसमें तुजर्बा हुए ठोकरें खाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यदि परलोक के जीवन के बारे में जो सदैवी है, ठोकरें खाने के लिए मनुष्य को छोड़ दिया जाता तो लाखों आदमी जो तजुर्बा से पहले मर जाते, हक़ से वंचित रह जाते और बहुत नुकसान उठाते और उस सदैवी जीवन की तरक्कियों को प्राप्त न कर सकते जिसके लिए वे पैदा किए गए हैं। इसके अतिरिक्त यह भी याद रखना चाहिए कि तजुर्बा शुरू करने के लिए भी पहले एक आधार की आवश्यकता होती है। रूहानी विषय चूँकि अपदार्थ और अप्रतीत हैं। इसलिए उनसे सम्बन्धित तजुर्बा भौतिक विषयों की अपेक्षा अधिक दुष्कर है। अतः हम देखते हैं कि भौतिक विज्ञान के खोज में तो साइन्स ने बड़ी उन्नति की है पर दिमाग़ के उन कार्यों के बारे में जो बुद्धि और इच्छा से सम्बन्धित हैं और रुह के समान सूक्ष्म नहीं बहुत कम खोज हुई है। बल्कि यों कहना चाहिए कि संसार की उत्पत्ति पर इतने युग बीत जाने के बावजूद भी इस पर अभी तक खोज प्रारम्भ नहीं हुई।

6. छठा भ्रम, जिसमें लोग पड़े हुए थे वह यह था कि इल्हाम का सिलसिला अब बन्द हो चुका है। यह मत केवल मुसलमानों का ही नहीं था बल्कि दूसरे धर्म भी यही आस्था रखते थे। यहूदी, ईसाई, हिन्दू सारे प्राचीन युग में इल्हाम के स्वीकारी हैं। लेकिन अब उसको बिल्कुल समाप्त और बन्द कहते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस ग़लत आस्था का खण्डन किया और दुनिया पर स्पष्ट किया इल्हाम तो ख़ुदा की ओर से लोगों के लिए एक इनाम है और बन्दे और ख़ुदा में मुहब्बत का न टूटने वाला रिश्ता पैदा करने का एक साधन है और

विश्वास दृढ़ विश्वास तक पहुँचाने का साधन है। इसका सिलसिला बन्द करके धर्म और रूहानीयत का क्या शेष रह जाता है। मुसलमानों को आपने ध्यान दिलाया कि रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम तो इसलिए आए थे कि दुनिया पर खुदा की रहमत की बारिश और अधिक शान से नाज़िल हो। अतः आपके आने से खुदा तआला का यह इनाम बन्द नहीं हुआ बल्कि उसमें और भी अधिक बढ़ोत्तरी हो गई।

दूसरा उत्तर आपने यह दिया कि इस्लाम केवल शरीअत (क़ानून) ही नहीं है बल्कि उसके और भी उद्देश्य हैं। जिनमें से एक यह है कि लोगों को खुदा तआला की हस्ती पर दृढ़ विश्वास दिलाए। देखो जिससे खुदा तआला बातें करे उसकी तुलना में वह व्यक्ति जो केवल यह कहे कि खुदा है, ईमान की दृष्टि से क्या हैसियत रखता। अतः रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम यद्यपि शरीअत (धर्म विधान) को पूर्ण कर गए हैं। मगर मुसलमानों को विश्वास और संतुष्टि के स्तर तक पहुँचाने के लिए फिर भी इल्हाम की आवश्यकता शेष रह जाती है।

तीसरा उत्तर आपने यह दिया कि खुदा तआला इल्हाम के द्वारा गूढ़ रहस्यों से आगाह करता है। वे आध्यात्मिक ज्ञान जो सैंकड़ों वर्षों की मेहनत और कोशिश से ज्ञात नहीं हो सकते। खुदा तआला इल्हाम के द्वारा उन्हें एक सेकेण्ड में बता देता है। अतः इस सबसे सुगम राह को उम्मत मुहम्मदिया के लिए किस तरह बन्द किया जा सकता है। आप ने स्वयं साबित किया कि इल्हाम जितने शीघ्र और व्यापक रूप से आध्यात्मिक रहस्यों को खोलता है उसका उदाहरण मानवीय कोशिशों में नहीं पाया जाता। अतः जो बातें उलमा तेरह सौ साल में बहसों से न हल कर सके। आपने उन्हें थोड़े से समय में ही इल्हाम की सहायता से हल करके रख दिए और उनकी सहायता से अहमदी उलमा विश्व

के सभी धर्मों पर इस्लाम को विजय कर रहे हैं।

चौथा उत्तर आप ने यह दिया कि इल्हाम का एक उद्देश्य मुहब्बत प्रकट करना भी है। जब तक खुदा तआला अपने खास भक्तों पर इल्हाम नाज़िल न करे किस तरह उनकी तड़प दूर हो सकती है।

अतः आपने साबित कर दिया कि इल्हाम का सिलसिला जारी है। यदि इल्हाम को बन्द समझें तो खुदा तआला की कई विशेषताओं को समाप्त मानना पड़ेगा। इस जगह कोई ऐतराज़ कर सकता है कि खुदा की विशेषताओं में अस्थायी रोक तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी माना है। अतः आप फ़रमाते हैं कि कभी-कभी खुदा अपनी एक विशेषता को बन्द कर देता है ताकि दूसरी विशेषता जारी हो। यदि इस तरह हो सकता है तो यह मानने में क्या हर्ज है कि इल्हाम को खुदा ने क्रयामत तक बन्द कर दिया है? इसके बारे में यह याद रखना चाहिए कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने रोक तब माना है जब दो विशेषताएँ आपस में टकराएँ। जो विशेषताएँ न टकराएँ उनके सम्बन्ध में रोक नहीं माना। चूँकि इल्हाम के जारी रहने में किसी विशेषता से टकराव नहीं, इसलिए उसके बारे में रोक मानना ग़लत है।

यदि कोई कहे कि इल्हाम का सिलसिला जारी रहना माना जाए तो भी बन्द हो जाता है। क्योंकि जब एक मुजद्दिद आता है फिर उसके एक सौ वर्ष बाद दूसरा आता है। इस तरह कुछ समय के लिए इल्हाम का बन्द हो जाना तुम भी मानते हो। इसका उत्तर यह है कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के निकट इस तरह की कोई रोक नहीं पड़ती। क्योंकि आपने केवल यह नहीं कहा, कि इल्हाम केवल नबी या मुजद्दिद को ही होता है बल्कि आपने यह फ़रमाया कि इल्हाम मोमिनों को होता है, बल्कि कभी-कभी काफ़िरों (अधर्मियों) और दुराचारों को

भी। चूँकि ज़मीन गोल है और हर समय दुनिया के किसी न किसी भाग में लोग सो रहे होते हैं और हर सेकेण्ड में सैकड़ों और हजारों लोगों को इल्हाम हो रहा होता है और पल भर के लिए भी इल्हाम के नुज़ूल में रोक नहीं होती। मैं व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति को इनाम देने को तैयार हूँ जो यह साबित कर दे कि कोई एक दिन भी ऐसा बीता हो जिसमें किसी को स्वप्न न आया हो या इल्हाम न हुआ हो, यदि यह साबित हो जाए तो अवश्य रोक को माना जा सकता है अन्यथा नहीं।

आपने कुर्आन की आयतों से भी साबित किया कि ख़ुदा तआला ने इल्हाम के जारी रहने का वादा किया है और वह अपने वादों को झूठा साबित नहीं होने दिया करता।

यदि कोई कहे कि स्वप्न तो हर एक व्यक्ति देख सकता है बहस तो इल्हाम के बारे में है। तो इसका उत्तर यह है कि अब भी लोगों की हिदायत के लिए ख़ुदा तआला कोई साधन पैदा करता है या नहीं। यदि करता है तो यह कहना व्यर्थ है कि वह आंखों के माध्यम से लिखे हुए शब्दों या चित्रों के द्वारा अपनी इच्छा को तो प्रकट कर सकता है पर आवाज़ पैदा करके जिसे इल्हाम कहते हैं, कानों के माध्यम से अपनी इच्छा प्रकट नहीं करता। जब अपने आक्रा की इच्छा को ज्ञात करना एक स्वाभाविक इच्छा है तो कोई कारण नहीं कि ख़ुदा उसे पूरा न करे। इल्हाम का दरवाज़ा बन्द करना एक बहुत बड़ा अत्याचार है जो ख़ुदा तआला कभी नहीं करता।

कुर्आन के बारे में फैली हुई ग़लतफ़हमियों का दूर करना

कुर्आन करीम के बारे में बहुत सी ग़लत फहमियाँ लोगों में पैदा हुई थीं। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी दूर किया।

उदाहरण के तौर पर :-

(1) कुछ मुसलमानों को यह गलती लगी हुई थी कि उसमें तब्दीली हो गई है और उसके कुछ भाग छपने से रह गए हैं। आपने इसका खण्डन किया और बताया कि कुर्आन करीम कामिल (पूर्ण) किताब है। मनुष्य की जितनी आवश्यकताएँ धर्म से सम्बन्धित हैं वह सब इसमें बयान कर दी गई हैं। यदि इसके कुछ पारः या भाग खो गए होते तो इसकी शिक्षा में अवश्य कोई कमी होनी चाहिए थी और विषय का क्रम बिगड़ जाना चाहिए था। मगर न इसकी शिक्षा में दोष है और न इसके क्रम में गलती। जिससे ज्ञात हुआ कि कुर्आन करीम का कोई भाग नहीं छूटा।

हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कुर्आन ने दावा किया है और चैलेन्ज दिया है कि उसमें सारी अख़लाक़ी और रूहानी विशेषताएँ मौजूद हैं। यदि इसका कोई हिस्सा ग़ायब हुआ होता तो अवश्य था कि कुछ आवश्यक अख़लाक़ी या रूहानी बातों के सम्बन्ध में इसमें कोई आदेश न मिलता। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें रूहानी ज़रूरत का हर इलाज मौजूद है। यदि यह समझा जाए कि कुर्आन करीम का एक हिस्सा ग़ायब होने के बावजूद उसके अर्थों में कोई कमी नहीं आई, तो फिर मानना पड़ेगा कि जिन लोगों ने इसमें कमी की है वे सच पर थे कि उन्होंने ऐसे व्यर्थ हिस्से को निकाल दिया, जिसकी मौजूदगी **(नऊज़बिल्लाह मिन ज़ालिक)** कुर्आन करीम की विशेषता को कम कर रही थी। यदि वह मौजूद रहता तो लोग ऐतराज़ करते कि इस हिस्से का क्या फ़ायदा है और उसे कुर्आन करीम में क्यों रखा गया है। मुझे इस विचारधारा पर एक घटना याद आती है। मैं छोटा था कि एक दिन आधी रात को कुछ शोर हुआ और लोग जाग उठे। हजरत मसीह

मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को भेजा कि बाहर जाकर देखो कि क्या बात है। वह हँसता हुआ वापिस आया और बताया कि एक दायी प्रसव कराकर वापिस आ रही थी कि नानक फ़कीर उसे मिल गया और उसने उस दायी को मारना शुरू कर दिया। उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया, लोग एकत्र हो गए। जब उन्होंने नानक से पूछा कि तू उसे क्यों मार रहा है? तो उसने कहा कि यह मेरे सुरीन (नितम्ब) काटकर ले आयी है। इसलिए इसे मार रहा हूँ। लोगों ने कहा कि तेरे सुरीन तो सही सलामत हैं उन्हें तो किसी ने नहीं काटा, तो आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, अच्छा!!! फिर दायी को छोड़कर चला गया। यही हाल उन लोगों का है जो कुर्आन करीम में बदलाव के क्रायल हैं। वे गौर नहीं करते कि कुर्आन करीम आज भी एक पूर्ण किताब है यदि इसका कोई हिस्सा गायब हो गया होता तो इसकी पूर्णता में कमी आ जाती।

अतः कुर्आन करीम के पूर्ण किताब होने का प्रमाण स्वयं कुर्आन करीम है। यदि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु या कोई अन्य सहाबी इसकी एक आयत भी निकाल देते तो इसमें दोष आ जाता। लेकिन आश्चर्य है कि इस शोर के बावजूद कि इससे दस पारे कम कर दिए गए हैं, इसमें कोई कमी नज़र नहीं आती। इस दशा में तो बड़े-बड़े महत्वपूर्ण विषय ऐसे होने चाहिए थे कि जिनका कुर्आन करीम में कुछ वर्णन ही न होता, पर कुर्आन करीम में तो धर्म और रूहानीयत से सम्बन्ध रखने वाली सारी बातें मौजूद हैं।

(2) दूसरा विचार मुसलमानों में यह पैदा हो गया था कि कुर्आन का एक हिस्सा मन्सूख (निरस्त) है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इसका उत्तर बहुत ही नए अन्दाज़ में दिया। जिन आयतों को लोग मन्सूख (निरस्त) ठहराते थे। उनके ऐसे-ऐसे अर्थ

बयान किए कि जिनको सुनकर दुश्मन भी आश्चर्यचकित रह गए और आपके बताए हुए सिद्धान्त के अनुसार कुर्आन करीम की एक आयत भी ऐसी नहीं, जिसकी आवश्यकता सिद्ध न की जा सके। अब वही ग़ैर अहमदी जो कई आयतों को मन्सूख ठहराते थे उन्हीं आयतों को इस्लाम के विरोधियों के सामने प्रस्तुत करके इस्लाम की श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं। उदाहरणतः

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

(अल काफ़िरून - 7)

जिसे मन्सूख कहा जाता था। अब उसी को विरोधियों के सामने प्रस्तुत किया जाता है।

(3) कुर्आन करीम के बारे में लोगों को तीसरी ग़लती यह लग रही थी कि मुसलमानों का अधिकतर भाग यह समझ रहा था कि इसके आध्यात्मज्ञानों का सिलसिला पिछले ज़माने में ख़त्म हो गया है। आपने इस भ्रम को भी दूर किया और इसके खिलाफ़ पूरे जोर से आवाज़ उठाई और साबित किया कि पिछले ज़माने में इसके आध्यात्मज्ञान ख़त्म नहीं हुए बल्कि अभी भी ख़त्म नहीं हुए और भविष्य में भी ख़त्म न होंगे।

आप फ़रमाते हैं:-

“जिस तरह प्रकृति के रहस्य और चमत्कारपूर्ण विशेषताएँ किसी पूर्व युग में समाप्त नहीं हुईं बल्कि नई से नई पैदा होती जाती हैं। यही हाल कुर्आन की इन पवित्र बातों का है। ताकि खुदा तआला की कथनी और करनी में अनुकूलता साबित हो।”

(इज़ाला औहाम भाग-1 पृष्ठ 258, रूहानी ख़ज़ायन जिल्द-3 पृष्ठ 258)

अतः बहुत सी भविष्यवाणियाँ जो इस युग से संबंधित थीं जिन्हें पूर्व युग के लोग नहीं समझते थे। आपने उन्हें कुर्आन से निकालकर

समझाई। जैसा कि

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ

(अल-तक्वीर-5)

की भविष्यवाणी थी। इस का अर्थ पहले के लोग यही करते थे कि क्रयामत के दिन लोग ऊँटों पर सवारी न करेंगे, पर क्रयामत को ऊंटनी तो क्या कोई भी चीज़ काम नहीं आएगी। बात यह है कि यह आयत भविष्यवाणी पर आधारित थी और उस युग के लोगों के समक्ष वे परिस्थितियां न थीं जो इसके सही अर्थ करने में सहायक सिद्ध होतीं। इसलिए उन्होंने इसे क्रयामत पर चर्प्पाँ कर दिया। वस्तुतः यह अन्तिम युग (अर्थात् कलयुग) से संबंधित एक भविष्यवाणी थी कि उस समय ऐसी सवारियों का आविष्कार हो जाएगा कि ऊँट बेकार हो जाएँगे। वे मौलवी जो हजरत मसीह मौऊद की हर एक बात का विरोध करते हैं यदि उनको भी मोटर की जगह ऊँट की सवारी मिले तो वे कभी उस पर न चढ़ें। इसी तरह

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ

(अल-तक्वीर-6)

कि भविष्यवाणी है अर्थात् जानवर जमा किए जाएँगे अर्थात् चिड़ियाघर बनाए जाएँगे। अतः इस युग में यह भविष्यवाणी पूरी हो गई।

इसी प्रकार यह भी अर्थ है कि पहले युग में क्रौमें एक दूसरे से डरती थीं और नफरत करती थीं। अब ऐसा समय आ गया है कि एक दूसरे से तार, रेल और जहाज़ों के द्वारा मिलने लग गई हैं।

इसी तरह यह भविष्यवाणी थी कि

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ

(अल-तक्वीर-7)

कि नदियाँ सूख जाएँगी इसके बारे में कहा जाता था कि क्रयामत के दिन भूकम्प आएँगे इस कारण नदियाँ सूख जाएँगी लेकिन क्रयामत के दिन तो पृथ्वी ने ही तबाह हो जाना था फिर नदियों के सूखने का वर्णन क्यों किया गया था। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इसका अर्थ यह बताया कि नदियों के सूखने से तात्पर्य यह था कि उन में से नहरें निकली जाएँगी।

इसी प्रकार यह भी भविष्यवाणी थी कि

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

(अल-तक्वीर-8)

विभिन्न लोगों को आपस में मिला दिया जाएगा। इसका यह अर्थ किया जाता था कि क्रयामत के दिन सारे लोगों को इकट्ठे कर दिया जाएगा। स्त्री-पुरुष इकट्ठे हो जाएँगे। हालांकि क्रयामत के दिन तो इस ज़मीन ने उथल-पुथल हो जाना है उस में लोग किस तरह इकट्ठे हो सकते हैं। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस की यह व्याख्या की कि इस आयत में ऐसे सामान और संसाधनों के निकलने की भविष्यवाणी की गई थी कि जिनके द्वारा यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति दूर-दराज़ रहने वाले लोगों से बातें कर सकेगा। अब देख लो ऐसा ही हो रहा है या नहीं।

इसी तरह आपने कुर्आन करीम की विभिन्न आयतों से साबित किया कि उन में प्रकृति के ज्ञानों का सही और सच्चा वर्णन मौजूद है उदाहरणतः

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۝ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا

(अश्शम्स-2,3)

में इस ओर संकेत किया गया है कि चाँद स्वयं प्रकाशमान नहीं बल्कि सूरज से प्रकाश लेता है। तात्पर्य यह की आप ने बीसियों आयतों

हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कारनामे से बताया कि कुर्आन करीम में विभिन्न ज्ञानों की ओर संकेत है जिन्हें एक ही युग के लोग नहीं समझ सकते बल्कि अपने समय पर उनकी पूरी समझ आ सकती है।

इसी तरह युग ज्यों-ज्यों उन्नति करता जाएगा कुर्आन करीम में से नए-नए ज्ञान निकलते चले जाएँगे। अतः आज आप के बताए हुए सिद्धांत के अनुसार अल्लाह तआला ने हमें कुर्आन करीम का ऐसा ज्ञान दिया है कि कोई उस के सामने ठहर नहीं सकता।

देखो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह कितना बड़ा इन्कलाब कर दिया। आप से पहले मौलवी यही कहा करते थे अमुक बात अमुक तप्सीर में लिखी है और यदि कोई नई बात प्रस्तुत करता तो कहते बताओ कि यह किस तप्सीर में लिखी है। लेकिन हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह बताया कि जो खुदा इन तप्सीरों के लेखकों को कुर्आन सिखा सकता है वह हमें क्यों नहीं सिखा सकता। इस तरह आप ने हमें एक कुएँ के मेंढक की हैसियत से निकालकर समुद्र का तैराक बना दिया।

(4) चौथी गलती लोगों को यह लग रही थी कि कुर्आन करीम के विषयों में कोई विशेष तर्तीब (क्रम) नहीं है। वे यह न मानते थे कि आयत के साथ आयत और शब्द के साथ शब्द का जोड़ है। बल्कि वे कभी-कभी पहले और बाद के नाम पर कुर्आन करीम की तर्तीब को बदल देते थे। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस खतरनाक दोष को भी दूर किया और बताया कि पहले और बाद के नाम पर तर्तीब बदलना निस्संदेह जायज़ है पर कोई यह बताए कि क्या सही तर्तीब से वह श्रेष्ठ हो सकती है यदि तर्तीब तक्रदीम व ताखीर से श्रेष्ठ होती है तो कुर्आन की ओर निकृष्ट बात क्यों मन्सूब करते हो?

आपने आयों के मुक्राबले में दावा किया है कि कुर्आन में न केवल अर्थों के क्रम बल्कि शब्दों के क्रम को भी दृष्टिगत रखा गया है यहाँ तक कि नामों को भी युगानुसार यथास्थान क्रमानुसार बयान किया गया है सिवाए इसके कि विषय की क्रमिकता के कारण उन्हें आगे पीछे करना पड़ा और इसमें क्या सन्देह है कि अर्थक्रम शब्दक्रम पर प्रधान होता है।

(5) पांचवी गलती मुसलमानों में भी और दूसरों में भी कुर्आन करीम के अर्थों के बारे में यह पैदा हो गई थी कि कुर्आन करीम में विषयों की पुनरावृत्ति है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह साबित किया कि कुर्आन करीम में कदापि विषयों की पुनरावृत्ति नहीं है। बल्कि हर शब्द जो आता है वह नया विषय और नई विशेषता लेकर आता है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कुर्आन करीम की आयतों की पुष्प से उपमा दी है। अब देखो कि पुष्प में पत्तियों का हर नया घेरा देखने में पुनरावृत्ति लगता है लेकिन हर घेरा पुष्प की सुन्दरता की श्रेणी को पूर्ण कर रहा होता है। यदि पुष्प की पत्तियों के एक घेरे को तोड़ दिया जाए तो पुष्प क्या पूर्ण पुष्प रहेगा? नहीं। यही बात कुर्आन करीम में है। जिस तरह पुष्प में हर पत्ती नया सौन्दर्य पैदा करती है और खुदा तआला पत्तियों की एक श्रृंखला के बाद दूसरी बनाता है और तब खत्म करता है जब उसका सौन्दर्य चरमोत्कर्ष को पहुँच जाता है। इसी तरह कुर्आन में हर बार का विषय एक नए अर्थ और नए उद्देश्य के लिए आता है और सारा कुर्आन करीम मिलकर एक पूरा वुजूद बनता है।

हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं यह सोचना कि कुर्आन करीम की आयतें एक दूसरे से अलग-अलग हैं ग़लत है। कुर्आन

करीम की आयतों का उदाहरण ऐसा है जैसे कि शरीर की कणिकाएँ और सूरतों का उदाहरण ऐसा है जैसे शरीर के समस्त अंग। उदाहरणतः मनुष्य के 32 दाँत होते हैं। क्या कोई कह सकता है की दाँतों को 32 बार दोहराया गया है इसलिए 31 दाँत तोड़ डालना चाहिए और केवल एक दाँत रहने देना चाहिए। या मनुष्य के दो कान हैं। क्या कोई एक कान इसलिए काट देगा कि दूसरा कान क्यों बनाया गया है। या कोई कह सकता है कि मनुष्य की 12 पसलियाँ नहीं होनी चाहिएँ ग्यारह तोड़ देनी चाहिए। यदि कोई किसी की एक पसली भी तोड़ देगा तो वह भीषण मारपीट का दावा कर देगा। इसी तरह मनुष्य के शरीर पर लाखों बाल हैं। क्या कोई सारे बाल मुंडवाकर केवल एक रखेगा ताकि पुनरावृत्ति न हो। ज़रा शरीर से पुनरावृत्ति दूर कर दो, फिर देखो क्या शेष रह जाता है?

अतः हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कुर्आन करीम के अर्थ बयान करके पुनरावृत्ति का आरोप लगाने वालों को ऐसा जवाब दिया है कि मानो उनके दाँत तोड़ दिए हैं।

(6) छठवीं ग़लती कुर्आन करीम के बारे में मुसलमानों को यह लग रही थी कि कुर्आन करीम में इब्रत हासिल करने के लिए पुराने क्रिस्से बयान किए गए हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस भ्रम को भी दूर किया और साबित किया कि कुर्आन करीम में इब्रत के लिए क्रिस्से नहीं बयान किए गए यद्यपि कुर्आन के वर्णनों से इब्रत भी मिलती है। लेकिन वस्तुतः वे उम्माते मुहम्मदिया के लिए भविष्यवाणियाँ हैं और जो कुछ इन वृत्तान्तों में वर्णन किया गया है वह ठीक उसी तरह भविष्य में होने वाला है। यही कारण है कि कुर्आन करीम पूरा क्रिस्सा नहीं बयान करता बल्कि चुने हुए भाग का वर्णन करता है।

यह बात ऐसी स्पष्ट है कि कुर्आन करीम में वर्णित वृत्तान्तों के बहुत सारे भाग पूरे होते रहे हैं और भविष्य में भी पूरे होंगे। "नमला" की एक घटना कुर्आन करीम में वर्णित है उसके बारे में इतिहास से पता चलता है कि हारून रशीद के समय ऐसी ही घटना घटी। उस समय भी नमला क्रौम की शासक एक औरत थी जैसा कि सुलैमान अलैहिस्सलाम के समय में थी। उसने उपहार में हारून रशीद को सोने की एक थैली भेंट की और कहा कि हमें इस बात का गर्व है कि हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम के समय में भी एक औरत ने ही उपहार भेंट किए थे। अब मैं भी औरत हूँ जो यह भेंट प्रस्तुत कर रही हूँ। इस दृष्टि से आप की सुलैमान अलैहिस्सलाम से तुलना हो गई। हारून रशीद को भी इस पर गर्व हुआ कि उनकी सुलैमान अलैहिस्सलाम से तुलना की गई।

(7) सातवां सन्देह यह पैदा हो गया था कि कुर्आन करीम में इतिहास के विरुद्ध बातें हैं। यह सन्देह मुसलमानों में भी पैदा हो गया था और दूसरों में भी। सर सैयद अहमद जैसे विद्वान आदमी ने भी इस ऐतिहासिक घबराकर यह उत्तर दिया कि कुर्आन करीम में औपचारिकताओं से काम लिया गया है। अर्थात् ऐसे वर्णनों या अक्रीदों को दलील के तौर पर प्रस्तुत किया गया है जो यद्यपि सही नहीं है मगर मुखातब (सम्बोधित) उनकी प्रामाणिकता का क्रायल है। इसलिए उसके समझाने के लिए उन्हें सही मानकर प्रस्तुत कर दिया गया है।

लेकिन यह जवाब वस्तुतः हालात को और भी खतरनाक कर देता है। क्योंकि प्रश्न उठ सकता है कि किस जरिया से हमें ज्ञात हुआ कि कुर्आन करीम में कौन सी बात औपचारिकता के तौर पर प्रस्तुत की गई हैं और कौन सी सच्चाई के तौर पर। इस दलील के अनुसार

यदि कोई व्यक्ति सारे कुर्आन को ही औपचारिकताओं की एक क्रिस्म ठहरा दे तो उसकी बात को इन्कार नहीं किया जा सकता और दुनिया का कुछ भी शेष नहीं रहता। औपचारिक दलील के लिए आवश्यक है कि स्वयं लेखक ही बताए कि वह औपचारिक है।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उपरोक्त ऐतिहासिक के जवाब में औपचारिकता के सिद्धांत को नहीं अपनाया बल्कि उसका खंडन किया और यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि कुर्आन खुदा तआला का कथन है। उस अन्तर्यामी की ओर से जो कुछ बयान हुआ है वह निःसन्देह सत्य है और उसके मुक़ाबले में दूसरी ऐतिहासिक बातों को प्रस्तुत करना जो अपनी कमजोरी पर स्वयं साक्षी है बुद्धि के विपरीत है। हाँ यह अनिवार्य है कि कुर्आन करीम जो कुछ बयान करता है उसके अर्थ खुद कुर्आन करीम के बताये हुए नियमों के अनुसार किए जाएँ। उसे एक कहानियों की किताब ना बनाया जाए और उसकी युक्तिपूर्ण शिक्षा को सरसरी बातों का संग्रह न समझ लिया जाए।

(8) आठवीं ग़लती जिसका लोग शिकार हो रहे थे यह थी कि कुर्आन करीम कुछ ऐसे छोटे-छोटे विषय बयान करता है जिनका बयान करना मनुष्य के ज्ञान और मानसिक उन्नति के लिए लाभदायक नहीं हो सकता।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इसे भी ग़लत साबित किया और बताया कि कुर्आन करीम में कोई व्यर्थ विषय बयान नहीं हुआ। बल्कि जितने अर्थ या वृत्तान्त वर्णन किए गए हैं वे सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं उदाहरण के तौर पर हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के एक वर्णन को लेता हूँ। कुर्आन करीम में लिखा है कि उन्होंने एक ऐसा महल बनवाया था जिसका फर्श शीशे का था और उसके नीचे पानी बहता

था। जब मलिका सबा उनके पास आई तो उन्होंने उसमें दाखिल होने को कहा लेकिन मलिका ने समझा कि उसमें पानी है और वह डर गई। इस पर सुलैमान अलैहिस्सलाम ने कहा, डरो नहीं यह पानी नहीं बल्कि शीशे के नीचे पानी है। क़ुर्आन करीम के शब्द यह हैं :-

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً
وَوَكَشَفْتُ عَنْ سَاقِيهَا قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرٍ
قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ

(अन्नमल-45)

अर्थात् सबा क्रौम की मालिका को हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम की तरफ़ से कहा गया कि इस महल में दाखिल हो जाओ। जब वह दाखिल होने लगी तो उसे लगा कि फ़र्श की जगह गहरा पानी है इस पर उसने अपनी पिंडलियों से कपड़ा ऊपर कर लिया और घबरा गई। तब सुलैमान ने उसे कहा कि तुम्हें भ्रम हुआ है यह पानी नहीं है यह शीशे का फ़र्श है और पानी इसके नीचे है। तब उसने कहा, हे मेरे रब्ब! मैंने अपने आप पर अत्याचार किया, अब मैं सुलैमान के साथ समस्त लोकों के रब्ब, अल्लाह पर ईमान लाती हूँ।

विभिन्न भाष्यकार इन आयतों की अजीबोगरीब व्याख्या करते हैं। कई यह कहते हैं कि हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम उससे विवाह करना चाहते थे लेकिन जिन्नों ने उन्हें बताया कि उसकी पिंडलियों में बाल हैं तो हजरत सुलैमान ने उसकी पिंडलियाँ देखने के लिए इस तरह का महल बनवाया। लेकिन जब उसने पाजामा उठाया तो देखा कि उसकी पिंडलियों पर बाल नहीं हैं।

कई कहते हैं पिंडलियों के बाल देखने के लिए हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने इतना बड़ा प्रबंध क्या करना था, बल्कि असल बात यह है कि उन्होंने उस मलिका का सिंहासन मँगाया था। इस पर उन्होंने सोचा कि मेरी तो तौहीन हुई है कि मैंने उससे सिंहासन माँगा। उस शर्मिंदगी को दूर करने के लिए हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने ऐसा क़िला बनवाया ताकि वह अपनी प्रतिष्ठा कायम कर सकें। पर क्या कोई बुद्धिमान यह कह सकता है कि यह बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि ख़ुदा की किताब और विशेषकर आख़िरी शरीअत की कामिल किताब (अर्थात् कुर्आन) में उन बातों का वर्णन किया जाए जिनका न धर्म से संबंध है न ज्ञान से। क्या बुद्धि यह स्वीकार कर सकती है कि ख़ुदा तआला के नबी ऐसे कामों में जिनको यहाँ बयान किया गया है लिप्त हो सकते हैं?

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस आयत की जो व्याख्या की है उसने वास्तविकता स्पष्ट कर दी है और स्पष्ट तौर पर सिद्ध हो गया है कि कुर्आन करीम में जो कुछ बयान हुआ है वह ईमान और अध्यात्म की उन्नति के लिए है। आप फ़रमाते हैं कि कुर्आन करीम से ज्ञात होता है कि मलिका-ए-सबा एक मुश्रिका अनेकेश्वरवादी औरत थी और सूर्य की पूजा करती थी। हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम उसे समझाना चाहते थे और शिर्क से विमुख कराना चाहते थे। इसलिए आप ने शब्दों में दलील देने के साथ-साथ यह ढंग भी अपनाया कि व्यवहारिक दृष्टि से भी उसके अक़्रीदा की ग़लती उस पर स्पष्ट करें। अतः उससे मुलाक़ात के लिए एक ऐसा क़िला बनवाया जिसका फ़र्श शीशे का था और उसके नीचे पानी बहता था। जब मलिका उस पर चलने लगी तो उसे पानी की झलक दिखाई दी

जिसे देखकर वह डर गई और अपना पाजामा ऊँचा कर लिया (अरबी शब्द “कशफ़ साक्र” के दोनों ही अर्थ हैं) इस पर हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने उसे तसल्ली दी और कहा कि जिसे तुम पानी समझती हो वह तो शीशे का फ़र्श है पानी उसके नीचे है। चूँकि आप पहले शाब्दिक दलीलों से उस पर शिर्क की ग़लती साबित कर चुके थे। अतः वह तुरन्त समझ गई कि उन्होंने एक व्यवहारिक उदाहरण भी देकर मुझ पर शिर्क की वास्तविकता स्पष्ट कर दी है कि जिस तरह पानी की झलक शीशे में से तुझे दिखाई देती है और तूने उसे पानी समझ लिया है इसी तरह ख़ुदा तआला का नूर (प्रकाश) सूरज चाँद सितारों इत्यादि में से झलक रहा है और लोग उन्हें ख़ुदा ही समझ बैठते हैं। हालाँकि वह ख़ुदा तआला के नूर (प्रकाश) से नूर ले रहे होते हैं। अतः इस दलील से वह तुरन्त प्रभावित हुई और बड़े जोर से कहने लगी कि

मैं उस ख़ुदा पर ईमान लाती हूँ जो समस्त लोकों का रब्ब है अर्थात् सूर्य इत्यादि का भी। सब उसी से नूर पा रहे हैं। मूलतः नूर देने वाला वही एक है।

अब देखो यह कैसा महत्त्वपूर्ण आधारभूत और गहरा विषय है और इस पर एक किताब लिखी जा सकती है। जबकि पहले यह कहा जाता था कि बालों वाली पिंडलियाँ देखने के लिए महल बनवाया गया था। क्या जिन औरतों की पिंडलियों पर बाल होते हैं उनकी शादी नहीं होती? क्या नबी ऐसे कर्मों में लिप्त हो सकते हैं? अतः हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कुर्आन करीम के विषयों की प्रतिष्ठा को बढ़ाया और उसकी ओर जो ग़लत बातें मन्सूब की जाती थीं उनसे उसे रहित ठहराया।

(9) नवीं ग़लती लोगों को यह लग रही थी कि बहुत से लोग समझते थे कि कुर्आन करीम के बहुत से दावे बिना दलील के हैं। उन्हें दलीलों से साबित नहीं किया जा सकता। मुसलमान कहते हैं कि कुर्आन अल्लाह का कलाम (वाणी) है। इसलिए उसमे जो कुछ बयान किया गया है उसे हम मानते हैं। दूसरे लोग कहते हैं यह व्यर्थ बातें हैं उन्हें हम किस तरह मान सकते हैं? हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बताया कि कुर्आन करीम का हर दावा अपने साथ एक अकाट्य तर्क रखता है और कुर्आन अपने हर दावे की स्वयं दलील देता है यही बात कुर्आन करीम को दूसरी इल्हामी किताबों से विशिष्ट करती है। तुम कहते हो कि कुर्आन की बातें बिना दलील के हैं। कुर्आन में केवल यही विशेषता नहीं कि उसकी बातें दलाइल से साबित हो सकती हैं बल्कि यह भी विशेषता है कि वह अपने दलाइल स्वयं देता है। वह किताब किस तरह कामिल हो सकती है जो हमारे दलाइल की मुहताज हो। बात खुदा बयान करे और दलाइल हम दूँटें!!! यह तो ऐसा ही उदाहरण हुआ जैसे राजों महाराजों के दरबारों में होता है कि जब राजा कोई बात करते हैं तो उनके दरबारी हाँ जी, हाँ जी कहकर उसका समर्थन और सत्यापन करने लग जाते हैं। अतः हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने दावा किया कि कुर्आन करीम का कोई भी दावा ऐसा नहीं जिसकी एक ही नहीं बल्कि कई दलीलें स्वयं उसने न दी हों। आपने इस विषय को इतना विस्तार से वर्णन किया कि दुश्मनों पर एक खामोशी छा गई।

हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का अमृतसर में ईसाइयों से जो मुबाहसा (शास्तार्थ) हुआ और जंगे मुकद्दस के नाम से प्रकाशित हुआ। उसमें आपने ईसाइयों के सामने यही बात प्रस्तुत की

कि दोनों पक्ष जो दावा करें उसका सबूत अपनी इल्हामी किताब से दें और उसके दलाइल भी उसी इल्हामी किताब से ही प्रस्तुत करें। ईसाई दलाइल क्या पेश करते, वे यह दावा भी इन्जील से न निकाल सके कि मसीह ख़ुदा का बेटा है।

हजरत खलीफ़तुल मसीह अब्बल रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं एक बार मैं गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था कि एक ईसाई ने मुझसे कहा, मैंने मिर्ज़ा साहिब का अमृतसर वाला मुबाहसा (शास्त्रार्थ) देखा, लेकिन मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। आपके पास उनके सच्चे होने की क्या दलील है? आपने कहा यही मुबाहसा हजरत मिर्ज़ा साहिब की सच्चाई की दलील है। ईसाई ने पूछा वह कैसे? आप ने कहा कि इस तरह कि हजरत मिर्ज़ा साहिब ने ईसाइयों से कहा था कि अपना दावा और उसके दलाइल अपनी इल्हामी किताब से प्रस्तुत करो। मगर ईसाई ऐसा न कर सके और न इसका कोई जवाब दे सके। अगर मैं होता तो उठकर चला आता मगर मेरे मिर्ज़ा पन्द्रह दिन तक ईसाइयों की बेवकूफी की बातें सुनता रहा और उनको समझाता रहा। यह हजरत मिर्ज़ा साहिब का ही साहस था।

(10) दसवीं ग़लती बहुत से लोगों को यह लगी हुई थी कि कुर्आन करीम प्रकृति विज्ञान का खण्डन करता है और उसके विपरीत बातें बयान करता है। इस ग़लती को भी आपने दूर किया और बताया कि कुर्आन करीम ही तो एक ऐसी किताब है जो प्रकृति अर्थात् ख़ुदा की करनी को प्रमाण के साथ प्रस्तुत करती है और उसके महत्त्व को स्वीकार करती है और जाहिरी सिलसिला अर्थात् प्रकृति को बातिनी सिलसिला अर्थात् ख़ुदा की कथनी के सदृश ठहरती है। इसलिए यह कहना ग़लत है कि कुर्आन करीम प्रकृति विज्ञान के विरुद्ध बातें करता

है। खुदा तआला की कथनी और करनी कभी एक-दूसरे के खिलाफ नहीं हो सकती। जो बातें कुर्आन करीम में प्रकृति के विरुद्ध ठहराई जाती हैं। उनके संबंध में आप ने फ़रमाया कि वे दो कारणों से बाहर नहीं। (1) जिस बात को लोगों ने क़ानून-ए-कुदरत समझ लिया है या तो वह क़ानून-ए-कुदरत नहीं। (2) या फिर कुर्आन करीम के जो अर्थ समझे गए हैं वे सही नहीं। अतः आपने इसके सम्बन्ध में कई उदाहरण दिए कि किस तरह कुर्आन करीम के अर्थ ग़लत समझे गए। अतः आपने उदाहरण दिया कि आयत-

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۖ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۖ
(अत्तारिक-12,13)

के यह अर्थ किए गए हैं कि आसमान चक्कर खाता है और ज़मीन फटती है। इस पर अन्तरिक्ष वैज्ञानिकों ने यह ऐतिराज़ किया है कि आसमान कोई पदार्थ नहीं फिर वह चक्कर कैसे काटता है और यदि पदार्थ हो भी, तो भी ज़मीन चक्कर खाती है न कि आसमान।

हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस आयत के बारे में फ़रमाते हैं, अरबी शब्द “समाअ” (سَمَاءٌ) का अर्थ बादल भी है और अरबी शब्द “रजअ” (رَجْعٌ) का अर्थ बार-बार लौटकर आना है। अतएव इस आयत का यह अर्थ नहीं है कि आसमान चक्कर खाता है बल्कि यह है कि हम प्रमाण के तौर पर बादलों को प्रस्तुत करते हैं जो बार-बार सूखी ज़मीन को तृप्त करने के लिए आते हैं। फिर ज़मीन को प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं जो वर्षा होने पर फटती है अर्थात् उससे खेती निकलती है। प्रमाण के तौर पर इन चीज़ों को प्रस्तुत करके बताया गया है कि जिस तरह खुदा तआला ने बादलों को पैदा किया है कि वे बार-बार आते हैं और ज़मीन के हरे भरे होने का कारण बनते हैं

और उनके बिना हरियाली और तर्रोताजगी असम्भव है इसी तरह रूहानी सिलसिले का हाल है कि जब तक अल्लाह तआला अपने फ़ज़ल के बादल नहीं भेजता और अपने कलाम (इल्हाम) का पानी नहीं बरसाता तब तक ज़मीन की फूटने की क्षमता ज़ाहिर नहीं होती। लेकिन जब आसमान से रूहानी पानी नाजिल होता है तब मानवीय सूझ-बूझ अपनी क्षमता ज़ाहिर करती है और आसमानी कलाम (इल्हाम) की मदद से रूहानीयत के बारीक से बारीक अर्थ पैदा करने लाती है। अतएव इन आयतों के बयान का ढंग भी इन्ही अर्थों की ओर संकेत करता है। क्योंकि आगे फ़रमाया है कि

إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ۝ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝

(अत्तारिक-14,15)

अर्थात् पिछली बात से यह बात साबित है कि कुर्आन करीम कोई व्यर्थ बात नहीं कहती बल्कि सच्चाई को साबित करने वाली किताब है। क्योंकि इस ज़माने में भी ज़मीन अर्थात् मनुष्य का दिल खुशक हो रहा था और लोग धार्मिक ज्ञान से अनभिज्ञ थे। अतः समय की आवश्यकता थी कि खुदा की रहमत का बादल कलाम-ए-इलाही (अर्थात् इल्हाम) कि दशा में बरास्ता और लोगों की रूहानी खुशकी को दूर करना।

इसी तरह आपने बताया कि देखो कुर्आन करीम के अवतरणकाल के लोगों का विचार था कि आसमान एक ठोस चीज़ है और सितारे उसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन यह खोज वास्तविकता के विरुद्ध थी। कुर्आन करीम ने उस ज़माने में ही इसका खण्डन किया और फ़रमाया कि

كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

(यासीन - 41)

समस्त ग्रह, एक आसमान में जो ठोस नहीं है बल्कि एक सूक्ष्म द्रव्य है जिसकी बहती हुई धारा से उपमा दी जा सकती है उसमें इस तरह चक्कर काटते हैं जिस तरह तैराक पानी में तैरता है। वर्तमान खोज में ईथर का वर्णन इस बयान के सदृश है।

इसी तरह आपने फ़रमाया की आयत

خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

(अन्निसा - 2)

का यह अर्थ किया जाता है कि आदम की पसली से ख़ुदा ने हव्वा को पैदा किया और फिर उस पर ऐतिराज़ किया जाता है। हालांकि यह अर्थ ही ग़लत है। कुर्आन करीम में यह नहीं कहा गया कि हव्वा आदम की पसली से पैदा हुई, बल्कि इस आयत का अर्थ यह है कि हव्वा आदम ही की जाति से पैदा की गई। अर्थात् जिन शक्तियों और भावनाओं के साथ पुरुष पैदा हुआ उन्हीं शक्तियों और भावनाओं के साथ औरत पैदा हुई। क्योंकि यदि पुरुष और स्त्री की भावनाएँ एक न होतीं तो उनमें सच्चा प्यार पैदा नहीं हो सकता था। क्योंकि यदि केवल पुरुष में इच्छा रखी जाती और स्त्री में न होती तो कभी उनमें अंतरंगी मित्रता पैदा न होती और एक दूसरे से सदैव झगड़ा होता रहता। अतएव जैसी भावनाएँ पुरुष में रखी गई हैं वैसी ही स्त्री में भी रखी गई हैं ताकि वे दोनों आपस में प्रेम से रह सकें।

अब देखो यह विषय पुरुष और स्त्री में कितनी अंतरंगी मित्रता और प्रेम पैदा करने वाला है। जब कोई पुरुष स्त्री से अकारण नाराज़ हो तो उसे कहेंगे कि जैसे तुम्हारी भावनाएँ हैं उसी तरह स्त्री की भी हैं। जिस तरह तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी भावनाओं को ठोस पहुँचे उसी तरह वह भी चाहती हैं कि उसकी भावनाओं को पैरों तले न रौंदा

जाए। अतः तुम्हें उसका भी ध्यान रखना चाहिए।

इसी तरह आपने फ़रमाया कि कुछ लोग कहते हैं कि आयत

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ

اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَأَلْ بِهِ خَبِيرًا

(अल फ़ुर्कान - 60)

से मालूम होता है कि आसमान और ज़मीन छः दिन में पैदा किए गए फिर खुदा अर्श पर बैठ गया। लेकिन यह ग़लत अर्थ है क्योंकि धरती और आसमान लाखों साल में पैदा हुए हैं। यह जन्तु विज्ञान (Zoology) से सिद्ध है लेकिन सच यह है कि लोग खुद कुर्आन की आयतों को नहीं समझते। हम यह तो नहीं कह सकते कि धरती और आसमान कितने वर्षों में बने, पर यह जानते हैं कि छः दिनों में नहीं बने। क्योंकि दिन तो सूरज से बनते हैं। लेकिन जब सूरज ही न था तो यह दिन कहाँ से आ गए? दिन का अर्थ समय का एक अनुमान है। कुर्आन करीम में दिन एक हजार वर्ष का भी है। और पचास हजार वर्ष का भी है। अतः इस आयत में छः लम्बे ज़मानों में धरती आसमान की उत्पत्ति का वर्णन है।

(11) लोग कुर्आन करीम की तफ़्सीर (व्याख्या) करने में ग़लती किया करते थे। आपने ऐसे उसूलों पर कुर्आन करीम की तफ़्सीर की बुनियाद रखी कि ग़लती की सम्भावना बहुत कम हो गई। उन उसूलों के द्वारा खुदा तआला ने आपके अनुयायियों पर कुर्आन करीम के ऐसे रहस्य प्रकट किए जो दूसरों पर नहीं हुए। अतएव मैंने भी कई बार ऐलान किया है कि कुर्आन करीम का कोई पन्ना किसी बच्चे से खुलवाया जाए या कुर्आ अन्दाज़ी से निकाला जाए फिर उस इबारत के रहस्य मैं भी लिखूंगा और दूसरे किसी फ़िरक़े का नुमाइन्दा भी लिखे। फिर ज्ञात

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कारनामे हो जाएगा कि खुदा तआला किस के द्वारा कुर्आन करीम के रहस्यज्ञान प्रकट करता है, पर किसी ने यह चैलेन्ज स्वीकार न किया।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तफ़्सीर के जो उसूल बयान किए हैं वे निम्नलिखित हैं -

1 आपने बताया कि कुर्आन करीम खुदा तआला का रहस्य है और रहस्य उन प्रकट किए जाते हैं जो उससे विशेष संबंध रखते हैं। लेकिन यह अजीब बात है कि कुर्आन करीम की तफ़्सीरें जिन लोगों ने लिखी हैं वे न तो सूफी थे न वली (धर्मात्मा) बल्कि साधारण मौलवी थे जो अरबी जानने वाले थे। हाँ उन्होंने कुछ आयतों की बहुत गूढ़ तफ़्सीरें लिखी हैं। जैसा कि हज़रत मुहीउद्दीन साहिब इब्न-ए-अरबी की किताबों में कुर्आनी आयतों की तफ़्सीर आती है तो ऐसी गूढ़ होती है कि दिल उसकी सच्चाई का क्रायल हो जाता है। अतः

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि कुर्आन करीम समझने के लिए आवश्यक है कि

(1) अल्लाह से सच्चा संबंध हो।

(2) दूसरा सिद्धांत आपने यह बताया कि कुर्आन करीम का हर एक शब्द तर्तीब से रखा गया है। इस दृष्टि से कुर्आन करीम की तफ़्सीर आसान भी हो गई है और उसके सूक्ष्म ज्ञान भी प्रकट होते हैं। इसलिए चाहिए कि जब कोई कुर्आन करीम पर ग़ैर करे तो इस बात को मद्देनज़र रखे कि खुदा तआला ने एक शब्द को पहले क्यों रखा है और दूसरे को बाद में क्यों। जब वह इस पर ग़ैर करेगा तो उसे युक्ति समझ में आ जाएगी।

(3) कुर्आन करीम का कोई शब्द निरुद्देश्य नहीं और न कोई शब्द अधिक है। प्रत्येक शब्द किसी विशेष आशय और अर्थ प्रकट

करने के लिए आया है। इसलिए किसी शब्द को यूँ ही न छोड़ो।

(4) जिस तरह कुर्आन का कोई शब्द निरर्थ नहीं। उसी तरह वह जिस विषय और सन्दर्भ में आता है वहाँ उसका आना आवश्यक होता है। इसलिए उसके अर्थ करते समय अगले और पिछले विषय के साथ उसका संबंध समझने की अवश्य कोशिश करनी चाहिए। यदि इबारत के अगले-पिछले हिस्से में वर्णित विषय को ध्यान में न रखा जाए तो अर्थ समझने में गलती हो जाती है।

(5) कुर्आन करीम अपने हर दावे की दलील स्वयं बयान करता है। इसके बारे में पहले विस्तार से बयान कर चुका हूँ। आपने फ़रमाया जहाँ कुर्आन करीम में कोई दावा हो वहाँ उसकी दलील भी ढूँढो अवश्य मिल जाएगी।

(6) कुर्आन अपनी तफ़्सीर स्वयं करता है जहाँ कोई बात अधूरी नज़र आए तो उससे संबंधित दूसरा टुकड़ा दूसरी जगह ढूँढो जो अवश्य मिल जायेगा और इस तरह वह बात पूरी हो जाएगी।

(7) कुर्आन करीम में मतभेद नहीं। इसके बारे में मैं विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ।

(8) कुर्आन करीम में सिर्फ़ किस्से नहीं हैं बल्कि हर पिछली घटना भविष्यवाणी के तौर पर बयान हुई है। यह भी पहले बयान कर चुका हूँ।

(9) कुर्आन करीम का कोई हिस्सा मन्सूख (निरस्त) नहीं है। पहले लोगों को जो आयत समझ न आती थी उसके बारे में कह देते थे कि वह मन्सूख है। इस तरह से उन्होंने कुर्आन करीम का बहुत बड़ा हिस्सा मन्सूख ठहरा दिया। उनकी मिसाल ऐसी ही है जैसे कि कहते हैं कि किसी व्यक्ति को यह भ्रम था कि वह बहादुर है। उस ज़माने में

बहादुर लोग अपना कोई निशान ठहराकर अपने शरीर पर गुदवा लेते थे। उसने अपना निशान शेर ठहराया और उसे अपनी बाँह पर गुदवाना चाहा। वह गोदने वाले के पास गया और उसे कहा कि मेरी बाँह पर शेर का निशान गोद दो। जब वह गोदने के लिए सुई चुभोई तो उसे दर्द हुआ तो उसने पुछा क्या चीज़ गोदने लगे हो, तो गोदने वाले ने कहा, शेर का कान बनाने लगा हूँ उसने कहा अगर कान न हो तो क्या उसके बिना शेर शेर नहीं रह सकता? गोदने वाले ने कहा क्यों नहीं, फिर भी शेर शेर ही होता है। उसने कहा अच्छा फिर कान को छोड़ दो। उसे पहले बहाना से छुड़वा लिया। इसी तरह जो हिस्सा वह गोदने लगता वही बहाना बनाकर छुड़वा लेता। अन्त में गोदने वाले ने कहा कि अब तुम घर जाओ। एक-एक करके सारे हिस्से ही खत्म हो गए। यही हाल कुर्आन करीम के नासिख व मंसूख मानने वालों का था। ग्यारह सौ आयतें उन्होंने मन्सूख ठहरा दीं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बताया कि कुर्आन करीम का एक शब्द भी मन्सूख नहीं है और जिन आयतों को मन्सूख कहा जाता था आपने उनके अत्यन्त शुद्ध और नए अर्थ बयान फ़रमाए।

(10) एक रहस्य आपने कुर्आन करीम के बारे में यह बयान फ़रमाया की ख़ुदा तआला की कथनी और करनी परस्पर विपरीत नहीं हो सकती। आपने यह नहीं कहा कि ख़ुदा तआला के कथन की साइंस मुखालिफ़ नहीं होती। क्योंकि साइंस कभी-कभी स्वयं ग़लत बात प्रस्तुत करती है और उसकी ग़लती सिद्ध हो जाती है। बल्कि यह फ़रमाया कि ख़ुदा तआला की करनी उसकी कथनी के विपरीत नहीं होती। हाँ यह संभव है कि जिस तरह ख़ुदा की वाणी को समझने में लोग ग़लती कर जाते हैं उसी तरह उसके काम के समझने में भी ग़लती कर जाएँ।

(11) आपने यह भी बताया कि अरबी भाषा के शब्द समानार्थक नहीं होते। बल्कि उसके वर्णाक्षर भी अपने अन्दर अर्थ रखते हैं अतः हमेशा अर्थों पर ध्यान देते हुए उस अन्तर को ध्यान में रखना चाहिए जो उस प्रकार के दूसरे शब्दों में पाए जाते हैं। ताकि वह विशिष्ट बात चित्त से गायब न हो जाए, जो एक विशेष शब्द के चुनने में अल्लाह तआला ने दृष्टिगत रखी थी।

(12) कुर्आन करीम की सूरतें (पाठ) मनुष्य के अंगों की तरह हैं जो एक-दूसरे से मिलकर और एक दूसरे के समक्ष अपनी विशेषता स्पष्ट करती हैं। आपने फ़रमाया, किसी बात को समझना हो तो सारे कुर्आन पर नज़र डालनी चाहिए। एक-एक भाग को अलग नहीं लेना चाहिए।

(13) तेरहवीं ग़लती लोगों को यह लगी हुई थी कि वे यह समझते थे कि कुर्आन करीम हदीस के ताबेअ है (अर्थात् हदीस की पैरवी करता है)। यहाँ तक कि यह भी कहते थे कि हदीस कुर्आन की आयतों को मन्सूख कर सकती है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस ग़लती को इस तरह दूर किया कि आपने कहा कि कुर्आन करीम हाकिम है और हदीसों उसके ताबेअ हैं। हम केवल वही हदीस मानेंगे जो कुर्आन के अनुसार होगी अन्यथा छोड़ देंगे। इसी तरह हदीस जो क़ानून-ए-कुदरत के अनुसार हो वह स्वीकार योग्य होगी क्योंकि ख़ुदा तआला की कथनी और करनी परस्पर विपरीत नहीं हो सकती।

(14) लोगों में यह कमी पैदा हो गई थी कि वे समझते थे कि कुर्आन करीम एक सार रूप (संक्षिप्त) किताब है। जिसमें मोटी-मोटी बातें बयान की गई हैं। शिष्टाचार, रहन-सहन और सामाजिक मेल-जोल का वर्णन इसमें नहीं है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इसके सम्बन्ध में यह दावा किया कि कुर्आन करीम एक कामिल (पूर्ण)

किताब है जिसने आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनैतिक और शिष्टाचार से सम्बन्धित जितने विषय आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं वे सारे के सारे बयान कर दिए गए हैं और फ़रमाया मैं यह सब बातें निकालकर दिखाने के लिए तैयार हूँ।

(15) पन्द्रहवीं ग़लती लोगों को यह लगी हुई थी कि कुर्आन करीम की कई शिक्षाएँ तत्सामयिक और अरब की हालत और उस युग के अनुसार थीं। अब उनमें बदलाव किया जा सकता है। अतएव सैयद अमीर अली जैसे लोगों ने लिख दिया कि फ़रिश्तों पर ईमान और एक से अधिक पत्नियाँ रखने की आज्ञा ऐसी ही बातें हैं। असल बात यह है कि यह लोग ईसाइयों के ऐतिराज से डरते थे जिसके कारण लिख दिया कि यह बातें अरब वालों के लिए थीं हमारे लिए नहीं। अब उनको छोड़ा जा सकता है।

हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया यह बात ग़लत है। जिसके बारे में कुर्आन करीम ने स्वयं बता दिया हो कि यह अमुक समय और अमुक अवसर के लिए आदेश है उसके अतिरिक्त कुर्आन करीम के सारे आदेश सही हैं और कोई आदेश क्षणिक नहीं।

आपने बताया कि रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम आखिरी शरीअत (अन्तिम धर्म विधान) लाने वाले नबी थे। इसलिए सारी शिक्षाएँ कुर्आन करीम में मौजूद हैं और हर युग के लिए हैं। हाँ उन शिक्षाओं के पालन-सम्बन्धी समय स्वयं उसने बता दिए हैं। कुर्आन करीम की कोई ऐसी शिक्षा नहीं जिस पर चलना सदैव के लिए बन्द हो उस पर कोई ऐसी शिक्षा नहीं जिस पर कोई चल न सके। फिर आपने विस्तार से उन ऐतराजों को दूर किया जो फ़रिश्तों और एक से अधिक पत्नियों और अन्य दूसरे विषयों पर होते थे।

(16) सोलहवीं ग़लती लोगों को यह लग रही थी कि वे कुर्आन को केवल एक बरकत देने वाली किताब समझते थे और प्रतिदिन काम आने वाली किताब नहीं समझते थे। जिसका परिणाम यह हुआ कि उसकी तिलावत (पाठ करना) और उसके अर्थों की ओर ध्यान देने से बिल्कुल बेपरवाह हो गए थे। ख़ूबसूरत बस्तों में लपेटकर कुर्आन करीम को रख देना या फिर केवल शब्दों को पढ़ लेना पर्याप्त समझते थे। कहीं कुर्आन करीम का दर्स न होता था। यहाँ तक कि उसका तर्जुमा तक भी नहीं पढ़ा जाता था। तर्जुमे के लिए सारा दारोमदार तफ़्सीरों पर था। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ही इस ज़माने में वह व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने कुर्आन को सही रंग में प्रस्तुत किया और ध्यान दिलाया कि कुर्आन का तर्जुमा पढ़ना चाहिए। आप से पहले कुर्आन का काम केवल यह समझा जाता था कि झूठी क्रसमें खाने के लिए इस्तेमाल किया जाए या मुर्दों पर पढ़ा जाए या ख़ूबसूरत गिलाफ़ चढ़ाकर ताक़ में रख दिया जाए। क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं कि शायरों ने ख़ुदा तआला की स्तुति और रसूल करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की प्रशंसा में तो अनगिनत नज़्में (कविताएँ) लिखी हैं लेकिन कुर्आन करीम की प्रशंसा में किसी ने भी कोई नज़्म (कविता) नहीं लिखी। पहले व्यक्ति हजरत मिर्ज़ा साहिब ही थे जिन्होंने कुर्आन की प्रशंसा में नज़्म (कविता) लिखी और फ़रमाया:-

जमालो हुस्ने कुरआँ नूरे जाने हर मुसलमाँ है।

क्रमर है चाँद औरों का हमारा चाँद कुरआँ है।।

लोगों को रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की नअत (प्रशंसा) पढ़नी होती है तो वह उन्हें मिल जाती है ख़ुदा तआला की स्तुति के दोहे पढ़ने होते हैं तो वे उन्हें मिल जाते हैं लेकिन कुर्आन

करीम की प्रशंसा में उन्हें नज़्म (कविता) नहीं मिलती और दुश्मन से दुश्मन भी हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के लिखे हुए शैर पढ़ने पर मजबूर होते हैं और यह कहते हुए कि मिर्जा साहिब स्वयं तो बुरे थे लेकिन ये शैर उन्होंने बहुत अच्छे कहे हैं, आपके शेरों को पढ़ने लग जाते हैं और इस तरह से वे स्वयं भी साबित करते हैं कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम सही अर्थों में कुर्आन करीम को सुरैया से लाए हैं।

फ़रिश्तों के बारे में फैली हुई ग़लत फ़हमियों को दूर करना -

पांचवां काम हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह किया कि फ़रिश्तों के बारे में जो ग़लतफ़हमियां थीं उन्हें आप ने दूर किया -

1 कुछ लोग कहते थे कि मनुष्यों की शक्तियों का नाम फ़रिश्ता रखा गया है। वर्ना ख़ुदा तआला को फ़रिश्तों की क्या ज़रूरत थी। आप ने इस भ्रम को पूर्णतः दूर किया और बताया कि फ़रिश्तों का अस्तित्व संदेहात्मक नहीं है बल्कि वे ब्रह्माण्ड में एक लाभदायक और उपयुक्त अस्तित्व हैं। आपने फ़रमाया कि :-

(क) फ़रिश्तों की आवश्यकता अल्लाह तआला को नहीं है लेकिन उनका होना मनुष्यों के लिए आवश्यक है। जिस तरह ख़ुदा तआला बिना भोजन सामग्री के मनुष्य का पेट भर सकता है लेकिन उसने भोजन सामग्री बनाया। बिना सांस के जिन्दा रख सकता है लेकिन उसने हवा बनाई। बिना पानी के तृप्त कर सकता है लेकिन उसने पानी बनाया। बिना रौशनी के दिखा सकता है लेकिन उसने रौशनी बनाई। बिना हवा के सुना सकता है लेकिन आवाज़ को पहुँचाने के लिए उसने हवा बनाई और उसके इस काम पर कोई ऐतिराज़ नहीं। इसी तरह यदि उसने अपना

आदेश पहुँचाने के लिए फ़रिश्तों का अस्तित्व बनाया तो इच्छा और आवश्यकता का प्रश्न क्यों पैदा हो गया? अन्य साधनों के पैदा करने से जब ख़ुदा तआला को उनकी आवश्यकता साबित नहीं बल्कि मनुष्य की आवश्यकता साबित होती है तो फ़रिश्तों के पैदा करने से ख़ुदा तआला को उनकी आवश्यकता कैसे साबित हुई? इनका पैदा करना भी सृष्टि की ज़रूरत के लिए है न कि ख़ुदा तआला की आवश्यकता के कारण।

(ख) दूसरा जवाब आपने यह दिया कि मनुष्य की व्यवहारिक और मानसिक उन्नति के लिए फ़रिश्तों का होना आवश्यक है। बौद्धिक उन्नति इस तरह होती है कि जो बातें गूढ़ से गूढ़ रखी गई हैं उनको मनुष्य ज्ञात करते जाते हैं और उन्नति करते जाते हैं। अतएव अवश्य था कि ब्रह्माण्ड इस तरह चलाया जाता कि परिणाम तुरन्त न निकलते बल्कि गुप्त से गुप्त साधनों का परिणाम होते, ताकि मनुष्य उनको ज्ञात करके विविध ज्ञानों में उन्नति करता जाता और दुनिया उसके लिए आखिरी सफ़र न होती बल्कि हमेशा उसके लिए काम मौजूद रहता। इस सिलसिला क्रम की आखिरी कड़ी फ़रिश्ते हैं। जिनका काम यह है कि वे उन नियमों को सही तौर पर चलाएँ जिनको ख़ुदा तआला ने प्रकृति के नाम से जारी किया है। उनके बिना पदार्थ की हरकत उस खूबी से चल ही नहीं सकती थी जिस तरह कि उनके होने में चल रही है।

2 दूसरी ग़लती फ़रिश्तों के बारे में यह लगी हुई थी कि वे भी लोगों की तरह चल फिर कर अपने काम करते हैं। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस सम्बन्ध में फ़रमाया कि वे आदेश के द्वारा काम करते हैं न कि स्वयं हर जगह जा-जाकर। यदि उन्हें हर जगह जा-जाकर काम करना पड़ता तो इज़राईल फ़रिश्ते के लिए इतने आदमियों के प्राण एक साथ निकालना मुश्किल होता। हाँ जब उन्हें किसी स्थान

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कारनामे पर प्रकट होने का आदेश होता है तो वे उस जगह प्रकट हो जाते हैं। वे अपनी जगह से इधर-उधर नहीं जाते।

3 तीसरी ग़लती लोगों को फ़रिश्तों के बारे में यह लग रही थी कि मानो फ़रिश्ते भी गुनाह कर सकते हैं। अतः आदम के वृत्तान्त के बारे में कहा जाता है कि फ़रिश्तों ने खुदा तआला पर ऐतिराज़ किया कि उसे क्यों पैदा किया है। इसी तरह यह भी समझा जाता था कि कुछ फ़रिश्ते दुनिया में आए और एक वैश्या पर आकर्षित हो गए। अंततः अल्लाह तआला ने उन्हें सज़ा दी और वे बाबिल के कुंएँ में अब तक बन्द हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इन इल्ज़ामों से फ़रिश्तों को रहित ठहराया और बताया कि फ़रिश्ते तो क़ानून-ए-कुदरत की पहली कड़ी हैं उनमें अच्छाई या बुराई अपनाने की शक्ति ही नहीं। उन्हें तो जो कुछ खुदा तआला आदेश देता है करते हैं। उसके आदेश के विरुद्ध थोड़ा सा भी न इधर हो सकते हैं न उधर।

4 चौथी ग़लती लोगों को यह लग रही थी कि फ़रिश्तों को एक व्यर्थ सा वुजूद समझा जाता था। जैसे बड़े-बड़े बादशाह अपने आस-पास आदमियों का एक घेरा रखते हैं मानो खुदा तआला ने भी इसी तरह उन्हें रखा हुआ है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बताया कि ऐसा नहीं है। बल्कि सारा ब्रह्माण्ड जगत पर चल रहा है। उनका काम लोगों के दिलों में नेक प्रेरणाएँ पैदा करना भी है। मनुष्य उनके माध्यम से अध्यात्म ज्ञानों में उन्नति कर सकता है।

नबियों के बारे में फैली हुई ग़लत फ़हमियों को दूर करना:-

छठा काम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह किया कि

नबियों के बारे में जो ग़लत फ़हमियाँ फैली हुई थीं उनको दूर किया :-

(1) पहली ग़लत फ़हमी नबियों के बारे में यह थी कि मुसलमानों में से, औलियाअल्लाह और सूफ़ियों और उनके मुरीदों को छोड़कर सुन्नी इत्यादि विचारधारा के लोग नबियों को निष्पाप नहीं समझते थे। कुछ तो संभावनाओं की हद तक ही रहते थे लेकिन बहुत से सचमुच नबियों की तरफ़ गुनाह मन्सूब करते थे और इसमें बुरा महसूस न करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे कहते थे कि उन्होंने तीन झूठ बोले थे। हजरत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि उन्होंने चोरी की थी। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में कहते थे कि वह दूसरे की पत्नी पर मोहित हो गए थे और उसको पाने एक लिए उसके पति को युद्ध में भिजवा कर मरवा दिया। यह दोषारोपण का सिलसिला यहाँ तक पहुँच गया कि आंहरत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का नाम भी न बचा था।

(क) हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बताया कि यह विचार पूर्णतः ग़लत हैं और जो बातें बयान की जाती हैं बिल्कुल झूठ हैं। आप ने इन बातों का ग़लत होना दो प्रकार से सिद्ध किया।

पहला इस तरह कि फ़रमाया- यह क़ानून-ए-कुदरत है कि पूर्ण अध्यात्म ज्ञान गुनाहों को जलाकर राख कर देता है। उदाहरण के तौर पर जिसे पूर्ण विश्वास हो कि अमुक वस्तु ज़हर है वह कभी उसे नहीं खाएगा। जब यह स्वीकार करते हो कि नबी को पूर्ण अध्यात्म ज्ञान प्राप्त होता है तो फिर यह कहना कि नबी गुनाह कर सकता है, यह दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत हैं। यह कभी नहीं हो सकता कि नबी से कोई गुनाह हो।

(ख) नबी के भेजने की ज़रूरत ही यह होती है कि वह दूसरों

के लिए आदर्श ठहरे अन्यथा नबी के आने की आवश्यकता ही क्या है? क्या खुदा तआला लिखी लिखाई किताब नहीं भेज सकता था। अतः नबी आता ही इसलिए है कि खुदा के क़ानून पर चलकर लोगों को दिखाए और उनके लिए सर्वांगपूर्ण आदर्श ठहरे। यदि नबी भी गुनाह कर सकता है तो फिर वह कैसे आदर्श ठहरेगा। नबी का उद्देश्य ही यही होता है कि जो शब्दों में खुदा तआला की तरफ़ से हुकुम हो उसे वह अपने कर्म से लोगों को सिखाए।

(2) दूसरी ग़लती जिसमें लोग पड़े थे यह थी कि वे सोचते थे कि नबी से धोखे से ग़लती नहीं हो सकती। आश्चर्य की बात है कि एक तरफ़ तो लोग कहते थे कि नबी गुनाहगार हो सकता है और दूसरी तरफ़ यह कहते कि नबी से धोखे से ग़लती नहीं हो सकती। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस विषय को मर्मज्ञता का विषय बताया और कहा कि :-

(क) नबी से धोखे से ग़लती होना न केवल सम्भव है बल्कि आवश्यक है ताकि ज्ञात हो कि नबी पर जो कलाम (आदेश) अवतरित हुआ वह उसका नहीं बल्कि किसी दूसरी हस्ती ने नाज़िल किया है। क्योंकि अपने बारे में समझने में किसी को ग़लती नहीं लगती। कोई यह नहीं कह सकता कि अमुक बात जब मैंने कही थी तो मैंने उसका कुछ दूसरा अर्थ समझा था और अब दूसरा समझता हूँ। इस ग़लती का लगना इस बात का सबूत है कि वह बात उसकी बनाई हुई नहीं। इसलिए आप ने फ़रमाया कि नबी से धोखे से ग़लती घटित होना आवश्यक है ताकि वह उसकी सत्यता का एक प्रमाण बने।

(ख) दूसरे यह कि नबी को न केवल धोखे से ग़लती लगती है बल्कि खुदा तआला कभी-कभी नबी से धोखे की ग़लती स्वयं करवाता

है। ताकि नबी का इस्तिफ़ा करे अर्थात् उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ाये। इसका उदाहरण हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का स्वप्न है जब उन को स्वप्न में यह दिखाया गया कि वह अपने बेटे को ज़िबह कर रहे हैं तो उसका यह तात्पर्य न था कि वह अपने बेटे को कत्ल कर दें। क्योंकि यदि यह तात्पर्य होता तो जब वह ज़िबह करने लगे थे तो उन्हें उस काम से मना न किया जाता। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को स्वप्न ऐसे रंग में दिखाया गया कि इब्राहीम का ईमान लोगों पर स्पष्ट हो जाए। जब वह उस स्वप्न के शाब्दिक अर्थानुसार काम करने के लिए आगे बढ़े तो उसकी वास्तविकता उन पर स्पष्ट कर दी गई। जब वह बेटे को ज़ाहिरी तौर पर ज़िबह करने लगे तो उनको बताया गया कि हमारा यह उद्देश्य न था। यह खुदा तआला ने इसीलिए किया था कि दुनिया को बता दे कि खुदा के लिए इब्राहीम अपना एकलौता और बुढ़ापे का बेटा भी कुर्बान करने के लिए तैयार है।

दूसरे प्रकार की धोखापूर्ण से गलतियाँ आजमाइश से सम्बन्ध रखने वाली होती हैं अर्थात् कुछ लोगों की परीक्षा लेने के लिए। जैसे सुलह हुदैबिया के समय हुआ कि आंहजरत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को स्वप्न में काबा शरीफ के तवाफ़ (परिक्रमा) का नज़ारा दिखाया गया। लेकिन उससे तात्पर्य यह था कि अगले वर्ष तवाफ़ होगा। आंहजरत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने समझा कि अभी उमरा (हज के निर्धारित दिनों के अतिरिक्त अन्य दिनों में काबा शरीफ़ का तवाफ़ करना उमरा कहलाता है-अनुवादक) कर आँ। अतः मुसलमानों की एक बड़ी तादाद लेकर मक्का की ओर चल पड़े। अल्लाह तआला ने फिर भी वास्तविकता प्रकट न की। जब रोक पैदा हुई तो आंहजरत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के बहुत से सहाबा किराम आश्चर्य में पड़ गए और

कमज़ोर प्रकृति के लोग तो मज़ाक उड़ाने लगे। इस तरह मोमिन और मुनाफ़िक़ के ईमान की परीक्षा हो गई।

स्मरण रहे कि इल्हाम के समझने में तब ही धोखे की ग़लती लग सकती है जब इल्हाम के शब्द स्पष्टीकरण योग्य हों या जो दृश्य दिखाया जाए वह स्पष्टीकरण योग्य हो। यदि इल्हाम मनगढ़त होता तो फिर दिमाग़ से ऐसे शब्द निकलते जो स्पष्ट होते न कि स्पष्टीकरण योग्य दृश्य या शब्द। स्पष्टीकरण योग्य दृश्य तो इरादे के साथ नहीं बनाए जा सकते। उदाहरणतः दिमाग़ को इससे क्या निस्वत है कि वह सूखे को दुबली गायों के रूप में दिखावे। इसलिए दोखे से ग़लती का घटित होना इल्हाम के मनगढ़त होने के विपरीत है और इस व्याख्या के कारण यूरोप की उन नई खोजों पर जो इस्लाम के संबंध में हो रही हैं पानी फिर जाता है। क्योंकि धोखे से होने वाली ग़लती की दशा में जो अपने अन्दर एक नवीन स्पष्टीकरण का द्वार खुला रखती है, इल्हाम को मनुष्य के दिमाग़ का रचा हुआ किसी भी दशा में नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि मनगढ़त यदि दिमाग़ की खराबी का परिणाम होगा तो बेतर्तीब (विघटित) होगा और कभी पूरा न होगा और यदि बौद्धिक योग्यता का परिणाम होगा तो स्पष्ट शब्दों में होगा स्पष्टीकरण योग्य न होगा।

(3) तीसरी ग़लती लोगों को शफ़ाअत-ए-अम्बिया के बारे में लगी हुई थीं। इसके दो भाग हैं:-

(क) कुछ लोग यह सोचते हैं कि जो चाहे करो शफ़ाअत के ज़रिए सब कुछ बख़्शा जायेगा। अतः एक शायर का कहना है कि :-

مستحق شفاعة گناہگار اند

अर्थात् शफ़ाअत के पात्र गुनाहगार ही हैं।

(ख) कुछ लोग उसके उलट यह कहते हैं कि शफ़ाअत शिर्क (अर्थात् हमसरी) है और खुदा तआला की विशेषताओं के विरुद्ध है।

हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इन दोनों गलतियों को दूर किया। आपने शफ़ाअत के विषय की यह व्याख्या की कि शफ़ाअत विशेष हालतों में होती है और अल्लाह तआला के आदेश से होती है। अतएव शफ़ाअत पर भरोसा करके बैठे रहना ठीक नहीं है। शफ़ाअत उसी समय हो सकती है जब पूरी कोशिश करने के बावजूद फिर भी इन्सान में कुछ कमी रह गई हो। जब तक इन्सान शफ़ीअ का रंग न अपना ले शफ़ाअत नहीं हो सकती। क्योंकि शफ़ीअ का अर्थ है जोड़ा (अर्थात् साथी, संगी) और जब तक रसूल का कोई साथी या संगी न बन जाए शफ़ाअत से बख़्शा नहीं जा सकता। जो यह कहते हैं कि शफ़ाअत शिर्क (हमसरी) है उन्हें हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बताया कि यदि शफ़ाअत अधिकार (ताक़त) से कराई जाती अर्थात् रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम खुदा तआला को आदेश देकर कहते कि अमुक को बख़्शा दो तो यह शिर्क (अर्थात् हमसरी) होता, पर खुदा तआला कहता है कि शफ़ाअत हमारे आदेश से होगी अर्थात् हम आदेश देकर रसूल से यह काम कराएँगे। जब हम कहेंगे कि शफ़ाअत करो, तब नबी शफ़ाअत करेगा और यह काम शिर्क कदापि नहीं कहला सकता। इसमें न खुदा तआला की हमसरी है और न उसकी किसी विशेषता पर आंच आती है।

आप ने यह साबित किया कि शफ़ाअत न केवल जाइज़ है बल्कि लोगों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए अति आवश्यक है इसके बिना लोगों की मुक्ति असम्भव है। क्योंकि खुदा तआला का क़ानून है कि विरासत से विशेषताएं मिलती हैं। यदि कोई कहे कि हम देखते हैं कि

एक आदमी का बाप नमाज़ नहीं पढ़ता, पर बेटा पक्का नमाज़ी होता है तो फिर उस बेटे को यह बात विरासत में किस तरह मिली? इस बारे में याद रखना चाहिए कि बाप में नमाज़ पढ़ने की क़ाबिलियत थी तभी बेटे में आई वरना कभी न आती। भैंस में यह क़ाबिलियत नहीं होती। इसलिए किसी भैंस का बच्चा ऐसा नहीं होता जो नमाज़ पढ़ सके। अतः सच यही है कि ख़ूबियाँ विरासत में मिलती हैं। जब जिस्मानी ख़ूबियाँ विरासत में मिलती हैं तो रूहानी ख़ूबियाँ भी। यह उन लोगों को जो आदम के स्थान पर नहीं होते बिना विरासत के नहीं मिल सकते। अतः उन लोगों के लिए जो स्वयं क़ाबिलियत नहीं प्राप्त कर सकते नबी भेजे जाते हैं अर्थात् खुदा तआला ऐसे लोग पैदा करता है जिन पर आसमान से रूहानीयत के उपकार किए जाते हैं और उनको खुदा तआला आदम ठहराता है फिर उनकी रूहानी सन्तान बनकर दूसरे लोगों को रूहानी लाभ मिलते हैं। और इस तरह वे मुक्ति प्राप्त करते हैं। अतः शफ़ाअत तो क़ानून-ए-कुदरत से पूर्ण एकरूपता रखने वाला विषय है न कि उसके विपरीत।

4 नबियों के बारे में जिन ग़लतियों का मुसलमान शिकार थे उनमें से चौथे नम्बर पर वे ग़लतियाँ हैं जो विशेष रूप से हज़रत मसीह नासरी के बारे में पैदा हो रही थीं। मसीह का वुजूद एक नहीं बल्कि अनगिनत ग़लतियों का निशाना बना दिया गया था और फिर आश्चर्य यह कि उनके बारे में कई क्रौमें ग़लत विचारों में पड़ी हुई थीं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इन सब ग़लतियों को दूर किया।

सबसे पहली ग़लती हज़रत मसीह नासरी की पैदाइश के बारे में थी। मुसलमानों के अतिरिक्त दूसरे लोग भी इस ग़लती का शिकार थे कि हज़रत मसीह नासरी की पैदाइश लोगों की उत्पत्ति से एक अलग

हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कारनामे

तरह की पैदाइश थी और उनका रूहुल्लाह और कलिमतुल्लाह से पैदा होना एक अनोखा उदाहरण था। इस विचारधारा से एक बहुत बड़ा शिर्क पैदा हो गया था। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में फ़रमाया कि सारे नबियों में रूहुल्लाह थी और सब कलिमतुल्लाह थे। हजरत मसीह पर चूँकि ऐतिराज़ किया जाता था और उन्हें ज़ारज (अवैध सन्तान) कहा जाता था। इसलिए उनको इस आरोप से रहित ठहराने के लिए उनके बारे में यह शब्द प्रयोग किए गए अन्यथा सारे नबी रूहुल्लाह और कलिमतुल्लाह थे। कुर्आन करीम में हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम के कुफ़्र का इन्कार किया गया है जैसा कि फ़रमाया

مَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ

(अल बक्ररह - 103)

इससे यह भावार्थ नहीं निकाला जा सकता कि सारे नबियों ने कुफ़्र किया था केवल हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने ही कुफ़्र नहीं किया था। उनके कुफ़्र के इन्कार का वर्णन करने के कारण केवल यह है कि उन पर कुफ़्र का इल्ज़ाम लगाया गया था। इसलिए उन पर लगे इल्ज़ाम का खण्डन किया गया। दूसरे नबियों पर चूँकि इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा था इसलिए उनके बारे में कुछ खण्डन करने की आवश्यकता न थी।

यही हाल हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम का था। जिनके बारे में यहूदियों का इल्ज़ाम तो अलग रहा, बड़े-बड़े ईसाई भी कहते हैं कि वह नऊज़बिल्लाह ज़ारज (अवैध सन्तान) थे। पर इसमें उनका क्या कसूर था। अतः टालस्टाय जो एक प्रसिद्ध ईसाई हुआ है उसने मुफ़्ती मुहम्मद सादिक़ साहब को लिखा कि दूसरी तो मिर्ज़ा साहिब की बातें सच्ची हैं लेकिन मसीह को बिन बाप के ठहराना मेरी समझ

में नहीं आता। यदि इसका कारण मसीह को पैदाइश के दाग से बचाना है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि इस प्रकार की पैदाइश में ख़ुदावन्द (अर्थात् ईसा मसीह) का क्या कसूर था। तात्पर्य यह कि यहूदी चूँकि आपकी पैदाइश पर इल्ज़ाम लगाते थे कि वह शैतानी थी और स्वयं ईसाइयों में से कुछ ने आगे ऐसा करना था। इसलिए ख़ुदा तआला ने उनको इल्ज़ाम से बरी ठहराने के लिए फ़रमाया कि उनकी पैदाइश रूहुल्लाह से थी किसी गुनाह का परिणाम न थी, और किसी ऐसे कर्म का परिणाम न थी, जो ख़ुदा के विधान के विपरीत हो बल्कि कलिमतुल्लाह के अनुसार थी। अतः रूहुल्लाह और कलिमतुल्लाह के शब्दों से मसीह की पैदाइश का वर्णन करना महानता के रूप में नहीं बल्कि उसको इल्ज़ाम से बरी ठहराने के लिए है।

आप ने यह भी बताया कि कोई कारण नहीं कि हम मसीह की पैदाइश को क़ानून-ए-कुदरत से ऊँचा समझें। ऐसी पैदाइश अन्य इन्सानों में भी हो सकती है जानवरों में तो निस्सन्देह होती है। शेष रहा यह प्रश्न कि क्यों ख़ुदा तआला ने उन्हें बिन बाप के पैदा किया? बाप से ही क्यों न पैदा किया? तो इसका उत्तर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भविष्यवाणियों के अनुसार बनी इस्राईल में से लगातार नबी आ रहे थे। जब उनकी दुष्टता हद से बढ़ गई तो अल्लाह तआला ने मसीह की पैदाइश के द्वारा आख़िरी बार चेतावनी दी और बताया कि अब तक हम क्षमा करके तुम्हारे अन्दर से नबी भेजते रहे। अब हम एक आदमी को भेजते हैं जो माँ की ओर से बनी इस्राईल है और बाप की ओर से नहीं। अगर अब भी अपनी दुष्टताओं को नहीं छोड़ोगे तो ऐसा आदमी आएगा जो माँ-बाप दोनों की ओर से इस्राईली न होगा। अतः जब बनी इस्राईल ने उस चेतावनी से

भी फ़ायदा न उठाया और दुष्टताओं में आगे ही बढ़ते गए तो अल्लाह तआला ने रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को अवतरित किया जो पूर्णतः बनी इस्राईल में से न थे।

इसलिए हजरत मसीह नासरी अलैहिस्सलाम की बिन बाप पैदाइश रहमत के तौर पर नहीं थी बल्कि बनी इस्राईल के लिए चेतावनी के तौर पर थी। इसलिए उसका अन्जाम यही हुआ।

दूसरी ग़लती मसीह नासरी अलैहिस्सलाम के बारे में यह लगी हुई थी कि मुसलमान सोचते थे कि केवल हजरत मसीह नासरी और उनकी माँ मस्स-ए-शैतान (शैतान के स्पर्श) से पाक थीं। उनके अतिरिक्त दूसरा कोई इन्सान ऐसा नहीं हुआ। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि सारे नबी बल्कि मोमिन भी मस्स-ए-शैतान से पाक होते हैं। अतः मोमिनों को आदेश है कि जब वे पत्नी से मिलें तो यह दुआ पढ़ा करें:-

اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

हे अल्लाह ! मुझे भी शैतान से बचा और मेरी औलाद को भी बचा।

इसका परिणाम यह होगा कि जो बच्चा पैदा होगा उसे शैतान छू नहीं सकेगा। रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने औलाद को मस्स-ए-शैतान से सुरक्षित रखने के लिए यह रहस्य बयान फ़रमाया है। अतः जब उम्मत-ए-मुहम्मदिया के लोग भी मस्स-ए-शैतान से पाक हो सकते हैं तो नबी और विशेषकर नबियों के सरदार हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम क्यों सुरक्षित न होंगे। आप ने फ़रमाया कि हदीसों में जो यह लिखा है कि हजरत मसीह और उनकी माँ मस्स-ए-शैतान से पाक थीं तो उसका कारण भी यही है कि हजरत मसीह पर अवैध सन्तान का इल्ज़ाम लगाया जाता था। रसूले करीम

सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने इसका खण्डन किया और फ़रमाया कि वे मस्स-ए-शैतान से पाक थे अर्थात् उनकी पैदाइश शैतानी न थी। हदीस में जो उनके पवित्र होने का वर्णन मिलता है उनसे तात्पर्य मसीह और मरयम की तरह के लोग हैं न कि केवल मसीह और मरयम। इन दोनों नामों को सूरह तहरीम में आदर्श के तौर पर बयान भी किया गया है। जिस से ज्ञात होता है कि इस्लाम की यह इस्तिलाह (निदृष्ट संकेत) है कि वह मोमिनों के एक गिरोह का नाम मसीह और दूसरे का नाम मरियम रखता है।

(3) तीसरी ग़लती हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के निशानों के बारे में लगी हुई थी। उदाहरणतः लोग कहते थे कि हज़रत मसीह ने मुर्दों को ज़िन्दा किया, वह परिन्दे पैदा करते थे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इन ग़लतियों को भी दूर किया और फ़रमाया कि ख़ुदा तआला अपनी विशेषताएँ किसी को नहीं देता। कुर्आन करीम में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि पैदा करना और मुर्दे ज़िन्दा करना केवल उसी का काम है और मुर्दे ज़िन्दा करने के बारे में तो वह यह भी फ़रमाता है कि इस दुनिया में वह मुर्दे ज़िन्दा करता ही नहीं। अतः यह सोचना की हज़रत मसीह नासरी ने वास्तव में मुर्दे ज़िन्दा किए या जानवर पैदा किए, शिर्क है और कदापि सही नहीं। हाँ उन्होंने रूहानी तौर पर ऐसी बातें कीं या इल्मुत्तिर्ब के द्वारा कुछ निशान दिखाए या उनकी दुआ से ऐसे लोग अच्छे हुए जो मौत के निकट पहुँच गए थे।

4 हज़रत मसीह की शिक्षा के बारे में चौथी ग़लती लोगों को यह लगी हुई थी कि उनकी शिक्षा सबसे उत्तम है और सर्वांगपूर्ण है। हज़रत मसीह ने जो यह शिक्षा दी कि यदि कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तू दूसरा भी फेर दे, यह पूर्णतः सहनशीलता की शिक्षा है और

इससे बढ़कर अखलाकी शिक्षा हो ही नहीं सकती। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि यह शिक्षा एक समय और एक क्रौम के लिए तो अच्छी हो सकती थी, लेकिन हर समय और हर क्रौम के लिए हरगिज़ अच्छी नहीं। इसलिए सबसे व्यापक और पूर्ण शिक्षा नहीं कहला सकती। इस शिक्षा का मूल कारण यह था कि यहूदियों में बहुत क्रूरता पैदा हो चुकी थी और वे बहुत अत्याचार किया करते थे। इसी कारण से ख़ुदा तआला ने हजरत मसीह नासरी के द्वारा उनको पूर्णतः सहनशीलता की शिक्षा दी ताकि उनका क्रोध कम हो अन्यथा इस शिक्षा पर हर समय पालन नहीं हो सकता।

इस अवसर पर मुझे मिस्त्र की एक घटना याद आ गई। कहते हैं कि एक पादरी साहिब भाषण दिया करते थे कि देखो मसीह ने कितनी श्रेष्ठ शिक्षा दी है कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर कर दो। एक दिन सभा में से एक मिस्त्री ने उठकर पादरी साहिब के मुँह पर एक थप्पड़ मारा। पादरी साहब इस पर बहुत गुस्सा हुए और मारने के लिए आगे बढ़े। उस मिस्त्री ने कहा कि मसीह की शिक्षा पर पालन करते हुए तो तुम्हें दूसरा गाल भी मेरी तरफ़ फेर देना चाहिए था ताकि मैं उस पर भी थप्पड़ लगाऊँ। पादरी साहिब ने जवाब दिया कि नहीं, इस समय तो मैं मसीह की शिक्षा का नहीं बल्कि इस्लाम की शिक्षा का पालन करूँगा नहीं तो तुम लोग बहुत दिलेर हो जाओगे। अतः जैसा कि बुद्धि बतलाती है और ईसाइयों के व्यवहार ने भी बतला दिया है उस शिक्षा पर सदैव पालन नहीं हो सकता।

अतः हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने साबित किया कि हजरत मसीह की शिक्षा अधूरी है और उस पर हर समय और हर ज़माने में पालन नहीं हो सकता उसके मुक़ाबले में आपने बताया

कि कुर्आन की शिक्षा पूर्ण और व्यापक है और हर युग के लिए है।

5 पांचवी ग़लती हज़रत मसीह के बारे में सलीब की घटना के सम्बन्ध में लगी हुई थी। जिनमें मुसलमान यहूद एवं ईसाई सब शंकाग्रस्त थे। मुसलमान कहते थे कि यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बजाय किसी और को सलीब पर लटका दिया था और ख़ुदा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया था। यहूद और ईसाई कहते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही सलीब पर लटका कर मार दिया गया था। मुसलमानों की विचारधारा को तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस तरह खण्डन किया कि :-

हज़रत मसीह की बजाए किसी दूसरे को सलीब पर लटकाना खुला-खुला अत्याचार था और यदि उस व्यक्ति की इच्छा से लटकाया गया था तो इतिहास में उसका प्रमाण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर मसीह को ख़ुदा ने आसमान पर उठाना ही था तो उसके बदले दूसरे को सलीब पर लटकाने की क्या आवश्यकता थी? अतएव यह ग़लत है कि मसीह की जगह किसी दूसरे को सलीब पर लटकाया गया था और यह भी ग़लत है कि उन्हें आसमान पर उठा लिया गया।

दूसरी ओर आपने यहूदियों और ईसाईयों की भी इस विचारधारा का खण्डन किया कि मसीह सलीब पर मर गया था बल्कि आप ने साबित किया कि हज़रत ईसा मसीह को सलीब से ज़िन्दा उतार लिया गया था और ख़ुदा ने इस तरह उन्हें लानती मौत से बचा लिया।

अब देखो उन्नीस सौ वर्ष के बाद इस घटना की असल सच्चाई का पता लगाना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा काम है। विशेषकर जब हम देखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सलीब पर से ज़िन्दा उतरने के सुबूत आप ने स्वयं इन्जील ही से दिए

हैं। उदाहरणतः यह कि हजरत ईसा से एक बार उस समय के उलमा ने निशान माँगा था तो उस ने उन्हें जवाब में कहा :-

“इस ज़माने के बुरे और व्यभिचारी लोग निशान माँगते हैं मगर यूनुस नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको न दिया जाएगा। क्योंकि जैसे यूनुस तीन रात और दिन मछली के पेट में रहा। वैसे ही इब्न-ए-आदम तीन रात और दिन ज़मीन के अन्दर रहेगा।”

(मती बाब 12 आयत 39,40 ब्रिटिश इण्डिया फारेन बाईबिल सोसईटी

लाहौर- मुद्रित 1943 ई)

तौरात से साबित है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तीन दिन तक मछली के पेट में ज़िन्दा रहे थे और ज़िन्दा ही निकले थे। अतः आवश्यक था कि हजरत ईसा भी सलीब की घटना के समय जीवित ही कब्र में दाखिल किए जाते और जीवित ही निकलते। अतः यह विचार कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर मर गए थे इन्जील के स्पष्ट उलट है और स्वयं मसीह का झुठलाना इससे अनिवार्य ठहरता है।

ईसाइयत के मुक्राबले में हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का यह इतना बड़ा हथियार है कि आप के काम की महानता साबित करने के लिए अकेला ही काफी है मगर आप यहीं नहीं रुके बल्कि आप ने इतिहास से साबित कर दिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब की घटना के बाद कश्मीर आए और वहीं उनका स्वर्गवास हुआ। यह साबित करके आपने मानो उनके सारे जीवन का रहस्योद्घाटन कर दिया।

6 छठी ग़लती हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अभी तक सशरीर जीवित रहने और उनके पुनः आने के संबंध में थी। इस ग़लती को भी आपने स्पष्ट किया और बताया कि इसमें खुदा तआला की तौहीन है कि वह अपने काम के लिए एक पुराना आदमी संभाल कर रख

ले और नया आदमी न पैदा कर सके। क्या जो सुबह की बासी रोटी रखकर शाम को खाए उसे अमीर कहा जायेगा? यह बासी रोटी रखने वाले की अमीरी नहीं बल्कि गरीब होने का सुबूत होगा। वह लोग जो यह कहते हैं कि खुदा तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसलिए अब तक ज़िन्दा रखा हुआ है कि उनके द्वारा उम्मत-ए-मुहम्मदिया का सुधार करे। उनके कहने का यह तात्पर्य निकलता है कि अल्लाह तआला से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा इन्सान संयोग से बन गया था जिसे उसने इसलिए संभालकर रखा हुआ है कि जब दुनिया में फितना होगा तो उसे नाजिल करेगा मगर यह बात ग़लत है। जिस तरह अमीरों का यह काम होता है कि जो रोटी बच जाती है उसे गरीबों में बाँट देते हैं और दूसरे समय नया खाना तैयार करते हैं उसी तरह अल्लाह तआला भी हर ज़माने के अनुसार नए बन्दे पैदा करता है। अल्लाह तआला ने अगर किसी इन्सान को बचाकर ज़िन्दा रखना होता तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम जैसे इन्सान को ज़िन्दा रखता परन्तु वह तो मृत्यु पा गए। क्या दुनिया में कोई इन्सान ऐसा है जो उच्च क्वालिटी की दवा को तो फेंक दे और निम्न क्वालिटी की दवा को संभालकर रख छोड़े? फिर खुदा तआला रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को छोड़कर हज़रत ईसा को क्यों संभालकर रखे?

आपने यह भी बताया की हज़रत ईसा को ज़िन्दा रखने और उसे उम्मत-ए-मुहम्मदिया के सुधार के लिए भेजने में रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की तौहीन है। रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम तो सब से बड़े उस्ताद (गुरु) थे और आप का काम तो उच्च कोटि के शागिर्द पैदा करना था। लेकिन कहा जाता है कि आखिरी ज़माने (अर्थात् कलयुग) में जब उम्मत-ए-मुहम्मदिया में फितना

पैदा होगा तो उस समय मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का कोई ऐसा शागिर्द न पैदा हो सकेगा जो उस फितना को दूर कर सके, बल्कि हजरत ईसा ही जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में से थे उस फितना को दूर करने के लिए लाये जायेंगे। इस अक्रीदा में उम्मत-ए-मुहम्मदिया की भी तौहीन है। क्योंकि इससे ज्ञात होता है कि वह उस सबसे नाजुक समय पर पूर्णतः अयोग्य साबित होगी और दज्जाल तो इस में पैदा होंगे मगर मसीह दूसरी उम्मत में से आएगा।

आप ने यह भी बताया की हजरत ईसा जिनकी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए यह अक्रीदा बनाया गया है इसमें वस्तुतः उनकी भी तौहीन है क्योंकि वह एक स्वतन्त्र नबी थे। यदि वह पुनः आएँगे तो इसका यह अर्थ होगा कि वह उस नबुव्वत से हटा दिए जायेंगे और उन्हें पहले उम्मती बनना पड़ेगा।

निशानों के बारे में ग़लत फ़ेहमियों का निवारण -

सातवां काम हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह किया कि निशानों के बारे में जो ग़लत फ़ेहमियां थीं उनको दूर किया। दुनिया निशानों के बारे में दो गिरोह में बँटी थी। कुछ लोग निशानों के पूर्णतः इन्कारी थे और कुछ हर झूठे-सच्चे क्रिस्से को सच्चा मानते थे। जो लोग निशानों के इन्कारी थे उन्हें आपने दलीलों के साथ-साथ अपने निशानों को प्रस्तुत करके खामोश कर दिया और दावा किया कि:-

करामत गर चे बे नामो निशाँ अस्त

बया बंगर ज़ ग़िल्मान-ए-मुहम्मद

अनुवाद - यद्यपि इस ज़माने में करामत का अस्तित्व ओझल हो रहा है परन्तु आ और हम मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम

के सेवकों सामने आकर उसको देख (अनुवादक)

जो लोग झूठी सच्ची कहानी को चमत्कार ठहरा रहे थे उन्हें आप ने बताया कि चमत्कार तो एक असाधारण कैफ़ियत का नाम है और

(1) जिनका वर्णन इल्हामी किताब में हो या यह कि उन के समर्थन में ठोस ऐतिहासिक प्रमाण हो।

(2) दूसरे जो ख़ुदा के विधान के उलट न हो चाहे देखने के अचम्भा नज़र आए। उदाहरणतः ख़ुदा तआला कहता है कि कोई मुर्दा इस दुनिया में ज़िन्दा नहीं हो सकता। यदि कोई कहे कि अमुक नबी या वली (सिद्धपुरुष) ने मुर्दा ज़िन्दा किया है तो यह कुआन के उलट होगा हम उसे कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि चमत्कार दिखाने वाली हस्ती ने कह दिया है कि वह मुर्दे ज़िन्दा नहीं करेगी।

यह अजीब बात है कि मुसलमान केवल ईसा को ही नहीं बल्कि और लोगों को भी मुर्दा ज़िन्दा करने वाले ठहराते हैं। हिन्दू उनसे भी बढ़ गए हैं। मुसलमानों में तो ऐसी रिवायते हैं कि किसी बुजुर्ग के सामने पका हुआ मुर्गा लाया गया उन्होंने बड़े स्वाद से उसका गोश्त खाया और उसकी हड्डियाँ जमा करके हाथ में पकड़ कर दबाई और वह कुड़-कुड़ करता हुआ मुर्गा बन गया हिन्दू उनसे भी बढ़कर अजीब-व-गरीब बाते बयान करते हैं, उदाहरणतः कहते हैं कि उनके एक ऋषि थे जो कहीं जा रहे थे उन्होंने एक सुन्दर स्त्री देखकर उसे आकर्षित करना चाहा लेकिन वे आकर्षित न हुई क्योंकि अभागिन थी। उस समय उस ऋषि को यूँ ही वीर्यपात हो गया और उन्होंने धोती उतारकर फेंक दी थोड़ी देर बाद उस धोती से बच्चा पैदा हो गया क्योंकि ऋषि का वीर्य व्यर्थ नहीं हो सकता था। इसी तरह नीलकंठ के बारे में जो एक छोटी सी चिड़िया है कहते हैं कि उस ने एक दरिया का सारा पानी पी लिया। एक बरात जा रही थी

उसे खा गया और तब भी उसका पेट नहीं भरा था।

अब मुसलमान ऐसे चमत्कार कहाँ से लायेंगे इसलिए इसी में उनकी भलाई है कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने चमत्कारों के संबंध में जो शर्त निर्धारित कर दी है उसे मान लें। नहीं तो कोई चारा नहीं कि वे अपने चमत्कार लोगों से मनवायें और दूसरों के चमत्कार से इन्कार करें।

(3) तीसरी शर्त आपने यह बताई की चमत्कार में एक प्रकार का रहस्य आवश्यक है अगर रहस्य न रहे तो चमत्कार का मूल उद्देश्य जो ईमान पैदा करना है नष्ट हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर इस्राईल फ़रिश्ता आए और कहे कि अमुक नबी को मान लो नहीं तो अभी जान निकालता हूँ तो तुरन्त सभी लोग मान लेंगे और ऐसे ईमान का कोई फ़ायदा न होगा। इसलिए चमत्कार के लिए एक रहस्य का छुपा होना आवश्यक है। क्योंकि चमत्कार ईमान के लिए होता है अगर उस में रहस्य न रहे तो उस पर ईमान लाने से क्या फ़ायदा हो सकता है, हाँ इतना भी रहस्यगत नहीं होना चाहिए की दलील के दर्ज से ही गिर जाए अन्यथा लोगों के लिए प्रमाण न रहेगा।

(4) चौथी शर्त यह है कि चमत्कार में कोई लाभ दृष्टिगत हो क्योंकि चमत्कार व्यर्थ नहीं होता और तमाशा की तरह नहीं दिखाया जाता बल्कि उनका कोई न कोई उद्देश्य होता है। अतः जो चमत्कार किसी उद्देश्य या फ़ायदे पर आधारित हो उसी को माना जा सकता है अन्यथा उसे ख़ुदा तआला की ओर मन्सूब नहीं किया जा सकता।

शरीअत की प्रतिष्ठा का क्रयाम -

आठवां काम हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह किया

कि शरीअत की प्रतिष्ठा क्रायम की शरीअत की प्रतिष्ठा ग़ैर मुस्लिमों में भी और मुसलमानों में भी बिल्कुल मिटी हुई थी।

1 शरीअत के बारे में सब से बड़ा भ्रम यह पैदा हो गया था कि लोग शरीअत को मुसीबत समझते थे ईसाई कहते थे ईसा मसीह इन्सानों को शरीअत से बचाने के लिए आए थे मानो शरीअत एक मुसीबत थी जिस से वह बचाने के लिए आए थे। हालाँकि शरीअत तो रहनुमाई के लिए आई थी और कोई व्यक्ति शरीअत को मुसीबत नहीं कहता। अगर कोई किसी को सीधा रास्ता बताता तो वह यह कहा करता कि हाय उस ने मुझ पर मुसीबत डाल दी। मुसलमान भी शरीअत को मुसीबत समझते थे क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की कोशिशों की हैं कि शरीअत के अमुक आदेश से बचने के लिए क्या बहाना है और अमुक के लिए क्या? हालाँकि कुछ लोगों ने “किताबुल हील” (बहानों की किताब) लिख दी। अगर वे शरीअत को लानत न समझते तो उससे बचने के लिए बहाने क्यों ढूँढ़ते। वहाबी काफी हद तक इससे बचे हुए थे। लेकिन दूसरे मुसलमानों ने अजीब-व-गरीब बहाने गढ़े हुए थे। उदाहरण के तौर पर एक मशहूर फ़िक्कः की किताब में लिखा है कि ईद की नमाज़ के बाद कुर्बानी करना सुन्नत है लेकिन अगर किसी को नमाज़ से पहले कुर्बानी करने की ज़रूरत हो तो वह इस तरह करे कि शहर के पास के किसी गाँव में जाकर बकरा जिबह कर दे। क्योंकि ईद शहर में हो सकती है और उस जगह के लिए ईद के बाद कुर्बानी की शर्त है और वहाँ से गोश्त शहर में ले आए।

तात्पर्य यह है कि पिछले ज़माने में मौलवियों का काम ही केवल यह रह गया था कि लोगों को तरह-तरह के बहाने बताएं और लोग भी उनसे बहाने ही पूछा करते थे। कहावत मशहूर है कि कुछ लड़कों ने

मुर्दा गधे का गोशत खा लिया। उस पर मौलवी साहब ने कहा कि यह बहुत बड़ा गुनाह हुआ। कि लड़कों के माँ-बाप को चाहिए कि एक शहतीर खड़ा करके उसे रोटियों से ढकें फिर वे रोटियां खैरात कर दी जाएँ। किसी ने कह दिया कि मौलवी साहब आप का लड़का भी उसी में शामिल था। इस पर मौलवी साहब कहने लगे कि ज़रा ठहरो मैं दोबारा ग़ौर कर लूँ, फिर कहने लगे कि इस तरह भी हो सकता है कि शहतीर को ज़मीन पर लिटाकर उसे एक-एक रोटी से ढक दिया जाए।

2 दूसरा भ्रम यह पैदा हो रहा था कि कुछ लोग कहते थे कि शरीअत तो असल उद्देश्य नहीं है असल उद्देश्य तो इन्सान का ख़ुदा तआला तक पहुँचना है। अतः जब ख़ुदा तआला तक पहुँच गए तो फिर शरीअत पर अमल करने की क्या ज़रूरत है।

यह एक भीषण बीमारी थी जो लोगों में पैदा हो गई थी। सूफ़ी कहलाने वाले शरीअत के आदेशों पर चलना छोड़ रहे थे और जब मुसलमान उनसे पूछते कि शरीअत के आदेशों पर क्यों नहीं चलते तो कहते कि हम ख़ुदा तआला तक पहुँच गए हैं। अब हमें शरीअत के आदेशों पर चलने की क्या ज़रूरत है। इसी मत का एक आदमी एक बार मेरे पास भी आया था। मैं जुमा की नमाज़ पढ़कर बैठा ही था कि उसने मुझसे पूछा कि आप यह बताएं कि जब कोई व्यक्ति नाव में बैठकर दूसरे किनारे तक पहुँच जाए तो फिर क्या उसे नाव में बैठे रहना चाहिए या नाव से उतर जाना चाहिए। उसके कहने का तात्पर्य यह था कि जब ख़ुदा मिल जाए तो फिर क्या शरीअत पर चलने की ज़रूरत है? जैसे ही उसने यह बात कही मैं उसकी मंशा समझ गया और कहा :-

अगर दरिया का किनारा हो तो अवश्य नाव को छोड़कर उतर जाए, लेकिन अगर किनारा ही न दिखाई दे तो फिर कहाँ उतरे ऐसी

दशा में अगर उतर गया तो डूबेगा ही। यह सुनकर वह बहुत शर्मिन्दा हुआ और कोई जवाब न दे सका। मेरा तात्पर्य यह था कि अल्लाह तआला की सामीप्यता कोई सीमित चीज़ तो नहीं कि कह दिया और मिल गई और अब शरीअत की क्या आवश्यकता है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस भ्रम को भी पूर्णतः दूर किया और कहा कि निस्संदेह इन्सान का असल मक़सद ख़ुदा तआला तक पहुँचना है शरीअत पर अमल करते रहना नहीं पर ख़ुदा तक पहुँचने के इतने दर्जे हैं कि कभी ख़त्म नहीं हो सकते। अगर कोई कहे कि मैं ख़ुदा तक पहुँच गया आगे कोई दर्जा नहीं है तो उसके निकट मानो ख़ुदा सीमित होगा और यह अक़्रीदा किसी का भी नहीं है। अतः जब ख़ुदा तआला की सामीप्यता के दर्जे समाप्त नहीं हो सकते तो उन दर्जों को जिस के द्वारा हासिल किया जाता है उसे भी छोड़ा नहीं जा सकता।

3 तीसरा भ्रम यह पैदा हो रहा था कि बहुत से लोग इस ग़लती का शिकार हो गए थे कि रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के समस्त क्रियालाप शरीअत का हिस्सा हैं जिसके कारण अगर कोई मौलवी किसी का पाजामा टखने से नीचे देखता तो यह कहता कि यह काफ़िर है। खाने के बाद किसी को हाथ धोते देखा तो कह दिया काफ़िर है क्योंकि यह रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लमकी सुन्नत के ख़िलाफ़ करता है। हालाँकि बात यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के समय सालन में मसाले न पड़ते थे। जैतून के तेल से रोटी खा लेते थे और यह तेल शरीर और बालों में भी लगाया जाता था। इसलिए खाने के बाद मुँह पर हाथ मल लेते थे। अब सालन में हल्दी और अन्य कई प्रकार के मसाले पड़ते हैं लेकिन अब भी कई मौलवी मुँह पर हाथ मलने को सुन्नत ठहराने वाले सालन से भरे हुए

हाथ मुँह पर मल लेते हैं और कहते हैं यह सुन्नत है। हम कहते हैं कि अगर तुम जैतून के तेल से रोटी खाओ तो बेशक खाने के बाद हाथ मुँह पर मल लो और उस के लिए हम भी तैयार हैं लेकिन जब तक सालन में हल्दी, मिर्च और अन्य कई प्रकार के मसाले न हों तुम खाते ही नहीं, फिर इन मसालों को कौन मुँह पर मले। एक बार मैंने एक मौलवी साहब की दावत की। खाने के बाद जब हाथ धोने के लिए बर्तन आया तो उन्होंने बड़ी हकारत के साथ उसे दूर हटाकर कहा कि यह सुन्नत के खिलाफ़ है मैं इस में हाथ नहीं धोऊँगा और सालन से भरे हुए हाथ मुँह पर मल लिए। हालाँकि हाथ धोना सुन्नत के खिलाफ़ नहीं। हदीस में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि इस्लाम की शिक्षा यह है कि खाने से पहले भी हाथ धोएँ और बाद में भी।

हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस गलती का निवारण करते हुए फ़रमाया कि रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के कर्म कई प्रकार के हैं:-

(i) वे कर्म जिन्हें आप हमेशा करते और दूसरों को भी उन्हें करने का आदेश दिया है और कहा कि इस तरह किया करो इनका करना **वाजिब** है।

(ii) वे कर्म जिन्हें साधारणतः आप करते और दूसरों को करने की नसीहत भी करते, यह **सुन्नत** कहलाते हैं।

(iii) वे कर्म जिन्हें आप करते और दूसरों को कहा करते कि कर लोगे तो अच्छे हैं ये मुस्तहब (पसंदीदा) है।

(iv) वे कर्म जिन्हें आप भिन्न-भिन्न ढंग से करते जिनका सारे ढंगों से करना जायज़ है।

(v) वे कर्म जो आप के खाने पीने से संबंधित थे। उनको न

आप दूसरों को करने के लिए कहते और न कोई आदेश देते। उन में आप अरब के रीति रिवाज पर चलते। उन आदेशों में हर देश का इन्सान अपने देश के रीति-रिवाजों का पालन कर सकता है। एक बार रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के सामने खाने के लिए गोह लाई गई जिसे आपने न खाया। इस पर आप से पूछा गया कि क्या गोह खाना हराम है? आपने फ़रमाया नहीं, हमारे यहाँ लोग इसे नहीं खाते। इसलिए मैं भी इसे नहीं खाता।

(बुखारी किताबुल ज़बायह व अस्सैद बाब अज्ज़ब)

इससे यह निष्कर्ष निकला कि जिन कामों के बारे में शरीअत कोई आदेश न दे और रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का आदेश साबित न हो उन्हें यथासम्भव अपने देश के दस्तूर और रीति-रिवाज के अनुसार कर लेना चाहिए ताकि अकारण लोगों में नफरत पैदा न हो। ऐसे काम सुन्नत नहीं कहलाते। जैसे-जैसे देश के हालात के अनुसार लोग उनमें तब्दीली करते जाएँ उस पर व्यवहृत होना चाहिए।

4 चौथी ग़लती लोगों में यह फैली हुई थी कि बहुतों के निकट शरीअत केवल कलाम-ए-इलाही तक सीमित है। नबी का शरीअत से कोई सम्बन्ध न समझा जाता था। जैसा कि चकड़ालवी कहते हैं। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस संबंध में फ़रमाया कि :-

शरीअत के दो भाग हैं।

1 मौलिक – जिस पर धार्मिक, शैष्टिक (शिष्टाचार संबंधी) सामाजिक और राजनैतिक कामों का आधार है।

2 आंशिक – जो ज्ञान की दृष्टि से व्याख्याओं का है। जिसे खुदा तआला नबियों के द्वारा स्पष्ट करवाता है ताकि नबियों से भी लोगों का संबंध पैदा हो और वे लोगों के लिए आदर्श बने। इसलिए शरीअत में

नबी द्वारा की हुई व्याख्याएँ भी शामिल हैं।

इबादतों से संबंधित सुधार

नवाँ काम हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इबादतों से संबंधित सुधार किया। इसके बारे में लोगों में यह भ्रम पैदा हो गए थे कि :-

1 इबादत केवल रूह से संबंध रखती है शरीर का उससे कोई संबंध नहीं। बीस वर्ष पूर्व अलीगढ़ में एक व्यक्ति ने लेक्चर दिया था जिसमें बयान किया कि अब ज़माना तरक्की कर गया है इसलिए पहले ज़माने की इबादत का ढंग इस ज़माने में अमल योग्य नहीं है। अब केवल इतना काफ़ी है कि अगर कोई नमाज़ पढ़ना चाहे तो बैठे-बैठे थोड़ा सा सिर झुकाकर खुदा को याद कर ले। रोज़ा इस तरह रखा जा सकता है कि पेट भरकर न खाए कुछ बिस्कुट और एक दो चाए की प्याली पी ले तो कोई हर्ज नहीं है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बताया कि इबादतों का सम्बन्ध रूह से है और रूह का सम्बन्ध जिस्म से है अगर जिस्म को इबादत में न लगाएँगे तो दिल में गिड़गिड़ाहट पैदा होगी इसलिए जिस्मानी इबादत को व्यर्थ समझना बहुत ग़लत और नुकसानदेह सोच है और इबादत के उसूलों को न समझने के कारण ऐसा ख्याल पैदा होता है।

2 दूसरी ग़लती लोगों में यह पैदा हो गई थी कि वह नमाज़ में दुआ करना भूल गए थे। सुन्नियों में तो नमाज़ में दुआ करना कुफ़्र समझा जाता था। उनका ख्याल था। कि नमाज़ पढ़ चुकने के बाद हाथ उठा कर दुआ करनी चाहिए। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सामने जब इस बात की चर्चा होती तो आप हँसते और कहते कि

उन लोगों की तो ऐसी ही मिसाल है जैसे कोई बादशाह के दरबार में जाए और वहाँ चुप-चाप खड़ा रहकर वापिस आ जाए और जब दरबार से बाहर आ जाए तो कहे हुज़ूर मुझे यह दे दो वह दे दो। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि दुआ नमाज़ में करनी चाहिए और अपनी जुबान में भी करनी चाहिए ताकि गिड़गिड़ाहट में जोश पैदा हो।

3 कुछ लोगों का यह ख्याल था कि ज़ाहिरी इबादत काफी है हाथ में तस्बीह पकड़ ली और बैठ गए। उनकी हालत यहाँ तक पहुँच गई थी कि मैंने एक किताब में देखा जिसमें लिखा था कि अगर कोई अमुक दुआ पढ़ ले तो सारे नेक लोगों की नेकियाँ उसे मिल जाएँगी और अगर उसने सब गुनाहगारों के बराबर गुनाह किए होंगे तो वे बख़्श दिए जायेंगे। जिन लोगों की यह सोच हो उन्हें रोज़ाना नमाज़ पढ़ने की क्या ज़रूरत महसूस हो सकती है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया :-

यह जिस्म एक घोड़ा है और रूह उस पर सवार है, तुमने घोड़े को पकड़ लिया और सवार को छोड़ दिया। ज़ाहिरी इबादतें तो रूहानी पाकीज़गी का साधन हैं इसलिए दिल की पाकीज़गी भी पैदा करें जो असल मक़सद है।

फ़िक्क़ा का सुधार

दसवां काम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह किया कि फ़िक्क़ा का सुधार किया जिसमें बहुत खराबियाँ पैदा हो गई थीं और इतना मतभेद बढ़ गया था कि उसकी कोई सीमा न रही। आपने उसके ठोस उसूल बनाए और फ़रमाया की शरीअत की बुनियाद निम्नलिखित

पांच चीजों पर है।

- 1 कुर्आन
- 2 सुन्नत-ए-रसूल सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम
- 3 हदीस जो कुर्आन करीम, सुन्नत और बुद्धि के विपरीत न हो।
- 4 बौद्धिक सूझ-बूझ (तफ़्क़रूहू फ़िद्दीन)
- 5 भिन्न-भिन्न परिस्थितियां और स्वभाव

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य है कि आपने सुन्नत और हदीस को अलग-अलग किया। आप ने फ़रमाया कि सुन्नत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का वह कार्य है जिस पर स्वयं क़ायम रहे और दूसरों को उसके करने का आदेश दिया और हदीस वह कथन है जो उन्होंने बयान किया।

अब देखो यह पांच उसूल बनाकर आपने कैसा सुधार किया। सब से **पहले दर्जे** पर आपने कुर्आन करीम को रखा जो ख़ुदा का कलाम है जो व्यापक और पूर्ण है। उसमें न कोई रद्दोबदल होगा और न हुआ है और उसमें कोई रद्दोबदल नहीं कर सकता क्योंकि ख़ुदा ने उसकी हिफ़ाज़त का वादा किया है। ऐसे कलाम से बढ़कर और कौन सी किताब विश्वसनीय हो सकती है। उस के बाद **दूसरे स्थान** पर सुन्नत है जिसका संबंध कार्य से है न कि कथन से और कार्य भी वे जिसे रसूल सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम हमेशा किया करते थे। हज़ारों लोग उसे देखते थे और उसका अनुसरण किया करते थे यह नहीं कि केवल एक या दो या तीन लोगों की गवाही हो कि हम ने रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को ऐसा कहते सुना बल्कि हज़ारों आदमियों कि अमली गवाही हो कि हमने रसूले करीम

सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को यों करते देखकर आप की पैरवी में ऐसा काम शुरू किया। इस सुन्नत में गलती की कल्पना बहुत ही कम रह जाती है और यह हदीस से जो थोड़े से लोगों की गवाही है बहुत श्रेष्ठ है। इसके बाद **तीसरे दर्जे** पर हदीस का स्थान रखा और यह शर्त लगाई कि केवल रावियों की जाँच परख उनकी सच्चाई की दलील नहीं बल्कि उनका कुर्आन करीम, सुन्नत और क़ानून-ए-कुदरत के अनुसार होना आवश्यक है। हदीस के बाद **चौथे दर्जे** पर तफ़्क़हू फ़िद्दीन को रखा है क्योंकि बौद्धिक सूझ-बूझ से भी बहुत से विषयों में तरक्की होती है। फिर शरीअत की **पांचवी** बुनियाद आपने फ़िक्का की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों और स्वभावों को ठहराया और इसे इस्लामी शरीअत का आवश्यक अंग ठहराया। इस सिद्धांत से बहुत से उसके मतभेदित विषय हल हो गए। उदाहरणतः आमीन कहने पर झगड़े होते थे आप ने फ़रमाया जिसका दिल ऊंची आवाज़ से आमीन कहना चाहे वह ऊंची आवाज़ से कहे जिसका दिल ऊंची आवाज़ से न कहना चाहे वह न कहे। जब यह दोनों बातें साबित हैं तो उन पर बहस करना व्यर्थ है रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने विभिन्न स्वभावों के लोगों को मद्देनज़र रखकर दोनों तरह से अमल किया। इसलिए हर एक अपने स्वभाव के अनुसार अमल कर सकता है। दूसरे के अमल से सरोकार नहीं रखना चाहिए। इसी तरह फ़रमाया, जिसका दिल चाहे सीने के ऊपर हाथ बांधे जिसका दिल चाहे नाभि के नीचे बांधे। उँगली उठाने या न उठाने, रफ़ा यदैन करने या न करने इत्यादि के बारे में भी यही फ़रमाया कि दोनों तरह से जायज़ है। इसी तरह बहुत से झगड़ों को जो किसी धार्मिक मतभेद के कारण नहीं बल्कि दो जायज़ बातों पर झगड़ने के कारण थे और

हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कारनामे

शरीअत की इस हिकमत को न समझने के कारण पैदा हो गए थे कि उसमें भिन्न-भिन्न परिस्थितियों और स्वभावों की दृष्टि से विभिन्न दशाओं को भी जायज़ रखा जाता है, आपने मिटा दिया।

औरतों के अधिकार का क्रयाम -

ग्यारहवां काम हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह किया कि औरतों के अधिकार क्रायम किए जो आपके प्रादुर्भाव से पहले बिल्कुल छीन लिए जाते थे। उदाहरणतः

(i) विरासत में हिस्सा नहीं मिलता था।

(ii) पर्दा में सख्ती की जाती थी। चलने-फिरने तक से रोका जाता था।

(iii) शिक्षा से वंचित रखा जाता था।

(iv) सद् व्यवहार और सहानुभूति से वंचित रखा जाता था।

(v) निकाह के संबंध में हाँ या न करने का अधिकार नहीं दिया जाता था।

(vi) खुलअ और तलाक़ में सख्ती की जाती थी।

मानवीय अधिकारों का लिहाज़ नहीं रखा जाता था। आप ने उन सब को दूर किया।

1 विरासत से वंचित रखने को आपने सख्ती से रोका और औरतों के इस अधिकार का समर्थन किया। अतएव हमारे घर में जहाँ भी पीढ़ियों से औरतों को हक नहीं दिया गया था वहाँ हमारी बहनों को विरासत के पूरे हक़ मिले और वे हमारे साथ आपकी जायदाद की वारिस हुईं।

2 पर्दा में जो जाहिरी सख्ती की जाती थी उसे दूर किया। आप हजरत अम्मा जान को साथ लेकर सैर को जाया करते थे। एक बार

आप एक स्टेशन पर हज़रत अम्मा जान को साथ लेकर टहल रहे थे। मौलवी अब्दुल करीम साहिब को यह बहुत नागवार लगा क्योंकि उस ज़माने में औरत का साथ टहलना बड़ी शर्म की बात और ऐब समझा जाता था। हज़रत मौलवी अब्दुल करीम साहिब हज़रत खलीफ़तुल मसीह अव्वल के पास आए और कहा कि, हज़रत साहिब बीबी साहिबा को साथ लेकर टहल रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। आप जाकर हज़रत साहिब से कहें कि बीबी साहिबा को बिठा दें। हज़रत खलीफ़तुल मसीह अव्वल ने कहा, आप स्वयं जाकर कहें मैं तो नहीं कह सकता। अन्ततः आप गए और सिर नीचे किए हुए लौटे। हज़रत खलीफ़तुल अव्वल ने पूछा, हज़रत साहिब ने क्या जवाब दिया कहने लगे कि जब मैंने कहा कि लोग इस तरह टहलने पर ऐतराज़ करेंगे तो आप ठहर गए और फ़रमाया, लोग क्या ऐतिराज़ करेंगे क्या यह कहेंगे कि मिर्ज़ा साहिब अपनी बीबी को साथ लेकर टहल रहे थे?

अतः हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने औरतों की सेहत को ठीक रहने के लिए उनके चलने फिरने की आज़ादी दी। यद्यपि आज शिक्षित वर्ग इस इन्क़लाब को नहीं समझ सकता, लेकिन जिस समय हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस काम को शुरू किया उस समय यह बात बहुत आश्चर्यजनक थी। आपने बताया कि पर्दे का उद्देश्य कई कमज़ोरियों से बचाना है इसके अतिरिक्त औरतों को मर्दों से बेधड़क मेलजोल रखने से रोका गया है, न कि औरतों को क्रैद में डाले रखने का आदेश दिया है।

3 औरतों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने औरतों की शिक्षा पर विशेष बल दिया है। अतः आपने एक मित्र को पत्र में लिखा कि औरतों को अरबी फ़ारसी के अलावा

कुछ अंग्रेजी की भी शिक्षा देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य शिक्षाओं का ज्ञान भी होना उनके लिए आवश्यक है।

4 आप ने औरतों से संबंधित व्यवहार और सहानुभूति इल्हामी तौर पर क्रायम की और बताया कि व्यवहार और सहानुभूति में औरतें मर्दों के सामान हैं। यहाँ तक कि जब एक बार मौलवी अब्दुल करीम साहब अपनी बीवी से ऊंची आवाज़ में बोले तो आपको इल्हाम हुआ, जिसका सारांश यह था कि:-

मुसलमानों के लीडर अब्दुल करीम को कह दो कि यह तरीका अच्छा नहीं।

(तज़िकर: पृष्ठ 396 संस्करण चतुर्थ)

5 औरतों को निकाह के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त न थे। आपने उस अधिकार को क्रायम किया और निकाह के लिए औरत की रज़ामंदी लेना ज़रूरी ठहराया। बल्कि औरत और मर्द को निकाह से पहले एक-दूसरी को देखने के आदेश को पुनः जारी किया और कई स्त्री-पुरुष को आपने स्वयं आदेश देकर एक-दूसरे को दिखला दिया।

6 तलाक़ का रिवाज़ इतना बढ़ गया था कि उसकी कोई सीमा न थी। आपने उसे रोका और जहाँ तक संभव हो निकाह के बन्धन को क्रायम रखने का आदेश दिया। उसकी तुलना में खुलअ का दायरा इतना तंग कर दिया गया था कि औरत घुट-घुट कर मर जाती, उसका कोई देखभाल करने वाला न होता। आप ने उस दरवाज़े को खोला और औरत के अधिकारों को जो शरीअत ने उन्हें दिए थे पुनः क्रायम किए और बताया कि तलाक़ की तरह औरत को भी खुलअ का अधिकार है। केवल अन्तर इतना है कि वह क्राज़ी के माध्यम से खुलअ ले। इसके अतिरिक्त औरत की तकलीफ़ और एहसास का शरीअत ने इतना ध्यान

रखा है जितना कि मर्द के।

7 औरत के घरेलू और सामाजिक अधिकारों को पुनः क्रायम किया। आप के प्रादुर्भाव से पहले औरत को कोई अधिकार न दिए जाते थे। आपने औरत के अधिकारों पर विशेष बल दिया और उसे उस गुलामी से आज़ाद किया जिसमें वह इस्लामी शिक्षा के होते हुए जकड़ दी गई थी।

मानवीय कर्मों का सुधार-

बारहवाँ काम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने लोगों के कर्मों के सुधार हेतु किया जिस पर मुक्ति का आधार है। सारी दुनिया कर्मों के सुधार को तो एक महत्त्वपूर्ण विषय समझती थी लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि यह काम किस तरह हो सकता है। मुसलमान भी इस विषय के बारे में खामोश थे। बल्कि दूसरों से कुछ गिरी हुई हालत में थे। आप ने कुर्आन करीम से इस विषय को पूर्णतः हल कर दिया और ऐसा ढंग बताकर मुक्ति का रास्ता खोल दिया जिसका मुकाबला कोई दूसरा मज़हब नहीं कर सकता।

ईसाइयत ने विरासत में मिलने वाले गुनाह की थ्योरी पेश करके कहा था कि मनुष्य को गुनाह विरासत में मिले हैं, इसलिए कोई मनुष्य गुनाहों से बच नहीं सकता। मानो उसके निकट मुक्ति नामुमकिन थी और उस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए उसने कफ़ारा का अक्रीदा गढ़ा।

हिन्दू धर्म का मत था कि मुक्ति हिसाब साफ़ करने से हो सकती है। जब हिसाब साफ़ हो जाएगा तब मुक्ति मिलेगी। परमेश्वर मनुष्य की नेकियों और बुराइयों का हिसाब रखता है और उनको देखता रहता है।

अगर बुराइयां अधिक हों तो मरने के बाद किसी दूसरी योनि में डालकर संसार में भेज देता है। इस तरह हिन्दू धर्म ने मुक्ति को असम्भव बना कर मनुष्य को आवागमन के चक्कर में डाल दिया था।

यहूदी मुक्ति को प्रारम्भ से ही नहीं मानते थे। क्योंकि उनके निकट नबी (अवतार) भी गुनाहगार हो सकता है, और होता है। वे मज्जे ले लेकर नबियों के गुनाह गिनाते थे और इसमें कोई बुराई न समझते थे। उनके निकट मुक्ति पाने का तरीका केवल यह था कि अल्लाह तआला किसी को अपना प्यारा ठहराकर उससे मुक्ति को सम्बद्ध कर दे। मानो वे मुक्ति को एक त्कदीर का अमल समझते थे और अपनी मुक्ति पर इसलिए खुश थे कि वे इब्राहीम की औलाद और मूसा की उम्मत हैं न कि इसलिए कि वे खुदा तआला की प्रसन्नता को अपनी आत्मिक सुधार के द्वारा पा चुके हैं।

मुसलमानों ने भी फ़रिश्तों और नबियों तक को भी गुनाहगार ठहराकर यहूदियों की नक़ल में मुक्ति के मक़सद को समाप्त कर दिया था और यह बात गढ़ ली थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम सब मुसलामानों की शफ़ाअत (सिफ़ारिश) करेंगे और सब बख़्शे जाएंगे। इससे भी बढ़कर आश्चर्य यह था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के अलावा बहुत से पीर ऐसे बना रखे थे जो इनसे कहते थे कि कुछ करने धरने की ज़रूरत नहीं। हम तुम्हें खुद सीधे जन्नत में पहुंचा देंगे।

हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इन सब विचारों को ग़लत साबित किया और मुक्ति का मार्ग जिस पर मुक्ति आधारित है क़ुर्आन करीम से पेश किया। आप ने यह स्वीकार किया कि विरासत में मनुष्य को ऐब और गुनाह की ओर झुकाव उसी तरह मिलाता है जिस तरह

नेकी का। आपने यह भी स्वीकार किया कि आत्मिक शुद्धता के लिए पिछले हिसाब को ठीक करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन आपने नबियों (अवतारों) के गुनहगार होने के विषय का पूर्णतः खण्डन किया और इस विषय का भी खण्डन किया कि मनुष्य जानबूझकर शरीर अत की मुखालिफत करके शफ़ाअत से लाभ पा सकता है। ये दोनों विचारधाराएँ मुसलमानों ने यहूद से ली थीं जो इस्लामी शिक्षा के विरुद्ध थीं। आपने इस विचारधारा का भी खण्डन किया कि ख़ुदा तआला ने किसी को दुराचारी और किसी को सदाचारी बनाया।

पहली दो बातों को आपने निम्नलिखित संशोधन के साथ स्वीकार किया कि :-

(1) इसमें कोई सन्देह नहीं कि विरसा से भी अच्छे बुरे असर मिलते हैं

(2) इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि खान-पान और जलवायु से भी कई विशेष आदतें पैदा हो जाती हैं जैसा कि विभिन्न देशों की आदतों से स्पष्ट है। कश्मीर के लोग डरपोक होते हैं और पठान खूँखार होते हैं, बंगाली डरपोक होते हैं उनकी अपेक्षा पंजाबी बहादुर होते हैं। अगर इन्सान अपने पर पूरा-पूरा वश रखता तो हमेशा यही क्यों होता कि बंगाली मारता नहीं। कश्मीरी दिलेर और साहस का काम नहीं करता और पठान मरने मारने को तैयार रहता है। इस तरह के क्रौमी गुण-दोष बताते हैं कि खान-पान एवं जलवायु का भी आदतों में दखल होता है। अतः इन विशेष गुण-दोषों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वहाँ के सब लोग अपनी इच्छा से विशेष गुण या दोष अपना लेते हैं।

(3) इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि शिक्षा-दीक्षा और विचारधारा का भी मनुष्य पर विशेष असर पड़ता है। जैसे हिन्दू गाय के ज़िबह

करने पर क्रोध में आ जाता है पर वह यह भी जानता है कि दूसरे को मारने पर मुझे फाँसी मिलेगी लेकिन जब गाय को जिबह होते देखता है तो क्रत्ल पर आमादा हो जाता। यह अक्रीदे का असर है।

(4) इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि जिस समय मनुष्य कोई काम करने लगता है उस समय के हालात का भी उस पर एक विशेष असर पड़ता है। एक अध्यापक प्रतिदिन लड़कों से पाठ सुनता है और नर्मी का व्यवहार करता है अगर एक दिन उसकी बीवी से लड़ाई हो जाए और वह घर से गुस्से में भरा हुआ निकले तो पाठ सुनने के समय थोड़ी सी गलती करने पर सज़ा दे देगा। अतः स्पष्ट है कि मौजूदा हालत का भी इन्सान के कामों पर असर पड़ता है।

तात्पर्य यह कि बहुत से ऐसे कारण हैं जो मनुष्य के कर्मों पर असर डालते हैं। अतः हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बताया कि केवल विरसा ही एक ऐसी चीज़ नहीं जो इन्सान पर असर डालता है बल्कि उसके अलावा दूसरी चीज़ें भी हैं जब यह साबित है तो फिर प्रश्न यह है कि यदि विरसा का गुनाह कफ़ारा से दूर हो सकता है तो शेष गुनाह किस तरह दूर होंगे?

फिर आप ने बताया कि सच बात यह है कि सारी क्रौमों को यह धोखा लग गया है कि इन्सान की फितरत (प्रकृति) गुनाहगार है। किसी को विरसा के गुनाह की थ्योरी से, किसी को पिछले कर्मों की वजह से, किसी को **خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا** (खुलिकल इन्सानु जईफ़ा) (अन्निसा - 29)की आयात से और किसी को भाग्य की विचारधारा इत्यादि से यह भ्रम पैदा हुआ है। हालांकि असल बात यह है कि विरसा और शिक्षा-दीक्षा इत्यादि के असर के बावजूद इन्सान की फ़ितरत (प्रकृति) नेकी पर पैदा की गई है। प्रकृति में बुराई से नफ़रत और नेकी

से प्यार रखा गया है। शेष सब पाप और मैल होते हैं जो ऊपर चढ़ जाते हैं। इसका सुबूत यह है कि व्यभिचारी भी नेकियाँ करते हैं। एक व्यक्ति जिसे झूठा कहा जाता है। यदि वह दिन में कई झूठ बोलेगा तो उनसे कहीं अधिक वह सच बोलेगा।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बताया कि सारी बुराइयों की जड़ यह है कि मनुष्य के दिल से पाकीज़गी की उम्मीद को निकाल दिया गया है और उसे स्वयं उसकी नज़रों से गिरा दिया गया है। मनुष्य को जन्मजात अभागा कहकर ऐसा बना दिया गया है। किसी लड़के को यूँ ही झूठा कहने लग जाओ तो कुछ समय के पश्चात् वह वास्तव में झूठ बोलने लग जाएगा। आपने बताया कि मनुष्य को वस्तुतः नेक बनाया गया है बुराई केवल एक मैल है। जिस धातु से वह बना है वह नेकी है उसे इस वास्तविकता से अवगत कराना चाहिए ताकि उसमें दिलेरी पैदा हो और नाउम्मीदी दूर हो। उसे उसके पवित्र स्रोत की ओर ध्यान दिलाओ। इस तरह वे स्वयं नेकी की ओर बढ़ता चला जाएगा।

2 दूसरी दलील दूसरे धर्मों की थ्योरियों के खण्डन में आप ने यह प्रस्तुत की कि गुनाह उस काम को कहते हैं जो जानबूझकर हो। जो जानबूझकर न हो बल्कि जबर से हो वह गुनाह नहीं हो सकता। उदाहरणतः बच्चे का हाथ पकड़कर माँ के मुँह पर थप्पड़ मारा जाए तो क्या माँ बच्चे को मार देगी? अतः फ़रमाया कि विरसे के गुनाह से अगर मनुष्य बच नहीं सकता तो वह गुनाह नहीं। आदत के गुनाह से अगर इन्सान बच नहीं सकता है तो वह गुनाह नहीं। शिक्षा-दीक्षा का अगर उस पर ऐसा असर है कि स्वाभाविक तौर पर उसका गुनाह से बचना नामुमकिन है तो वह गुनाह नहीं। अगर प्राकृतिक कमज़ोरियाँ ऐसी हैं कि चाहे वह जो कुछ करे उनसे निकल नहीं सकता तो वह

गुनाह नहीं। अतः अगर इस हद तक रोक है कि इन्सान उसे दूर न कर सके तो गुनाह नहीं और अगर ऐसा नहीं तो मालूम हुआ कि इन्सान उनसे बच सकता है और यदि उनसे बच सकता है तो फिर स्वाभाविक शक्तियों को छोड़कर नए तरिके जैसे कफ़ारा या आवागमन गढ़ने की आवश्यकता नहीं और जिस हद तक मनुष्य मजबूर है उसी हद तक इन्सान को विवश और उसके कारण से बेगुनाह मानना होगा और उस हद तक उसको सज़ा से मुक्त समझना होगा। फिर किसी कफ़ारा या आवागमन की आवश्यकता न होगी। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह कहकर कि गुनाह वह है जो जानबूझकर और अपने इख्तियार से किया जाए, गुनाह की थ्योरी ही बदल दी है और इस कारण से कुर्आन करीम ने कर्मों के फल के बारे में निम्नलिखित उसूलों को मद्देनज़र रखा है।

(1) प्रथम उसने वज़न पर विशेष ज़ोर दिया है जिस से मालूम होता है कि खुदा तआला इन्सानों के कर्मों के बारे में यह लिहाज़ रखेगा कि उनमें कहाँ तक जबर या इख्तियार का दखल है।

(2) द्वितीय उसने अल्लाह तआला के “मालिक यौमिद्दीन” (सूरः फ़ातिहा - 4) होने पर ज़ोर दिया है। अर्थात् उसने सच्ची जज़ा-सज़ा को किसी और के सुपुर्द नहीं किया। उसका कारण भी यही है कि खुदा के अतिरिक्त कोई आलिमुल ग़ैब नहीं है। यदि कर्मों का फल दूसरों के सुपुर्द होता तो वे मनुष्य के कर्मों के पीछे जो जबर का हिस्सा है उसका ध्यान न रख सकते और उन कर्मों के बदले में मनुष्य को गुनाहगार ठहरा देते। जिनके करने में वह गुनाहगार नहीं या पूरा गुनाहगार नहीं और उन कर्मों के बदले में उसे नेक ठहरा देते जिनके करने से वह नेक नहीं होता या पूरा नेक नहीं होता।

मर्म - याद रखना चाहिए कि “मालिक यौमिद्दीन” इस विषय पर संकेत करता है कि मनुष्य के कर्मों के पीछे इतने कारण और रोकें हैं कि उनको समझे बिना जज़ा-सज़ा देना अत्याचार बन जाता है। अल्लाह तआला ने यौमिद्दीन के बारे में अपने लिए मालिकीयत का शब्द बयान फ़रमाया है क्योंकि मालिकीयत सच्चे अधिकार के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। मल्कीयत हो सकती है। मलिक चुना जा सकता है मगर मालिक नहीं। अल्लाह तआला ने इस जगह “मालिकुम यौमिद्दीन” नहीं फ़रमाया बल्कि “मालिक यौमिद्दीन” फ़रमाकर इस बात पर ज़ोर दिया कि इस जगह तुम्हारी मालिकीयत पर इतना अधिक ज़ोर देना उद्देश्य नहीं जितना कि उस दिन की मालिकीयत पर ज़ोर देना उद्देश्य है और बताना उद्देश्य है कि उस समय का वह पूर्णरूपेण मालिक होगा और इस समय का भी वह मालिक है कोई चीज़ उसकी नज़र से छिपी नहीं और न रहेगी।

एक और आयत भी इस विषय का समर्थन करती है और वह यह है कि

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمْ هَامِنٌ دَابَّةٌ ﴿٤٦﴾
(अल फ़ातिर - 46)

अर्थात् अगर ख़ुदा तआला इन्सान को उसके कर्मों पर सज़ा देने लगे तो कोई जानदार भी ज़मीन पर ज़िन्दा न छोड़े अर्थात् मनुष्य बहुत से ऐसे काम कर बैठता है जो शरीअत के खिलाफ़ होते हैं या जिनमें अहंकार इत्यादि का आधिपत्य होता है। लेकिन ख़ुदा तआला हर काम की सज़ा नहीं देता बल्कि केवल उन कर्मों की सज़ा देता है जिनमें मनुष्य का इख़्तियार होता है। यह भी याद रखना चाहिए कि इस आयत में **مَاتَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمْ هَامِنٌ دَابَّةٌ** फ़रमाया है अर्थात् अगर मनुष्य

के सारे कर्मों पर सज़ा देता तो दुनिया पर कोई जानदार भी जिन्दा न छोड़ता। इस पर स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि लोगों के कर्मों की सज़ा देता तो जानवर क्यों तबाह हो जाते? लोगों के मुकद्दरों पर जानवरों को सज़ा क्यों मिलती। मुफ़स्सिरीन इस प्रश्न का जवाब यह देते हैं कि जानवर इन्सान के फायदे के लिए पैदा किए गए हैं। इसलिए जब इंसान तबाह कर दिए जाते तो जानवर भी तबाह कर दिए जाते यद्यपि यह जवाब भी सही है मगर मेरे निकट इसमें इस तरफ़ भी इशारा है कि मनुष्य के कर्मों का कुछ हिस्सा उसी तरह ज़बरी होता है जिस तरह गाय भैंसों इत्यादि जानवरों का होता है। अतः अगर इंसान के सारे कर्मों की सज़ा दी जाती तो अनिवार्य रूप से गाय बैलों इत्यादि को भी सज़ा देना पड़ता और सारे जानवरों को तबाह कर दिया जाता पर हम ऐसा नहीं करते और जानवरों को उनके कर्मों की सज़ा इस वजह से नहीं देते कि वे बेबस होते हैं। इसी तरह हम इन्सान के हर एक कर्म की सज़ा नहीं देते केवल उन कर्मों की सज़ा देते हैं जो उनके वश में होते हैं।

अब प्रश्न यह रह जाता है कि जिस हद तक मनुष्य पर जबर होता है उसका क्या इलाज है? या वह बे इलाज है? उसका जवाब हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह दिया है कि उसका भी इलाज है और वह यह है कि इंसान के अन्दर अल्लाह तआला ने खौफ़ और मुहब्बत के जज़्बात बहुत अधिक पैदा किए हैं। उसके द्वारा वह अपनी मजबूरियों पर भी ग़ालिब आ जाता है। उदाहरणतः भेड़िए में काटने की प्रवृत्ति है पर मुहब्बत उसे मजबूर करती है कि वे अपने बच्चे को न काटे मानो मुहब्बत उसके काटने की प्रवृत्ति पर भारी पड़ जाती है। या जहाँ आग जल रही हो वहाँ चीता हमला नहीं करता क्योंकि उसे अपनी जान का डर होता है। चीते का स्वभाव है कि वह हमला करे पर

डर उसकी इस आदत पर ग़ालिब आ जाता है इस तरह अगर इन्सान की मुहब्बत और ख़ौफ़ के जज़्बात को उभार दिया जाए तो वह उन दुष्प्रभावों पर जो उसके कर्मों पर छा रहे होते हैं ग़ालिब आ जाता है। अतः अल्लाह तआला ने उसके लिए अपने फ़ज़ल से सामान पैदा किए हैं और वह समय-समय पर दुनिया में अपने अवतार भेजता रहता है और उनके द्वारा से अपनी कुदरत और अपने तेज और अपने फ़ज़ल और अपनी रहमत की शान दिखाता रहता है ताकि लोगों में अपार मुहब्बत और अपार डर पैदा किया जाए। इस तरह जो लोग मुहब्बत का जज़्बा रखते हैं वे उन निशानों और तजल्लियों से मुहब्बत में तरक्की करके बुरे असरात पर ग़ालिब आ जाते हैं और पाक हो जाते हैं और जो लोग ख़ौफ़ के जज़्बा से ज़्यादा से हिस्सा रखते हैं वे खुदा तआला के प्रकोपीय निशानों से प्रभावित हो कर ख़ौफ़ की वजह से बुरे असरात पर ग़ालिब आ जाते हैं और उसके द्वारा बाह्य असर जो एक प्रकार का ज़ब्र कर रहे थे उनसे इन्सान को सुरक्षित कर दिया जाता है और आत्मिक सुधार (मुक्ति) में उसे मदद मिल जाती है।

नेकी और बदी की परिभाषा-

इस जगह पर स्वभाविक तौर पर यह प्रश्न पैदा होता है कि नेकी बदी क्या चीज़ हैं और इस्लाह-ए-नफ़्स किस चीज़ का नाम है? इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न लोगों ने विभिन्न प्रकार से दिया है।

1 कुछ ने कहा है कि जो चीज़ बुरी मालूम हो वह बुरी है और जो अच्छी मालूम हो वह अच्छी है। यह जवाब चूँकि इन्सान के ख्याल से संबंध रखता है इसके अन्तर्गत हमें कहना पड़ेगा कि एक हिन्दू जो मूर्तिपूजा को अच्छा समझता है अगर वह मूर्तिपूजा करे तो उसका यह

काम अच्छा समझा जाएगा। लेकिन अगर यही काम एक मुसलमान करे तो बुरा समझा जाएगा।

2 कुछ ने कहा कि जो बात सामूहिक रूप से उस व्यक्ति के लिए या दुनिया के लिए अच्छी हो वह अच्छी है और जो इस लिहाज से बुरी हो वह बुरी है।

पहली राय पर यह ऐतराज पड़ता है कि यदि कोई कत्ल को अच्छा समझकर किसी को कत्ल करे तो क्या उसका यह काम नेकी होगा? या कोई आदमी व्यभिचार करता है और उसे जायज समझता है तो क्या यह उसके लिए नेकी हो जाएगा।

दूसरी राय पर यह ऐतिराज पड़ता है कि जो लोग यह कहते हैं कि जो चीज पूर्ण रूप से अच्छी हो या बुरी हो वह नेकी या बदी होगी। उस पूर्णतःको मालूम करने का साधन क्या होगा? इन्सान तो अपने आस पास की हालत को भी पूरी तरह नहीं समझता, वह पूरी जानकारी का पता किस तरह लगाएगा? और जिस चीज का ज्ञान ही मनुष्य को नहीं हो सकता उससे वह फ़ायदा किस तरह उठा सकता है?

3 तीसरी राय यह है कि जिस बात से मनुष्य की प्रकृति नफ़रत करे वह बुराई है और जिस बात को पसन्द करे वह नेकी है। सारी क्रौमें झूठ से नफ़रत करती हैं यह बुराई है और सारी क्रौमें सदका और ख़ैरात (दान-पुण्य) को पसन्द करती हैं यह नेकी है लेकिन इस पर यह ऐतराज होता है कि मनुष्य की चाहत या नफ़रत का संबंध तो आदतों से होता है। एक हिन्दू गाय को ज़िबह करने से बड़ी नफ़रत के जज़्बात से भर जाता है और मुसलमान उस काम की तरफ़ चाहत रखता है इस सिद्धांत के अनुसार नेकी और बदी का फैसला किस तरह हो सकता है?

4 चौथा विचार यह है कि जिस काम से शरीअत रोके वह बुराई है और जिसकी आज्ञा दे वह नेकी है। इस विचारधारा पर यह ऐतिराज पड़ता है कि अगर यह बात सही है तो ज्ञात हुआ की शरीअत बदी से रोकती नहीं बल्कि बदी पैदा करती है क्योंकि अगर बदी का अलग अस्तित्व कोई नहीं है बल्कि शरीअत के रोको की वजह से वह बदी बनी है तो मानो शरीअत इसलिए नहीं आती कि बदी से रोकने बल्कि उसने कई कामों से रोका है इसलिए वे बदी बन गए। मानो बदी का दरवाजा शरीअत ने खोला है ईसाई धर्म की यही विचारधारा है और इसी कारण से उसने शरीअत को लानत ठहराया है।

हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो कुछ नेकी और बदी के बारे में लिखा है उससे मालूम होता है कि आप ने उन सब बातों को माना है और सब का खण्डन भी किया है। मानो उन सब विचारधाराओं में सच्चाई का एक-एक हिस्सा बयान हुआ है। आप की शिक्षा पर गौर करके हम इस नतीजे तक पहुँचते हैं कि यह विचार भी सही है कि नेकी और बदी का बहुत कुछ सम्बन्ध नीयत के साथ भी है लेकिन केवल नीयत पर ही नेकी और बदी का आधार ही नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि एक आदमी को किसी अच्छे आम को खिलाफ़-ए-शरीअत समझता है मगर कर लेता है तो चाहे वह काम अच्छा हो फिर भी गुनाहगार होगा। क्योंकि उसने उसे गुनाह समझकर किया है और खुदा तआला की मुखालिफ़त पर अमादा हो गया है। इसी तरह जैसे एक बुरे काम को इन्सान अच्छा समझ लेता है तो कभी-कभी वह बदी का दोषी नहीं ठहराया जाता। जैसे ग़लती से अपने एक दोस्त को ऐसा खाना खाना खिला दे जो उसके लिए नुकसानदेह हो तो चाहे यह काम बुरा हो लेकिन उसकी ओर बदी नहीं बल्कि नेकी मन्सूब होगी क्योंकि

उसने दूसरे के फ़ायदे को ही मद्देनज़र रखकर वह काम किया था।

दूसरी परिभाषा भी इस हद तक सही है क्योंकि नेकियाँ या बदियाँ अपने उस नतीजे के अनुसार नेकियाँ या बदियाँ बनती हैं जो पूर्ण रूप से नतीजा निकालता है। पर यह परिभाषा हमें लाभ नहीं दे सकती क्योंकि उसके अतिरिक्त इस दुनिया के फ़ायदे और नुकसान को भी इन्सान पूरी तरह नहीं समझ सकता। कई कामों के परिणाम या परिणामों के कुछ हिस्से अगली ज़िन्दगी से सम्बन्ध रखते हैं और उनका अन्दाज़ा करना इन्सान के लिए नामुमकिन है अतः इस परिभाषा की सहायता से हम स्वयं किसी काम को नेक और किसी काम को बुरा नहीं ठहरा सकते।

तीसरी परिभाषा यह कि जिससे मनुष्य की प्रकृति नफ़रत करे वह बुराई है और जिसकी तरफ़ चाहत करे वह नेकी है। यह भी सही है लेकिन मनुष्य की प्रकृति दूसरे असर या आदत इत्यादि के तहत कभी खराब हो जाती हो। अतः समस्या यह है कि आदत का सही झुकाव किस तरह मालूम हो और जब तक प्रकृति का सही झुकाव मालूम न हो इस परिभाषा से भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हो सकता।

चौथी परिभाषा यह कि जिससे शरीअत रोके वह बुराई है और जिसका आदेश दे वह नेकी है। यह भी नामुमकिन है क्योंकि अगर शरीअत ने आदेश या निषेध को किसी युक्ति पर आधारित करना है तो उस आदेश या निषेध को उसी युक्ति की ओर मन्सूब करना चाहिए और यँ कहना चाहिए कि अमुक कारण जिसमें पाया जाए वह बदी है और अमुक कारण पाया जाए तो वह नेकी है और यदि शरीअत ने बिना किसी युक्ति के कुछ बातों का आदेश देना है और कुछ से रोकना है तो शरीअत का यह काम व्यर्थ हो जाता है।

अतः यह सारी परिभाषाएँ अधूरी हैं और सच्चाई उनके मिलाने से

पैदा होती है अतः हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने नेकी और बदी की यह परिभाषा की है कि खुदा तआला की विशेषताओं को अपनाना नेकी है और उसकी विशेषताओं या आदेशों के विपरीत कोई काम करना बुराई है। असल बात यह है कि जैसा कि यहूदियत ईसाइयत और इस्लाम की सहमति है कि खुदा ने इन्सान को अपनी आकृति पर पैदा किया है अर्थात् प्रतिरूपी तौर पर अपनी विशेषताओं की चादर उसे पहनाई है और अपनी विशेषताओं का द्योतक बनने की उसे शक्ति दी है और इस उद्देश्य से उसे पैदा किया कि मानो इन्सान सादृश्य है खुदा का, और खुदा मुख्य है। अब यह बात स्पष्ट है कि आकृति की विशेषता यही होती है कि वह मुख्य के सादृश्य हो और उसका दोष यह है कि मुख्य के उलट हो। अतः इन्सान जब ऐसा व्यवहार करता है जो उसे खुदा की विशेषताओं के अनुरूप बनाता है वह नेकी है और जो ऐसा व्यवहार करता है जो उसे खुदा तआला की विशेषताओं से दूर ले जाता है वही बदी है क्योंकि इस तरह वह मानो उस आकृति को बिगाड़ रहा होता है जिसके बनाने के लिए वह बनाया गया है। यही सादृश्यता इन्सान और खुदा में है असल उद्गम और स्रोत तो खुदा है। अतः जब इन्सान एक तस्वीर है तो अवश्य असल की अनुरूपता गुण है और उसकी विपरीतता दोष या दूसरी शब्दों में अनुरूपता नेकी है और विपरीतता बदी। जब इन्सान को अदृश्य शक्तियों के साथ जो आंशिक रूप से खुदा तआला की विशेषताओं से मिलती जुलती हैं पैदा किया गया है। इसलिए स्वभावतः उसे खुदा तआला के गुणों से मिलते-जुलते कार्यों से लगाव और निषेध कार्यों से नफरत होनी चाहिए। अतः नफरत और चाहत नेकी-बदी का पता देने वाले होंगे। इसी तरह असल के खिलाफ़ चलने से नुकसान मिलता है और उसके अनुसरण

से नेकी पैदा होती है। इसलिए नेकी का परिणाम नेक और बुराई का परिणाम बुरा निकलता है। तीसरा नतीजा यह भी निकलता है कि चूँकि खुदा तआला इच्छावान है और इन्सान की विशेषता भी यह है कि वह इच्छा से काम करे। इस तरह गुनाह और नेकी एक हद तक इच्छा से भी सम्बन्ध हो जाएंगे।

लेकिन इन तीनों बातों को स्वीकार करने के बावजूद इस बात के भी मानने से कोई रोक नहीं हो सकती कि इन्सान कभी-कभी बाह्य प्रभावों और आदतों के कारण अपनी सोच और प्रकृति के प्रयोग से विवश रह जाता है। इसलिए आवश्यक था कि खुदा तआला की ओर से लिखित आदेश भी मिलें कि इस-इस काम से खुदा तआला से अनुरूपता पैदा होगी और इस-इस तरह उसकी विपरीतता होगी। इसी का नाम शरीअत है। इस दृष्टि से शरीअत के अनुसार काम करने का नाम नेकी और उसके विपरीत काम करने का नाम बदी है। अतः नेकी और बदी की वास्तविक परिभाषा वही है जो ऊपर की चारों बातों के मिलने से पैदा होती है और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की शिक्षा इसी ओर संकेत करती है।

इस्लाम और मुसलमानों की उन्नति के साधन

तेरहवाँ काम हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह किया कि इस्लाम और मुसलमानों की उन्नति के साधन पैदा किए जो निम्नलिखित हैं:-

(1) तब्लीग-ए-इस्लाम - हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ही पहले वह व्यक्ति हैं जिन्होंने इस काम को जो मुद्दतों से बन्द हो चुका था जारी किया। आपने प्रादुर्भाव से पहले मुसलमान

तब्लीग-ए-इस्लाम के काम से बिल्कुल गाफ़िल हो चुके थे। कभी कोई मुसलमान अपने आस-पास के लोगों में तब्लीग कर लेता तो कर लेता लेकिन तब्लीग को विधिवत् करना मुसलमानों के सोच में ही न था। ईसाई देशों में तब्लीग करना तो बिल्कुल नामुमकिन समझा जाता था। आपने सन 1870 ई से इस काम की ओर ध्यान दिया और सबसे पहले पत्रों के द्वारा फिर इश्तिहार के माध्यम से यूरोप के लोगों को इस्लाम के मुक्राबला की दावत दी और बताया कि इस्लाम अपनी विशेषताओं में सारे धर्मों से बढ़कर है अगर किसी धर्म में हिम्मत है तो इसका मुक्राबला करे। मिस्टर एलैकजेन्डर विब मशहूर अमरीकन मुस्लिम मिशनरी आप ही की रचनाओं से मुसलमान हुए और आप से मुलाक़ात को हिंदुस्तान आए थे दूसरी मुसलमानों ने उन्हें बरगलाया कि मिर्जा साहिब के मिलने से बाक़ी मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे और आपके काम में मदद न करेंगे। अमरीका वापिस जाकर उन्हें अपनी ग़लती का एहसास हुआ और मरते दम तक अपने इस काम पर विभिन्न पत्रों के द्वारा पश्चाताप प्रकट करते रहे। आज दुनिया के विभिन्न देशों में इस्लाम की तब्लीग के लिए आपकी जमाअत की तरफ़ से मिशन काम कर रहे हैं और आश्चर्य है कि आज 60 साल के बाद केवल आप ही की जमाअत इस काम को कर रही है।

(2) दूसरे आपने जिहाद की सही शिक्षा दी। लोगों को यह धोखा लगा हुआ है कि आप ने जिहाद से रोका है। हालाँकि आप ने जिहाद से कभी भी नहीं रोका बल्कि इस पर जोर दिया है कि मुसलमानों ने जिहाद की हक़ीक़त को भुला दिया है और वे केवल तलवार चलाने का नाम जिहाद समझते रहे हैं जिसका परिणाम यह निकला कि जब मुसलमानों को ग़ल्बा मिल गया तो वे आराम से बैठ गए और कुफ़्र

दुनिया में मौजूद रहा। यद्यपि दुनिया में इस्लाम की हुकूमत हो गई मगर दिलों में कुफ्र बाक्री रहा और उन देशों की ओर भी ध्यान न दिया गया जिनको इस्लामी हुकूमतों से लड़ाई का अवसर न मिला और वहाँ कुफ्र की हुकूमत कायम रही। जिसका परिणाम यह निकला कि कुफ्र अपनी जगह पर फिर ताकत पकड़ गया और उसकी राजनैतिक ताकत बढ़ने के कारण इस्लाम को नुकसान पहुँचने लगा। अगर मुसलमान जिहाद की यह परिभाषा समझते जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने की है कि जिहाद हर उस काम का नाम है जिसे इन्सान नेकी और तक्वा के क्रयाम के लिए करता है और वह जिस तरह तलवार से होता है उसी तारा आत्मिक सुधार से भी होता है उसी तरह तब्लीग से भी होता है धन से भी होता है। हर प्रकार के जिहाद का अलग-अलग समय होता है। अगर मुसलमान इसको समझते तो आज का यह बुरा दिन न देखना पड़ता। अगर इस परिभाषा को समझते तो इस्लाम के ज़ाहिरी ग़ल्बा के समय जिहाद के हुकम को खत्म न समझते बल्कि उन्हें ध्यान रहता कि अभी केवल एक प्रकार का जिहाद खत्म हुआ है दूसरी प्रकार का जिहाद अभी बाक्री है और तब्लीग का जिहाद शुरू करने का अधिक मौका है और उसका परिणाम यह निकलता कि इस्लाम न केवल इस्लामी देशों में फैल जाता बल्कि यूरोप भी आज मुसलमान होता और उसकी तरक्की के साथ इस्लाम पर पतन का दौर न आता। अतः हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जिहाद के अवसर बताये हैं। आप ने यह नहीं फ़रमाया कि तलवार का जिहाद मना है बल्कि यह बताया है कि इस ज़माने में शरीअत के अनुसार किस जिहाद का अवसर है और स्वयं बड़े जोर से उस जिहाद को शुरू किया और सारी दुनिया में तब्लीग शुरू कर दी। अब भी अगर मुसलमान इस

जिहाद को शुरू कर दें तो सफल हो जाएंगे। अगर मुसलमान समझें तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का यह काम इस्लाम की एक बहुत बड़ी सेवा है। और इसके द्वारा आप ने न केवल भविष्य के लिए मुसलमानों को सचेत किया और उनके लिए तरक्की का रास्ता खोला बल्कि मुसलमानों को एक बड़े गुनाह से बचा भी लिया क्योंकि मुसलमान यह अक्रीदा रखते थे कि यह ज़माना तलवार के जिहाद का है और उसे फर्ज समझकर भी उसका पालन नहीं करते थे। इस तरह इस गुनाह के एहसास की वजह से गुनाहगार बन रहे थे। अब आपकी व्याख्या को ज्यों-ज्यों मुसलमान मानते जाएंगे त्यों-त्यों उनके दिलों से एहसास-ए-गुनाह का मैल दूर होता जाएगा और वे महसूस करेंगे कि वे ख़ुदा और उसके रसूल से गद्दारी नहीं कर रहे थे बल्कि दोष यह था कि सही जिहाद का उन्हें ज्ञान न था।

(3) तीसरा काम इस्लाम की तरक्की के लिए हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह किया कि आपने नए तर्कशास्त्र का अविष्कार किया। आप से पहले धर्मों का शास्त्रार्थ गुरिल्ला वार की तरह था। हर एक आदमी उठकर किसी एक बात को लेकर ऐतराज़ कर देता और अपने प्रतिद्वन्दी को शर्मिन्दा करने की कोशिश करने लगता था। आपन ने इस बुराई को दूर किया और ऐलान किया कि यह धर्मों की शान के विरुद्ध है कि इस प्रकार के हथियारों से काम लें। न किसी की कमी निकालने से धर्म की सच्चाई साबित हो सकती है और न केवल एक विषय पर बहस करके किसी धर्म की हकीकत ज़ाहिर हो सकती है। धर्म की परख निम्नलिखित उसूलों पर होनी चाहिए:-

(क) अनुभव - अर्थात् हर धर्म जिस उद्देश्य के लिए वह खड़ा किया गया है उसका सुबूत दे अर्थात् यह साबित करे कि उस पर

चलकर वह मक़सद मिल जाता है जिस मक़सद को पूरा करना उस धर्म का काम है। उदाहरण के तौर पर अगर ख़ुदा का प्यार पाना उस धर्म का उद्देश्य है और हर धर्म का यही उद्देश्य होता है तो उसे चाहिए कि साबित करे कि उस धर्म पर चले वालों को ख़ुदा तआला का प्यार मिलता है। क्योंकि यदि वह यह साबित नहीं कर सकता तो उसके क्रयाम का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है और वह एक मुर्दा की भांति हो जाता है। थोड़ी सी शिष्टाचार या सामाजिक शिक्षाएँ या तार्किक उसूल किसी धर्म को सच्चा साबित करने के लिए काफ़ी नहीं हैं। क्योंकि इन बातों को तो इन्सान दूसरे धर्मों से चुराकर या स्वयं सोच-समझकर ख़ुदा की ओर से बिना इल्हाम पाए प्रस्तुत कर सकता है। धर्म का असल सबूत तो केवल यही हो सकता है कि जिस उद्देश्य के लिए धर्म की ज़रूरत होती है वह पूरा हो अर्थात् अल्लाह तआला का प्यार उसके अनुयायी को मिल जाए और इसी दुनिया में मिल जाए। क्योंकि यदि कोई धर्म यह कहे कि वह मरने के बाद मुक्ति दिलाएगा तो इस दावा पर विश्वास नहीं किया जा सकता और उसकी सच्चाई को परखा नहीं जा सकता। सारे धर्मों का यह दावा है। कोई धर्म नहीं जो यह कहता हो कि मेरे द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, चाहे मुक्ति के अर्थ में उन्हें मतभेद ही क्यों न हो। अतः मरने के बाद मुक्ति दिलाने का दावा न स्वीकार योग्य है और न धर्म के उद्देश्य को पूरा करता है। जो चीज़ स्वीकार योग्य हो सकती है वह यही है कि धर्म अनुभव के द्वारा साबित कर दे कि उसने लोगों के एक गिरोह को जो उस पर चलता था ख़ुदा से मिला दिया और उसके प्यार को प्राप्त करा दिया। यह ऐसा ठोस प्रमाण है कि कोई व्यक्ति इसकी सच्चाई का इनकार नहीं कर सकता और इस प्रमाण के साथ ही सारी व्यर्थ धार्मिक बहसों का

अन्त हो जाता है और इस्लाम के अतिरिक्त कोई धर्म मैदान में नहीं ठहरता। क्योंकि यह दावा केवल इस्लाम ही का है कि वह आज भी सुबूत देता है जिस तरह की पहले ज़माने में ज़ाहिर होते थे और आज भी अपने अनुयायियों को ख़ुदा से मिलाता है और ख़ुदा के प्यार का अनुभव करा देता है। अतः आप के इस ऐलान का यह परिणाम हुआ कि दूसरे धर्मों के अनुयायियों को आप का और आपकी जमाअत का मुक़ाबला करना मुश्किल हो गया और वे हर मैदान में पीठ दिखाकर भागने लगे।

(ख) दूसरा उसूल धार्मिक मुबाहसों का आपने यह प्रस्तुत किया कि दावा और दलील दोनों इल्हामी किताब में मौजूद हों। यह कहकर आपने धर्म जगत का ध्यान इस तरफ़ फेर दिया कि इस ज़माने में यह एक अजीब रिवाज फैल रहा है कि हर आदमी अपने विचारों को अपने धर्म की ओर मनसूब करके उस पर बहस करने लग जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि न उसकी जीत और न उसके धर्म की जीत होती है और न उसकी हार और न उसके धर्म की हार होती है। इस तरह लोग धार्मिक बहसों में व्यर्थ समय बर्बाद करते रहते हैं फ़ायदा कुछ भी नहीं निकलता। अतः चाहिए की धार्मिक बहसों के समय इस बात को अनिवार्य ठहराया जाए कि जो दावा पेश किया जाए उसके बारे में पहले यह साबित किया जाए कि वह दावा उस धर्म की इल्हामी किताब में मौजूद है कि नहीं और फिर दलील भी उसी किताब से निकालकर दी जाए। क्योंकि ख़ुदा का कलाम बिना दलील के नहीं हो सकता। हाँ अधिक स्पष्ट के लिए समर्थन के रूप में बाहर से दलीलें दी जा सकती हैं। आपके इस उसूल ने धार्मिक जगत में एक तहलका मचा दिया और वे मूर्ख धर्मोपदेशक जो यूँ ही बहस-मुबाहसा के लिए खड़े हो जाते थे

और वे जो इस युग के नए-नए ज्ञानों पर मंत्रमुग्ध होकर अपनी क्रौम को अपना हमख्याल बनाने के लिए आधुनिक ज्ञानों को अपना धार्मिक विषय बनाकर पेश करने के आदी थे, बहुत घबरा गए। आर्य मत के लोग जो आत्मा (रूह) और पदार्थ के अनादि होने के बारे में विशेष गर्व किया करते थे इस उसूल के सामने बिल्कुल मौन हो गए। क्योंकि वेद में दलील तो दूर रही इस विषय का वर्णन भी कहीं मौजूद नहीं। आज तक आर्य समाजी ढूँढने में व्यस्त हैं मगर आज तक वेद का कोई श्लोक निकालकर नहीं पेश कर सके जिससे उनके इस दावे का हल निकल सके। यही हाल दूसरी धर्मों का हुआ। वे इस आधार पर अपने धर्म को सच्चा साबित न कर सके। लेकिन इस्लाम के हर एक दावे को हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कुर्आन करीम से निकालकर दिखाया और हर दावे के प्रमाण भी उसी में से निकालकर बता दिए। इस शस्त्र को आज तक अहमदी जमाअत के मुबल्लिग़ कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और हर मैदान में जीत कर आते हैं।

(ग) तीसरा उसूल आप ने यह प्रस्तुत किया कि हर धर्म जो सार्वभौमिक होने का दावा करता है उसके लिए केवल इतना काफी नहीं कि वह यह साबित करे कि उसके अन्दर अच्छी शिक्षा है बल्कि सार्वभौमिक धर्म के लिए यह आवश्यक है कि वह यह साबित करे कि उसकी शिक्षा हर एक स्वभाव को तसल्ली देने वाली तथा स्वाभाविक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली है। यदि केवल अच्छी शिक्षा ही किसी धर्म की सच्चाई का सुबूत समझी जाए तो सम्भव है कि एक व्यक्ति कह दे कि मैं एक नया धर्म लाया हूँ और मेरी शिक्षा यह है कि झूठ न बोलो, हिंसा न करो, गद्दारी न करो। अब यह शिक्षा तो निस्संदेह अच्छी है लेकिन हर आवश्यकता को पूरा करने वाली नहीं

और इस कारण से अच्छी होने के बावजूद धर्म की सच्चाई का प्रमाण नहीं दे सकती। वर्तमान में मौजूद धर्मों में से ईसाइयत का उदाहरण लिया जा सकता है। ईसाइयों के निकट मसीह का सब से बड़ा कारनामा उसकी वह शिक्षा है जिसमें वह कहता है कि अगर तेरे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दे। अब सरसरी तौर पर देखने से यह तालीम बड़ी सुन्दर नज़र आती है लेकिन अगर ग़ौर किया जाए तो यह प्रकृति के विरुद्ध है क्योंकि प्रकृति नेकी का क्रयाम चाहती है और इस शिक्षा से बुराई बढ़ती है। क्योंकि इन्सान को दुश्मन से भी मुकाबला करने की आवश्यकता पड़ जाती है और इस ज़रूरत का इसमें इलाज नहीं। इस उसूल के अन्तर्गत भी इस्लाम के दुश्मनों को एक बहुत बड़ी हार मिली और इस्लाम को हर मैदान में विजय प्राप्त हुई।

(4) इस्लाम और मुसलमानों की तरक्की के लिए आप ने यह किया कि सिख जो हिन्दुस्तान की जोशीली और कर्मठ क्रौम है उसे इस्लाम के निकट कर दिया। आपने इतिहास और सिखों की धार्मिक पुस्तकों से साबित करके दिखाया कि सिख धर्म के पेशवा बावा नानक रहमतुल्लाह अलैहि वस्तुतः मुसलमान थे और कुर्आन पर ईमान रखते थे और नमाज़ें पढ़ते थे और हज को भी गए थे और मुसलमान पीरों विशेषकर बावा फरीद रहमतुल्लाह अलैहि से बहुत श्रद्धा और प्रेम रखते थे। यह तहक्रीक ऐसी ठोस और विश्वशनीय है कि इसने धार्मिक दृष्टि से सिखों के दिलों में बहुत जोश पैदा कर दिया है। अगर मुसलमान इस तहक्रीक के महत्व को समझकर आपका हाथ बटाते तो लाखों सिख इस समय मुसलमान हो जाते। मगर अफ़सोस मुसलमानों ने उल्टा मुखालिफ़त की और इसके बहुत बड़े असर के रास्ते में रोकें डालीं।

लेकिन फिर भी तसल्ली से कहा जा सकता है कि एक वर्ग के अन्दर इस तहकीक़ का गहरा असर दिखाई दे रहा है और किसी समय यह तहरीक़ बहुत बड़े नतीजे पैदा करने का कारण होगी।

(5) पांचवां काम इस्लाम की तरक्की के लिए आपने यह किया कि अरबी भाषा को समस्त भाषाओं की माँ साबित किया और इस बात पर जोर दिया कि मुसलमानों को अरबी भाषा सीखनी चाहिए। मुसलमानों ने अभी तक इस बात की महानता को समझा नहीं बल्कि अभी तक वे अरबी को मिटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की इस राय में मुसलमानों में व्यापक रूप से एकता पैदा होने की बुनियाद रखी गयी है। उम्मीद है कि कुछ समय के बाद स्वयं इसकी ओर ध्यान देंगे और इसके धार्मिक महत्त्व के साथ-साथ इसके सामाजिक और राजनीतिक महत्त्व को भी महसूस करेंगे।

(6) छठा काम इस्लाम की तरक्की के लिए आपने यह किया कि इस्लाम का समर्थन करने वाले प्रमाणों का एक बहुत बड़ा ढेर एकत्र कर दिया और आपकी किताबों की मदद से अब हर मज़हब और हर क्रौम के लोगों का और आधुनिक ज्ञानों के ग़लत प्रयोग से जो ख़राबियाँ पैदा होती हैं उनका मुक़ाबला करने के लिए हर तरह की आसानियाँ पैदा हो गईं।

(7) सातवां काम आपने यह किया कि मुसलमानों के दिलों से जो उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी उसे फिर पैदा कर दिया। आपके प्रादुर्भाव से पहले मुसलमान बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके थे और समझ बैठे थे कि इस्लाम दब गया। आपने आकर पूरे जोर से यह ऐलान किया कि अब इस्लाम को मेरे द्वारा तरक्की होगी और इस्लाम पहले दलीलों के द्वारा सब पर ग़ालिब होगा फिर तब्लीग़ से ताक़तवर क्रौमों में शामिल होंगी

और इसकी राजनैतिक ताकत को बढ़ा देंगी। इस तरह आपने टूटे हुए दिलों को बाँधा। झुकी हुई कमर को सहारा दिया बैठे हुए हौसलों को उभारा और मुर्दा उमंगों को ज़िन्दा किया। इसमें कोई सन्देह नहीं की जब उम्मीद और भारी उमंग पैदा हो जाए तो वह सब कुछ करा लेती है। उम्मीद से ही कुर्बानी और जाँनिसारी पैदा होती है। मुसलमानों में उम्मीद न रह गई थी कुर्बानी भी न रह गई थी। अहमदियों में उम्मीद है कुर्बानी भी है। फिर कुर्बानी भी ऐसी के मरने-मारने की कुर्बानी नहीं बल्कि ज़िन्दगी का सामान पहुंचाने की कुर्बानी। जिसका उद्देश्य यह होता है कि हर चीज़ को इस तरह मिला दिया जाए कि उससे तरक्की के सामान पैदा हों।

सार्वभौमिक शान्ति की स्थापना -

चौदहवाँ काम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह किया कि आपने विश्वव्यापी शांति की नींव रखी। इस उद्देश्य के लिए आपने कुछ उपाए किए हैं जिनका अनुसरण करने से दुनिया में शान्ति स्थापित हो सकती है और अवश्य होगी।

(1) दुनिया में अशान्ति का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग एक-दूसरे के धार्मिक पेशवाओं का अपमान कहते हैं और दूसरी धर्मों की अच्छाइयों से आँखें बन्द कर लेते हैं। सद्बुद्धि इसे स्वीकार नहीं कर सकती कि ख़ुदा तआला जो समस्त ब्रह्माण्ड का पालनहार है वह केवल एक ही क्रौम को हिदायत के लिए चुनेगा और शेष सबको छोड़ देगा। सद्बुद्धि चाहे कुछ भी कहे मगर दुनिया में यह विचारधारा फैली हुई थी जिसके कारण बहुत झगड़े-फ़साद पैदा हो रहे थे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस सच्चाई को दुनिया के सामने उजागर किया

और बड़े जोर से यह ऐलान किया कि हर क्रौम में नबी गुजरे हैं। आपने यह कहकर झगड़े-फ़साद की एक बहुत बड़ी जड़ को उखाड़ फेंका। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से पहले भी कई महापुरुष कई अन्य क्रौमों के महापुरुषों को सच्चा और नबी स्वीकार कर चुके हैं। जैसा कि एक देहलवी बुजुर्ग ने फ़रमाया कि कृष्ण नबी (अवतार) थे। इसी तरह तौरात में अय्यूब नबी अलैहिस्सलाम को नबी ठहराया गया है हालांकि वह बनी इस्त्राईल क्रौम में से न थे। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इसे एक और रंग में पेश किया। आपके दावा से पहले हिदायत के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न क्रौमों के भिन्न-भिन्न विचार थे।

(1) कुछ का विचार था कि केवल उन्हीं की क्रौम मुक्ति पाने वाली है शेष सब लोग जहन्नमी (नर्क में पड़ने वाले) हैं। यहूदी और पारसी यही विचारधारा रखते थे।

(2) कुछ का विचार था कि उनके पेशवा के आने से पहले दुनिया की हिदायत का दरवाज़ा बन्द था। हिदायत का दरवाज़ा तो उसके आने के बाद खुला है। ईसाइयों की भी यही विचारधारा है। उनके निकट पूरी दुनिया में हिदायत हजरत मसीह के द्वारा ही फैली है।

(3) कुछ का विचार था कि हिदायत तो उनकी ही क्रौम से विशेष है। लेकिन दूसरी क्रौमों के भी खास-खास लोग यदि वे खास जोर लगाएं तो मुक्ति पा सकते हैं। सनातन धर्मियों का यही अक्रीदा है। वे अपने धर्म को असल और सच्चा तो मानते हैं मगर उनका यह अक्रीदा है कि अगर किसी दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति खुदा तआला की मुहब्बत को अपने दिल में पैदा करके तपस्या करे तो अल्लाह तआला उस पर भी रहम करता है मानो उसे एक ऐसा रास्ता मिल जाता है जो सीधे तौर

पर लक्ष्य तक नहीं पहुँचता लेकिन चक्कर खाते हुए पहुँच जाता है।

कुआन करीम ने इस विषय को हल कर दिया था लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमानों के विचार अस्पष्ट थे। वे यह सोचते थे कि बनी इस्राईल के नबियों के द्वारा संसार को हिदायत मिलती रही है। हालाँकि बनी इस्राईल के नबी केवल अपनी क्रौम ही की तरफ़ भेजे जाते थे। एक तरफ़ वह यह मानते थे कि हर क्रौम में नबी आए हैं और दूसरी तरफ़ बनी इस्राईल के सिवा शेष सारी क्रौमों को इर्शावाणी से रहित समझते थे और उनके नबियों को झूठा कहते थे।

इस प्रकार के विचारों का परिणाम यह हो रहा था कि विभिन्न क्रौमों के मध्य सुलह नामुमकिन हो रही थी और ज़िद में आकर सब लोग यह कहने लग गए थे कि हम ही केवल मुक्ति पाएँगे। हमारे अतिरिक्त और कोई मुक्ति नहीं पा सकता। हमारा ही धर्म असल धर्म है। मानो हर क्रौम ख़ुदा तआला की इकलौती बेटी बनना और उसी हाल में रहना चाहती थी और दूसरी क्रौमों से अगर कुछ हमदर्दी के लिए तैयार थी तो सिर्फ़ इतना कि तुम भी हमारे धर्म में दाखिल होकर ख़ुदा के फ़ज़ल का कुछ हिस्सा पा सकते हो और दूसरी क्रौम की रिवायतों और एहसासों को मिटाकर एक नई राह पर लाना चाहती थी। अर्थात् यह उम्मीद रखती थी कि वह अपने नबियों को झूठा और धोखेबाज़ कहते हुए और अपने पुराने इतिहास को भूलते हुए उनमें आकर शामिल हो जाए और नए सिरे से उस पौधे की तरह जो नई जगह लगाया जाता है बढ़ना शुरू करे। चूँकि यह एक ऐसी बात थी जिसके करने के लिए इन्सान बहुत कम तैयार होता है। विशेषकर ऐसा व्यक्ति जिसके बाप-दादे शानदार काम कर चुके हों और ज्ञानी रह चुके हों। इसलिए क्रौमों के बीच लड़ाइयाँ जारी थीं और सुलह की कोई सूरत न थी।

कुछ लोग दूसरों के नबियों को भी मान लेते थे लेकिन उसे एक नबी और सुधारक के रूप में नहीं बल्कि एक बुजुर्ग या पहलवान के रूप में स्वीकार करते थे कि उसने अपने बल पर उन्नति की और वह उसी तक सीमित रही और उसके द्वारा आगे दुनिया में हिदायत नहीं बढ़ी और उसका नूर दुनिया में फैला नहीं। लोगों ने उसकी दुआओं और चमत्कारों से फायदा उठाया लेकिन वह कोई शिक्षा या सुधार योजना लेकर नहीं आया जैसे कि अय्यूब अलैहिस्सलाम और कृष्ण अलैहिस्सलाम के बारे में यहूदियों और कुछ मुसलमानों का विचार था।

हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने आकर इस विचारधारा को बिल्कुल बदल दिया। आपने किसी के व्यक्तित्व को देखकर नबी स्वीकार नहीं किया और हजरत मज़हर जाने जाना की तरह यह नहीं कहा कि कृष्ण झूठा नहीं मालूम होता वह अवश्य ख़ुदा का नबी होगा। या जिस तरह सनातन धर्म कहते हैं कि मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम बुजुर्ग थे मगर हमारा ही धर्म सच्चा है। बल्कि आप ने इस विषय को सैद्धान्तिक रूप से देखा –

(i) आपने सूरज और उसकी किरणों, पानी और उसके प्रभावों, हवा और उसके प्रभावों को देखा और कहा, जिस ख़ुदा ने सब इन्सानों को इन चीज़ों में शामिल किया है वह हिदायत में भेदभाव नहीं कर सकता। आपने सैद्धान्तिक रूप से सारी क्रौमों में नबियों का होना अनिवार्य ठहराया। उदाहरणतः आपने हजरत कृष्ण को इसलिए नबी नहीं माना कि वह एक ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने अन्धकार में डूबे हुए देश में से अपवाद के तौर पर व्यक्तिगत कोशिश करके ख़ुदा की निकटता प्राप्त कर ली। बल्कि इसलिए नबी माना कि आपने ख़ुदा तआला की विशेषताओं पर गौर करके यह नतीजा निकला कि ख़ुदा ऐसा हो ही

नहीं सकता कि हिन्दू क्रौम को भुला दे और उसकी हिदायत के लिए किसी को न भेजे।

(ii) फिर आप ने मनुष्य की प्रकृति और उसकी शक्तियों को देखा और बेधड़क बोल उठे कि यह जौहर नष्ट होने वाला नहीं, खुदा ने इसे अवश्य स्वीकार किया होगा और उसको रौशन करने के साधन भी पैदा किए होंगे।

तात्पर्य यह है कि आपकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी और आपका निर्णय कुछ बड़ी हस्तियों से डरने का नतीजा न था बल्कि खुदा तआला की महानता और मनुष्य की येग्यता एवं पवित्रता के आधार पर था।

अब सुलह का रास्ता खुल गया। कोई हिन्दू यह नहीं कह सकता कि अगर मैं इस्लाम कुबूल करूँ तो मुझे अपने बुजुर्गों को बुरा समझना पड़ेगा। क्योंकि इस्लाम उनको भी बुजुर्ग ठहराता है और इस्लाम को मानने में वह उन्हीं का अनुसरण करेगा। यही हाल पारसियों और कन्फ्यूसियस के मानने वालों और यहूदियों एवं ईसाइयों का होगा। अतः हर धर्म का इन्सान अपने पैतृक गर्व को सलामत रखते हुए इस्लाम में दाखिल हो सकता है और अगर वह इस्लाम स्वीकार न करे तो सुलह में अवश्य शामिल हो सकता है।

इस सिद्धांत के द्वारा आपने बन्दे की खुदा से भी सुलह करा दी। क्योंकि पहले विभिन्न क्रौमों के लोगों के दिल इस आश्चर्य में थे कि यह किस तरह हुआ कि खुदा तआला मेरा खुदा नहीं है और उसने मुझे छोड़ दिया और अल्लाह तआला के संबंध में मुहब्बत की उन भावनाओं को पैदा नहीं कर सकते थे जो उनके दिल में पैदा होनी चाहिए थीं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस कुधारणा को भी दूर करा

दिया और जहाँ अपनी शिक्षाओं के द्वारा लोगों के मध्य सुलह का रास्ता खोला, वहाँ खुदा और मनुष्य के बीच सुलह का भी रास्ता खोला।

(2) दूसरा ढंग हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने शान्ति की स्थापना के लिए यह अपनाया कि आपने यह प्रस्ताव पेश किया कि हर धर्म के लोग अपने-अपने धर्म की विशेषताएं बयान करें और दूसरे धर्मों पर ऐतराज न करें। क्योंकि दूसरे धर्मों के दोष बयान करने से अपने धर्म की सच्चाई साबित नहीं होती बल्कि दूसरे धर्म के लोगों में ईर्ष्या-द्वेष पैदा होता है।

(3) तीसरा सिद्धांत विश्व शान्ति की स्थापना के लिए आपने यह प्रस्तुत किया कि देश की उन्नति, फ़साद और बगावत के माध्यम से न चाही जाए। बल्कि अमन और सुलह के साथ सरकार से सहयोग करके इसके लिए कोशिश की जाए। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस समय जबकि असहयोग का जोर है लोग इस सिद्धान्त की वास्तविकता को नहीं समझ सकते। लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि सहयोग से जिस आसानी से हुकूम (अधिकार) मिल सकते हैं असहयोग से नहीं मिल सकते, पर सहयोग से तात्पर्य चापलूसी नहीं। चापलूसी और चीज़ है और सहयोग और चीज़। जिसे हर व्यक्ति जो सोच-विचार की शक्ति रखता है आसानी से समझ सकता है। चापलूसी और ओहदों की लालच देश को तबाह करती है और गुलामी को दायमी बनाती है पर सहयोग आज्ञादी की ओर ले जाता है।

परलोक सम्बन्धी विचारों का सुधार -

पन्द्रहवां काम हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह किया कि कर्मफल और परलोक सम्बन्धी विषयों पर एक ऐसी तहक्रीक पेश

की कि जिससे बढ़कर बुद्धि को संतुष्ट करने वाली दूसरी कोई तहक्रीक दिमाग में नहीं आ सकती। आप से पहले समस्त धर्मों में कर्मफल और परलोक के सम्बन्ध में अजीब तरह के विचार फैले हुए थे। जिसके कारण लोग इस अक्रीदे से ही भाग रहे थे और परलोक को एक भ्रम ठहरा रहे थे। विभिन्न धर्मों के लोग यह अक्रीदा रखते थे कि :-

(1) कुछ लोगों का मत था कि मुक्ति चाहत के मर जाने का नाम है। जैसे बौद्ध

(2) कुछ लोगों का मत था कि मुक्ति खुदा में विलीन हो जाने का नाम है। जैसे सनातन धर्मों

(3) कुछ लोगों का मत था कि मुक्ति रूह का पदार्थ से पूर्णतः अलग हो जाने का नाम है जैसे चीनी

(4) कुछ का मत था कि मुक्ति अस्थायी और क्षणिक है। जैसे आर्य

(5) कुछ का मत था कि कर्मफल केवल रूहानी हैं जैसे स्प्रिचुलिस्ट

(6) कुछ का मत था कि कर्मफल केवल जिस्मानी हैं। जैसे यहूदी और मुसलमान

(7) कुछ का मत था कि दोज़ख (नर्क) जिस्मानी है और जन्नत रूहानी है। जैसे ईसाई

(8) कुछ का मत था कि दोज़ख की सज़ाएँ जन्नत की नेमतों की तरह हमेशा के लिए हैं।

यह सारे विषय आपत्ति योग्य और सन्देह एवं भ्रम पैदा करने वाले थे। अगर इच्छा मर जाने का नाम मुक्ति है तो खुदा ने इन्सान को पैदा ही क्यों किया? पैदा उस उद्देश्य के लिए किया जाता है जो भविष्य में मिलने वाला हो। अनिच्छा तो जन्म से पहले मौजूद थी। फिर पैदा करने का क्या उद्देश्य था?

इसी तरह मुक्ति अगर खुदा में विलीन हो जाने का नाम है तो यह इनाम क्या हुआ? विलय चाहे अलग हो चाहे खुदा में, एक इन्सान के लिए इनाम नहीं कहला सकता।

अगर पदार्थ से छुटकारे का नाम मुक्ति है तो रूह पहले ही पदार्थ में क्यों डाली गई? इस नए दौर के जारी करने का क्या उद्देश्य था?

इस तरह यह भी ग़लत है कि कर्मफल केवल रूहानी हैं क्योंकि मनुष्य की एक विशेषता यह है कि वह बाहर के असर को लेता है और मनुष्य के स्वभाव में यह चाहत है कि वह बाहर से भी आनन्द प्राप्त करे और अन्दर से भी।

इसी तरह वे जो कहते हैं कि कर्मफल केवल जिस्मानी (भौतिक) हैं, वे ग़लत कहते हैं। क्या यह हो सकता है कि इन्सान को हमेशा की ज़िन्दगी इसलिए दी जाएगी. कि वह खाए और पिए और एक व्यर्थ जीवन व्यतीत करे।

हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उपरोक्त इन सब विचारों का खण्डन किया और निम्नलिखित वास्तविकता प्रस्तुत की। आप फ़रमाते हैं कि:-

मनुष्य का उद्देश्य मुक्ति नहीं बल्कि सफ़लता है। मुक्ति का अर्थ तो “बच जाना” है और बच जाना अनिच्छा या अनस्तित्व पर संकेत करता है और अनिच्छा या अनस्तित्व उद्देश्य नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य का उद्देश्य सफ़लता है और सफ़लता कुछ खोने का नाम नहीं बल्कि कुछ पाने का नाम है और जब पाने का नाम सफ़लता है तो आवश्यक हुआ कि परलोक में इच्छाएं और बढ़ें ताकि कुछ अधिक पा सकें। यही कारण है कि मरने के बाद की ज़िन्दगी के बारे में कुर्आन करीम फ़रमाता है कि:-

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ

(अल हाक्का - 18)

इस दुनिया में तो खुदा की चार आधारभूत विशेषताएं मनुष्य के लिए प्रकट होती हैं। परलोक में खुदा की आठ आधारभूत विशेषताएं प्रकट होंगी। अर्थात् इस लोक की अपेक्षा परलोक में उसके दर्शन बढ़कर प्रकट होंगे।

फिर आपने साबित किया कि मुक्ति या सफलता स्थायी है और बताया कि कर्म का बदला काम करने वाले की नीयत और फल देने वाले के सामर्थ्य पर निर्भर होता है। इन दोनों बातों को सामने रखकर और इन्सान की प्रकृति को देखते हुए, जो मरने से डरती है और सदैव की जिन्दगी प्राप्त करना चाहती है, सफलता का दायमी होना साबित है।

इसी तरह आप ने यह भी बताया कि सज़ा और प्रतिफल न केवल रूहानी हैं और न सिर्फ जिस्मानी और न यह है कि इन में से एक जिस्मानी हो और दूसरा रूहानी। क्योंकि अच्छे-बुरे कामों का केंद्र एक ही होता है। इसलिए सज़ा और प्रतिफल का ढंग भी एक ही होना चाहिए। चूँकि पूर्ण अनुभव आंतरिक एवं बाह्य जज़्बात के मिलने से होता है। इसलिए सज़ा और प्रतिफल आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की इन्द्रियों पर आधारित होता है। चूँकि वह लोक बहुत अधिक संवेदनाओं की जगह होगा इसलिए वहाँ की सज़ा और प्रतिफल के अनुसार और आवश्यकताओं की दृष्टि से मनुष्य को एक नया शरीर मिलेगा। वहाँ यह शरीर न होगा बल्कि कोई नया शरीर दिया जायेगा जो यहाँ की दृष्टि से रूहानी होगा। यहाँ की इबादतें (तपस्याएँ) वहाँ विभिन्न चीज़ों के रूप में दिखाई देंगी। उनकी आकृति तो होगी मगर वह इस लोक के तत्व से न बनी होगी मानो वहाँ फल, दूध, शहद और मकान इत्यादि

तो होंगे पर इस लोक की चीजों की तरह नहीं। बल्कि एक अति सूक्ष्म और नए तत्व की होंगी जिन्हें अति सूक्ष्म होने के कारण इस लोक की तुलना में रूहानी अस्तित्व वाली कहा जा सकता है।

लेकिन सज़ा और प्रतिफल के बारे में आपने एक अन्तर बयान फ़रमाया और वह यह है कि दोज़ख (नर्क) की सज़ा दाइमी नहीं होगी। क्योंकि मानवीय प्रकृति नेक है। इसलिए आवश्यक है कि उसे नेकी की ओर ले जाया जाए। दूसरी बात यह है कि मनुष्य खुदा की प्रसन्नता पाने के लिए पैदा किया गया है। अगर वह दोज़ख में पड़ा रहे तो खुदा की प्रसन्नता कहाँ पा सकता है। फिर खुदा तआला की रहमत (दया) अतिव्यापी है। अगर दोज़ख की सज़ा हमेशा के लिए हो तो रहमत किस तरह अतिव्यापी होगी। इस दशा में तो उसका प्रकोप भी उसकी रहमत की भांति अतिव्यापी हुआ। फिर अगर हमेशा के लिए दोज़ख हो तो मनुष्य जो नेकियाँ दुनिया में करता है उनका बदला व्यर्थ हो जाएगा। हालांकि खुदा तआला फ़रमाता है कि किसी की नेकी व्यर्थ नहीं होगी। इससे सिद्ध हुआ है कि सज़ा दाइमी नहीं होगी, सफलता दाइमी होगी।

अतः ज्ञान की दृष्टि से दोज़ख की सज़ा सीमित साबित करके आप ने मानो संसार की हकीकत को खोल दिया। एक ओर मानवीय प्रकृति की कमज़ोरी को देखकर जब हमें यह दिखाई देता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पालन-पोषण करने वाले की शिक्षा-दीक्षा का उस पर असर पड़ता है खान-पान का असर पड़ता है। पास-पड़ोस के हालात का उस पर असर पड़ता है और कामों में फँसे होने के कारण इबादत के लिए समय कम निकलता है। दूसरी ओर इन मजबूरियों के बावजूद खुदा की प्रसन्नता पाने के लिए इन्सान की कोशिश को देखकर जिसमें हर धर्म के लोग लगे हैं। तीसरे यह देखकर की लोगों तक खुदा के

पैगाम को पहुँचाने में हजारों प्रकार की समस्याएँ हैं और बहुत ही कम लोगों को एक ही समय में सच्चे तौर पर पैगाम पहुँचाता है। चौथे ख़ुदा की रहमत को अतिव्यापी देखकर, पांचवें मनुष्य की शक्तियों की हद बन्दी को देखकर हर एक स्वच्छ प्रकृति सज़ा और प्रतिफल के बारे में विभिन्न धर्मों की प्रस्तुत की हुई शिक्षा से रूकती थी। लेकिन आप ने ऐसी शिक्षा प्रस्तुत कर दी कि वे सब ऐतराज़ दूर हो गए और अब हमें दिखाई देता है कि मनुष्य की ज़िन्दगी असीमित तरक्कियों की एक कड़ी है और उसमें असीमित तरक्कियों की गुंजाइश है। उसकी रुकावटें अस्थायी हैं बल्कि सामूहिक रूप से वह आगे की ओर बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी। स्वयं दोज़ख भी एक अनवरत तरक्क़ी का साधन है और गंदगियों और कमज़ोरियों को दूर करने की जगह है मानो वह एक स्नानागार है। जो गंदे होंगे उन्हें ख़ुदा कहेगा, पहले इस स्नानागार में नहाओ फिर मेरे पास आओ।

अब अन्त में यह बताना चाहता हूँ कि यदि कोई यह कहे कि यह सब बातें तो कुर्आन करीम में मौजूद थीं। मिर्ज़ा साहिब ने क्या किया? इन बातों के बयान करने से उनका काम किस तरह साबित हो गया? तो उसका जवाब यह है कि इसी तरह अगर कोई ग़ैर मुस्लिम यह कहे सारी बातें तो ख़ुदा ने बतायीं मुहम्मद (सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम) ने क्या काम किया। तो क्या यही नहीं कहोगे कि बेशक जो कुछ आपने दुनिया को बताया वह ख़ुदा तआला की ओर से आपको मिला। पर प्रश्न यह है कि और किसी को क्यों न मिला? अन्ततः कोई नेकी तक़््वा और कुर्बानी का दर्जा आपको ऐसा हासिल था जो दूसरों को हासिल न था। तब ही तो ख़ुदा तआला ने आप पर यह ज्ञान के रहस्य खोले। अतः वह काम आप ही का काम कहलाएगा। यही जवाब

हम देंगे कि निःसन्देह यह सब कुछ कुर्आन करीम में मौजूद था मगर लोगों को नज़र न आता था और खुदा तआला ने उन रहस्यज्ञानों को किसी पर न खोला बल्कि आप पर खोला और ऐसे समय में खोला जब दुनिया कुर्आन करीम की तरफ़ से मुँह फेर चुकी थी। अतः यह रहस्य ज्ञान कुर्आन करीम में मौजूद तो थे लेकिन लोगों की नज़र से पोशीदा थे और खुदा तआल ने उनको खोलने के लिए आपको चुना। इसलिए वे आप ही का काम कहलायेंगे।

मैंने आप के कामों की संख्या पन्द्रह बताई है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपका काम यहीं समाप्त हो गया। आपका काम इससे बहुत अधिक है। जो कुछ बताया गया है यह केवल बुनियादी है जो सारांशतः बताया गया है। यदि आप के सारे कामों को विस्तारपूर्वक लिखा जाए तो हज़ारों से भी अधिक हो जायेंगे। मेरे विचार से यदि कोई व्यक्ति उन्हें किताब के रूप में एकत्र कर दे तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वह इच्छा पुनः पूरी हो सकती है जो आपने बराहीन अहमदिया में प्रकट की है और वह यह है कि इस किताब में इस्लाम की तीन सौ खूबियाँ बयान की जाएँगी। अतः हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तो यह वादा अपनी विभिन्न पुस्तकों द्वारा पूरा कर दिया। आपने अपनी रचनाओं में तीन सौ से भी अधिक इस्लाम की खूबियाँ बयान फ़रमाई है और मैं यह साबित करने के लिए तैयार हूँ।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

